स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

अप्रैल, 2020

I.S.S.N. : 2457-0486

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

विधि साहित्य प्रकाशन

विधायी विभाग

विधि और न्याय मंत्रालय

भारत सरकार

संपादक-मंडल

डा. जी. नारायण राजू,
सचिव, विधायी विभाग

डा. रीटा वशिष्ठ, अपर सचिव,
विधायी विभाग, प्रभारी वि.सा.प्र.

श्री एस. आर. ढलेटा,
सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव एवं
विधायी परामर्शी, विधायी विभाग

डा. सुरेन्द्र कुमार शर्मा, प्रिन्सिपल,
विधि विभाग, डी आई आर डी, गुरु
गोविंद सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय

श्री ए. के. अवस्थी,
सेवानिवृत्त प्रोफेसर एवं डीन, विधि
संकाय लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

श्री एल. आर. सिंह,
प्रोफेसर एवं डीन इलाहाबाद
विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

श्री कृष्ण गोपाल अग्रवाल,
सेवानिवृत्त संपादक, वि.सा.प्र.

श्री अनुराग दीप,
एसोसिएट प्रोफेसर,
भारतीय विधि संस्थान

डा. मिथिलेश चन्द्र पांडेय,
प्रधान संपादक

श्री कमला कान्त,
संपादक

श्री अविनाश शुक्ला,
संपादक

श्री असलम खान,
संपादक

सहायक संपादक : श्री पुण्डरीक शर्मा

उप-संपादक : सर्वश्री महीपाल सिंह और जसवन्त सिंह

ISSN 2457-0486

कीमत : डाक-व्यय सहित

एक प्रति : ₹ 125/-

वार्षिक : ₹ 1,300/-

© 2020 भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय

प्रधान संपादक, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित तथा..... द्वारा मुद्रित ।

आई.एस.एस.एन. 2457-0486

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

अप्रैल, 2020 अंक - 4

प्रधान संपादक
डा. मिथिलेश चन्द्र पांडेय
संपादक
असलम खान

विधि साहित्य
प्रकाशन

(2020) 1 दा. नि. प.

विधि साहित्य प्रकाशन
विधायी विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार

Online selling of law Patrikas/Books is available on
Website ➡ https://bharatkosh.gov.in/product/product

विक्रय कार्यालय : सहायक प्रबंधक, कारबार अनुभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, आई. एल. आई. बिल्डिंग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 । दूरभाष : 011-23385259, 23387589, फैक्स : 011-23387589, ई-मेल : am.vsp-molj@gov.in

संपादकीय

देश में बालकों और बालिकाओं के साथ बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने के लिए लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 में बदलाव किया गया है जिसके अनुसार अब 12 वर्ष तक की बालिका से बलात्संग के दोषियों को मृत्युदंड दिया जा सकता है । सरकार की ओर से रखे गए इस प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी अप्रैल, 2018 में मिल गई थी । प्रचलित भाषा में इस अधिनियम को पॉक्सो अधिनियम कहा जाता है जिसकी धारा 7 और 8 के अधीन ऐसे मामलों में विचारण किया जाता है जिनमें बालकों अथवा बालिकाओं के गुप्तांगों के साथ छेड़छाड़ की जाती है और इस धारा के अधीन दोषसिद्ध हो जाने पर आरोपियों को 5 से 7 वर्ष तक के कारावास तथा जुर्माने से दंडादिष्ट किया जा सकता है । इस अधिनियम की रचना इसलिए भी आवश्यक थी कि बच्चे आम तौर पर ऐसे कृत्यों के प्रति नासमझ होते हैं और आसानी से दुराचारियों के बहकावे में आ जाते हैं । कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बच्चे भयभीत होकर, अपने साथ घटित यौन शोषण की घटना, अपने माता-पिता को भी नहीं बताते हैं । इस अधिनियम के अनुपालन के लिए भारतीय दंड संहिता, 1860 के अधीन सहमति से लैंगिक संबंध बनाने की आयु को भी बढ़ाकर 16 वर्ष से 18 वर्ष किया गया है जिसका अर्थ यह हुआ कि यदि कोई व्यक्ति किसी बच्चे के साथ उसकी सहमति या बिना सहमति के लैंगिक कृत्य करता है तब वह व्यक्ति पॉक्सो अधिनियम के अधीन दंड का भागीदार होगा । यदि कोई पति या पत्नी 18 वर्ष से कम आयु के जीवनसाथी के साथ यौन संबंध बनाते हैं तो यह अपराध की श्रेणी में आएगा और उस व्यक्ति का अभियोजन किया जा सकता है । यह अधिनियम समस्त भारत में लागू है और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यौन अपराधों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है । इस अधिनियम के अधीन सभी अपराधों की सुनवाई एक विशेष न्यायालय द्वारा कैमरे के समक्ष बच्चे के माता-पिता या जिन लोगों पर वह बच्चा भरोसा करता हो उनकी उपस्थिति में सुनवाई किए जाने का प्रयास किया जाना चाहिए । यदि अभियुक्त

किशोर है तब उसका विचारण किशोर न्यायालय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के अधीन किया जाता है । यदि पीड़ित बच्चा विक्लांग या शारीरिक या मानसिक रूप से रोगग्रस्त है तब विशेष अदालत किसी अनुवादक या विशेष शिक्षक की सहायता लेकर उसका साक्ष्य अभिलिखित कराता है । समाज को और अधिक सुरक्षित रखने के लिए इस अधिनियम को अपेक्षाकृत कठोर बनाने का प्रयास किया गया है और इसीलिए यदि अपराधी ने ऐसा कृत्य किया है जो बाल अपराध से संबंधित विधि के अधीन अन्य किसी विधि में भी अपराध है तो वह अपराधी उस अधिनियम के अधीन दंड पाने का दायी होगा जिसमें गुरुतर दंड विहित किया गया हो । इस अधिनियम की भावना को भली प्रकार समझने के लिए इस अंक में प्रकाशित **जय प्रकाश** बनाम **उत्तराखंड राज्य** (2020) 1 दा. नि. प. 480 वाले मामले का परिशीलन लाभकारी होगा ।

इस अंक में रेल संरक्षण बल अधिनियम, 1957 के अतिरिक्त अन्य ज्ञानवर्धक सामग्री भी है जिसका आप परिशीलन करें और अपने अमूल्य सुझावों से अवगत कराएं । इस अंक में सामाजिक कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है । यह अंक विधि-विद्यार्थियों, वकीलों, न्यायाधीशों, विधि-अध्यापकों तथा विधि के ज्ञान में रुचि रखने वाले पाठकों के लिए पर्याप्त रूप से लाभकारी है ।

असलम खान
संपादक

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

अप्रैल, 2020

निर्णय-सूची

	पृष्ठ संख्या
करनपाल **बनाम** उत्तराखंड राज्य	498
जय प्रकाश **बनाम** उत्तराखंड राज्य	480
जिमी जचेरिया और अन्य **बनाम** केरल राज्य	527
दुर्गेश और एक अन्य **बनाम** मध्य प्रदेश राज्य	552
महिन्द्र शंकर **उर्फ** बिश्वकर्मा **बनाम** सिक्किम राज्य	578
राज कुमारी (श्रीमती) **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य	449
सतीश सिंह रमाशंकर **बनाम** छत्तीसगढ़ राज्य	537
सुनील दुआ **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य	468

संसद् के अधिनियम

रेल संरक्षण बल अधिनियम, 1957 का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ	1 – 16

विषय-सूची

पृष्ठ संख्या

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)

– धारा 125 – दहेज की मांग के कारण विवाह के मात्र चार वर्ष में ही पत्नी का परित्याग – पत्नी द्वारा भरणपोषण के लिए आवेदन – निचले न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी को समन करना – समन की तामील के बावजूद प्रत्यर्थी द्वारा न्यायालय में उपस्थित न होना – न्यायालय द्वारा एकपक्षीय रूप से सुनवाई – पत्नी द्वारा शपथपत्र में पति की आय लगभग 90,000/- रुपए प्रतिमास होने का दावा – किंतु कोई दस्तावेजी प्रमाणपत्र प्रस्तुत न किया जाना – न्यायालय द्वारा निर्णय की तारीख से 2,500/- रुपए प्रतिमास की राशि का भरणपोषण के रूप में संदाय करने का निदेश – निर्णय को चुनौती – आवेदन फाइल किए जाने की तारीख से भरणपोषण की राशि का संदाय करने और भरणपोषण की राशि में वृद्धि करने का अनुरोध – उच्च न्यायालय के अनुसार यह न्यायालय का विवेकाधिकार है कि वह भरणपोषण की राशि का संदाय करने का निदेश आवेदन फाइल करने की तारीख से या निर्णय की तारीख से दे सकता है किंतु निर्णय की तारीख से भरणपोषण मंजूर करने के लिए उसके कारणों को लेखबद्ध करना अपेक्षित है – चूंकि वर्तमान मामले में कारण लेखबद्ध नहीं किए गए थे अत: निर्णय को उलटते हुए भरणपोषण को आवेदन की तारीख से मंजूर करने का निदेश दिया गया है – न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि भरणपोषण की राशि निर्धारित करते समय केवल पति की आय को ही ध्यान में नहीं रखना चाहिए अपितु उसके स्वास्थ्य

पृष्ठ संख्या

और शारीरिक क्षमता के आधार पर उसकी धन उपार्जन की क्षमता को भी विचार में लेना चाहिए – पति चाहे दिवालिया हो या भिखारी या अव्यस्क या कोई सन्यासी, यदि वह शारीरिक रूप से सक्षम है तो उसे भरणपोषण का संदाय करना होगा ।

राज कुमारी (श्रीमती) बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य** 449

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45)

– धारा 302 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3, 8 और 27] – हत्या – साक्ष्य की बरामदगी – चाकू मारकर हत्या करना – प्रत्यक्षदर्शियों साक्षियों के साक्ष्य से अन्य साक्षियों के साक्ष्य की संपुष्टि होना – अभियुक्त-अपीलार्थियों की निशानदेही पर अपराध में प्रयोग आयुध और मोटरसाइकिल की बरामदगी – प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य द्वारा अन्य साक्षियों के साक्ष्य की संपुष्टि हुई है तथा अपराध में प्रयोग किए गए आयुध और मोटरसाइकिल अपीलार्थियों के प्रकटीकरण के आधार पर बरामद की गई है साथ ही कारित क्षतियों की प्रकृति अपराध में प्रयोग किए गए आयुधों से मेल खाती है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थियों की दोषसिद्धि न्यायोचित है ।

दुर्गेश और एक अन्य बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** 552

– धारा 307 – हत्या का प्रयत्न – अपीलार्थी द्वारा अप्राप्तवय कन्या की लज्जा भंग करने के दौरान उसके सिर पर पत्थर से हमला किया जाना – चिकित्सीय

पृष्ठ संख्या

साक्ष्य द्वारा हमले की पुष्टि – कन्या का लंबे समय तक उपचाराधीन रहना – अपीलार्थी ने आहत को बलपूर्वक दबोचा, जमीन पर पटका और प्रतिरोध किए जाने पर उसके सिर पर पत्थर से वार किया जिसके पश्चात् वह लंबे समय तक अस्पताल में उपचाराधीन रही, अत: अपीलार्थी का आशय मात्र क्षति पहुंचाने का नहीं अपितु हत्या करने का नहीं था और हत्या के प्रयत्न के अपराध के लिए की गई उसकी दोषसिद्धि न्यायोचित है ।

करनपाल बनाम **उत्तराखंड राज्य** 498

– धारा 376कख और 201 – नृशंस हत्या – मृत्युदंड – साक्ष्य नष्ट करने का प्रयास – विरल से विरलतम मामला – अपीलार्थी ने 11 वर्ष की कन्या के साथ योनिक और गुदा प्रवेशन द्वारा बलात्संग करके उसकी नृशंस हत्या की है और मृतका के शव को छिपाकर साक्ष्य नष्ट करने का प्रयास किया है जिसमें अभियुक्त-अपीलार्थी का कृत्य इतना राक्षसी है कि इससे न केवल न्यायिक गरिमा पर आघात पहुंचा है अपितु इससे समाज की छवि भी धूमिल हुई है, अत: यह मामला विरल से विरलतम मामले की कोटि में आता है जिसमें मृत्युदंड दिया जाना ही न्यायोचित है ।

जय प्रकाश बनाम **उत्तराखंड राज्य** 480

– धारा 376कख (संशोधन अधिनियम, 2018 के पश्चात्), 377 और 302 [सपठित लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 5/6] –

पृष्ठ संख्या

अप्राप्तवय कन्या के साथ बलात्संग और उसकी हत्या – मृतका का अभियुक्त-अपीलार्थी के साथ अंतिम बार जीवित देखा जाना – चिकित्सीय साक्ष्य से बलात्संग की पुष्टि – मृतका के कपड़ों पर अभियुक्त के डी. एन. ए. की पुष्टि – मृतका को अभियुक्त-अपीलार्थी के साथ अंतिम बार जीवित देखा गया था और उसका शव भी अपीलार्थी के कमरे से बरामद किया गया तथा चिकित्सीय साक्ष्य से मृतका के साथ बलात्संग की भी पुष्टि होती है और स्कूल के अभिलेख से मृतका की आयु 11 वर्ष साबित हुई है अत: अभियुक्त-अपीलार्थी की दोषसिद्धि में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता ।

जय प्रकाश बनाम **उत्तराखंड राज्य** 480

– धारा 376(1) (2013 के संशोधन के पूर्व), धारा 511 और 354 [भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – 12 वर्ष की कन्या के साथ बलात्संग या उसकी लज्जा भंग किए जाने का अभिकथन – साक्ष्य का मूल्यांकन – चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा कन्या के शरीर में शुक्राणुओं की पुष्टि न होना – आहत कन्या ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन अपने कथन में बलात्संग किए जाने की बात नहीं कही है और साथ ही उसकी चिकित्सा रिपोर्ट से उसके शरीर में शुक्राणुओं या किसी ऐसी क्षति के कारित होने की पुष्टि नहीं हुई है जिससे बलात्संग साबित किया जा सके, अत: अपीलार्थी धारा 376(1) के अधीन नहीं अपितु धारा 354 के अधीन दोषी है ।

करनपाल बनाम **उत्तराखंड राज्य** 498

पृष्ठ संख्या

– धारा 376(2)(च)(झ)(ढ) और 506 [सपठित बालकों का यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 5/6] – कक्षा 7 में पढ़ने वाली एक बालिका का उसके निजी शिक्षक द्वारा लगभग एक वर्ष तक यौन उत्पीड़न – बालिका का अवसादग्रस्त होना और मनोचिकित्सक द्वारा उपचार – निजी शिक्षक को हटाया जाना, जिसके पश्चात् उसके द्वारा पीड़ित लड़की का पीछा किया जाना, फोन पर धमकी तथा ब्लैकमेल किया जाना – पीड़ित लड़की द्वारा व्यस्कता प्राप्त करने पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज किया जाना – गिरफ्तारी – पॉक्सो विशेष न्यायालय द्वारा जमानत अर्जी खारिज किया जाना – अभियुक्त का कर्क रोग से पीड़ित होने के आधार का अवलंब लेते हुए उच्च न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया जाना – न्यायालय के अनुसार शिक्षक और शिष्य के न्यासीय संबंध को कलंकित करने वाले और एक तरुण बालिका का यौन उत्पीड़न करने वाले अभियुक्त को उसके असाध्य रोग के प्रति सहानुभूति दर्शित करते हुए जमानत मंजूर नहीं की जा सकती – यद्यपि उसके मामले के शीघ्र निपटान का निदेश दिया जा सकता है ।

सुनील दुआ बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य** 468

– धारा 376(2) (वर्ष 2013 के संशोधन के पश्चात्) [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – बलात्संग – अपीलार्थी द्वारा शारीरिक रूप से असशक्त महिला (आयु 51 वर्ष) के साथ बलात्संग किए जाने का अभिकथन – रक्त, वीर्य और अन्य शारीरिक पदार्थ की पुष्टि न होना – चिकित्सीय साक्ष्य से आहत

पृष्ठ संख्या

द्वारा बताई गई क्षतियों की पुष्टि न होना – प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का साक्ष्य संदिग्ध पाया जाना – आहत के शरीर से लिए गए नमूने से रक्त, वीर्य या अन्य किसी शारीरिक पदार्थ का पता नहीं लगाया जा सका, साथ ही आहत की चिकित्सा रिपोर्ट से यह साबित होता है कि उसके जननांग पर कोई भी बाह्य क्षति कारित नहीं हुई है, अत: आहत के कथन की संपुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से नहीं होती है, इसलिए अपीलार्थी की दोषसिद्धि न्यायोचित नहीं है ।

महिन्द्र शंकर उर्फ **बिश्वकर्मा** बनाम **सिक्किम राज्य** 578

– धारा 392 [सपठित आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 25] – लूट – अपराध में प्रयोग किए गए आयुध की बरामदगी – अभिग्रहण के समय पिस्तौल का चालू हालत में पाया जाना – यह साबित नहीं किया जा सका कि बरामद किए गए जिंदा कारतूस, बरामद की गई पिस्तौल में भरकर चलाए जा सकते हैं या नहीं और यह कि खाली कारतूस इसी पिस्तौल में भरकर चलाए गए थे या नहीं किंतु यह साबित हो गया है कि बरामद की गई पिस्तौल चालू हालत में पाई गई है और बरामद किए गए जिंदा कारतूस किसी न किसी पिस्तौल से चलाए जा सकते हैं, ऐसी स्थिति में आयुध अधिनियम की धारा 25 के अधीन अपीलार्थी की दोषसिद्धि न्यायोचित है ।

सतीश सिंह रमाशंकर बनाम **छत्तीसगढ़ राज्य** 537

– धारा 420 [सपठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 438] – छल और कूटरचना – अग्रिम जमानत

पृष्ठ संख्या

का आवेदन – कूटरचित मुख्तारनामे द्वारा सरकारी संपत्ति का सह-अभियुक्त के नाम में स्थानांतरण – राज्य ने संपत्तियों पर प्रतिकूल दावा किया है जिसका न्यायनिर्णयन सक्षम कार्यवाहियों के दौरान किया जाना चाहिए और यदि यह पाया जाता है कि समनुदेशन पूर्णतया साम्यापूर्ण प्राधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों के परे है या प्रक्रिया में कोई अनियमितता है या समनुदेशीय संपत्ति सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित सरकारी संपत्ति है, तब सरकार से यह प्रत्याशा की जाती है कि वह विधि के सुसंगत उपबंधों का अवलंब लेते हुए ऐसे समनुदेशन को रद्द करे या विधि की प्रक्रिया के अधीन संपत्ति को स्पष्ट करने के लिए समुचित कार्यवाही करे, इस पृष्ठभूमि में आवेदकों से अभिरक्षीय पूछताछ की जानी अपेक्षित नहीं है, अत: अग्रिम जमानत मंजूर करना न्यायोचित है ।

जिमी जचेरिया और अन्य बनाम **केरल राज्य** 527

साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1)

– धारा 9 – शनाख्त परेड – आवश्यकता और प्रभाव – अभियुक्त का घटनास्थल पर ही भीड़ द्वारा गिरफ्तार किया जाना और तत्काल पुलिस को सौंपा जाना – साक्षियों के समक्ष यह अवसर उपलब्ध था कि उन्होंने अपराध कारित किए जाने के समय से लेकर लोगों की भीड़ द्वारा अपीलार्थी के पकड़े जाने तक उसको ठीक प्रकार से देख लिया था और उसे तत्काल ही पुलिस को सौंप दिया था, ऐसी स्थिति में शनाख्त परेड

पृष्ठ संख्या

कराने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है, अत: अपीलार्थी की दोषसिद्धि में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता ।

सतीश सिंह रमाशंकर बनाम **छत्तीसगढ़ राज्य** 537

– धारा 45 – चिकित्सीय साक्ष्य – क्षतियों पर बारूद न पाया जाना किंतु आहत के साक्ष्य द्वारा चिकित्सीय साक्ष्य की पुष्टि होना – चिकित्सा विशेषज्ञ कोई प्राक्षेपिकी विशेषज्ञ नहीं है, इसलिए चिकित्सक द्वारा यह साबित किया गया है कि आहत के शरीर पर अग्न्यायुध से प्रविष्टि घाव तथा निकास घाव कारित हुए हैं जिनकी पुष्टि आहत के साक्ष्य से भी होती है, अत: क्षतियों पर बारूद के न पाए जाने और उसके वस्त्रों में गोली का छेद न पाए जाने पर चिकित्सीय साक्ष्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं हो सकता, इसलिए अपीलार्थी की दोषसिद्धि उचित है ।

सतीश सिंह रमाशंकर बनाम **छत्तीसगढ़ राज्य** 537

(2020) 1 दा. नि. प. 449 इलाहाबाद

राज कुमारी (श्रीमती)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

(2016 की दांडिक पुनरीक्षण याचिका सं. 3025)

तारीख 20 सितंबर, 2019

न्यायमूर्ति नरेन्द्र कुमार जौहरी

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 125 – दहेज की मांग के कारण विवाह के मात्र चार वर्ष में ही पत्नी का परित्याग – पत्नी द्वारा भरणपोषण के लिए आवेदन – निचले न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी को समन करना – समन की तामील के बावजूद प्रत्यर्थी द्वारा न्यायालय में उपस्थित न होना – न्यायालय द्वारा एकपक्षीय रूप से सुनवाई – पत्नी द्वारा शपथपत्र में पति की आय लगभग 90,000/- रुपए प्रतिमास होने का दावा – किंतु कोई दस्तावेजी प्रमाणपत्र प्रस्तुत न किया जाना – न्यायालय द्वारा निर्णय की तारीख से 2,500/- रुपए प्रतिमास की राशि का भरणपोषण के रूप में संदाय करने का निदेश – निर्णय को चुनौती – आवेदन फाइल किए जाने की तारीख से भरणपोषण की राशि का संदाय करने और भरणपोषण की राशि में वृद्धि करने का अनुरोध – उच्च न्यायालय के अनुसार यह न्यायालय का विवेकाधिकार है कि वह भरणपोषण की राशि का संदाय करने का निदेश आवेदन फाइल करने की तारीख से या निर्णय की तारीख से दे सकता है किंतु निर्णय की तारीख से भरणपोषण मंजूर करने के लिए उसके कारणों को लेखबद्ध करना अपेक्षित है – चूंकि वर्तमान मामले में कारण लेखबद्ध नहीं किए गए थे अत: निर्णय को उलटते हुए भरणपोषण को आवेदन की तारीख से मंजूर करने का निदेश दिया गया है – न्यायालय ने यह भी

स्पष्ट किया कि भरणपोषण की राशि निर्धारित करते समय केवल पति की आय को ही ध्यान में नहीं रखना चाहिए अपितु उसके स्वास्थ्य और शारीरिक क्षमता के आधार पर उसकी धन उपार्जन की क्षमता को भी विचार में लेना चाहिए – पति चाहे दिवालिया हो या भिखारी या अव्यस्क या कोई सन्यासी, यदि वह शारीरिक रूप से सक्षम है तो उसे भरणपोषण का संदाय करना होगा ।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर पुनरीक्षणकर्ता ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 2016 की दांडिक पुनरीक्षण याचिका सं. 3025 फाइल की । वर्तमान अपील का निपटारा करने हेतु संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं – पुनरीक्षणकर्ता पत्नी है और प्रतिपक्षकार संख्या 2 उसका पति है । यह उल्लेख किया गया है कि पुनरीक्षणकर्ता का विवाह प्रतिपक्षकार संख्या 2 के साथ तारीख 16 फरवरी, 2010 को हुआ था और विवाह के समय पुनरीक्षणकर्ता के पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार दहेज के रूप में पर्याप्त सामान दिया था जैसे कि आभूषण और 50,000/- रुपए की नकद रकम, किंतु प्रतिपक्षकार संख्या 2 के कुटुंब के सदस्य पुनरीक्षणकर्ता के पिता द्वारा दिए गए दहेज से संतुष्ट नहीं थे । वे एक मोटरसाइकिल और 50,000/- रुपए नकद की और मांग अतिरिक्त दहेज के रूप में कर रहे थे । अपनी मांग पूरी न होने पर प्रतिपक्षकार संख्या 2 और उसके कुटुंब के सदस्यों ने पुनरीक्षणकर्ता को प्रताड़ित करना आरंभ कर दिया । उसकी प्रताड़ना को जारी रखते हुए तारीख 23 मई, 2014 को प्रतिपक्षकार संख्या 2 और उसके कुटुंब के सदस्यों ने पुनरीक्षणकर्ता और उसकी बहन संजु को एक कक्ष में बंद कर दिया, उनकी पिटाई की तथा जान से मारने की धमकी दी । उसी तारीख को प्रतिपक्षकार संख्या 2 ने पुनरीक्षणकर्ता और उसकी बहन को सेंट जोन्स चौराहा, आगरा के समीप छोड़ दिया और कहा कि जब तक कि उसकी दहेज संबंधी उपरोक्त मांग को पूरा नहीं किया जाता तब तक वह अपने पिता के घर में रहेगी । इसके अतिरिक्त, तारीख 12 सिंतबर, 2014 को पुनरीक्षणकर्ता का पिता अपने नातेदारों के साथ समझौते के लिए प्रतिपक्षकार संख्या 2 के निवास स्थान गया था । प्रतिपक्षकार संख्या 2 और उसके कुटुंब के सदस्यों ने अतिरिक्त दहेज के रूप में मोटर-

साइकिल और नकद राशि की मांग पुनः उनके सामने रखी और उनके साथ गाली-गलौज आरंभ कर दिया । प्रतिपक्षकार संख्या 2 और उसके कुटुंब के सदस्यों ने पुनरीक्षणकर्ता को अपने घर में रखने से साफ इनकार कर दिया । इस प्रकार अभित्यजन के पश्चात् प्रतिपक्षकार संख्या 2 ने न तो पुनरीक्षणकर्ता की कोई देखभाल की और न ही उसके भरणपोषण के लिए किसी धन का संदाय किया । प्रतिपक्षकार संख्या 2 आभूषण बनाने का कार्य करता है और इस प्रकार वह 50,000/- रुपए प्रतिमास कमाता है । उसके पास कुछ कृषि भूमि भी है । इस कृषि भूमि से उसकी आय 5,00,000/- रुपए प्रति वर्ष है । पुनरीक्षणकर्ता एक घरेलू स्त्री है । वह कोई कार्य नहीं कर रही है और वह पूर्णतया अपने पिता पर आश्रित है । पुनरीक्षणकर्ता ने यह निवेदन किया है कि उसे उसके पति से 10,000/- रुपए प्रतिमास भरणपोषण के रूप में दिलाए जाएं । विचारण न्यायालय में कार्यवाहियों के दौरान, प्रतिपक्षकारों को न्यायालय में उपस्थिति होने के लिए सूचना जारी की गई थी जिसकी उन पर तामील की गई थी किंतु वे न्यायालय में उपस्थिति नहीं हुए और न्यायालय ने एकपक्षीय रूप से उनके विरुद्ध कार्यवाही की । एकपक्षीय रूप से सुनवाई के दौरान पुनरीक्षणकर्ता/आवेदिका ने अपने आवेदन के समर्थन में शपथपत्र फाइल किया और संबद्ध न्यायालय ने तारीख 22 जुलाई, 2016 को यह आदेश पारित किया कि आदेश की तारिख से प्रतिपक्षकार संख्या 2 पुनरीक्षणकर्ता/आवेदिका को उसके भरणपोषण के लिए 2,500/- रुपए प्रतिमास का संदाय करेगा । पुनरीक्षण याचिका को मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – निचले विद्वान् न्यायालय ने आवेदन में दी गई दलीलों पर विचार करते समय पुनरीक्षणकर्ता द्वारा फाइल किए गए शपथपत्र का अवलंब लिया था और यह निष्कर्ष निकाला था कि यद्यपि पुनरीक्षणकर्ता/आवेदिका ने प्रतिपक्षकार की आय के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य फाइल नहीं किया है किंतु यह प्रतीत होता है कि प्रतिपक्षकार संख्या 2 अपनी पत्नी को भरणपोषण प्रदान करने के लिए सक्षम है जो कि उसका नैतिक कर्तव्य भी है । न्यायालय इस निष्कर्ष पर भी पहुंचा है कि पुनरीक्षणकर्ता/आवेदिका एक घरेलू स्त्री है और वह

कोई कार्य नहीं कर रही है तथा वह पूर्णतया अपने पिता पर आश्रित है । यदि कोई पति जिसके पास पर्याप्त आय के साधन हैं अपनी ऐसी पत्नी की उपेक्षा करता है या उसका भरणपोषण करने से इनकार करता है, जो स्वयं का भरणपोषण करने में असमर्थ है तो सक्षम अधिकारिता रखने वाला कोई मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन पति के विरुद्ध ऐसा आदेश पारित कर सकता है जिसमें उसे यह निदेश दिया जाए कि वह अपनी पत्नी को उसके भरणपोषण के लिए मासिक भत्ते का संदाय करे । निराश्रित पत्नी का भरणपोषण प्राप्त करने का अधिकार अनिवार्य रूप से एक सिविल अधिकार है और तद्नुसार इसके लिए दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय-9 के अधीन उपचार उबंधित किया गया है । इस अध्याय में अधिकथित प्रक्रिया को सामाजिक न्याय के एक उपाय के रूप में अधिनियमित किया गया है और सुगमता तथा सामाजिक व्यवस्था के आधारों पर शीघ्र निपटान के प्रयोजनों के लिए किसी दांडिक न्यायालय में समन किए जाने की प्रक्रिया को इसमें सम्मलित किया गया है । दंड प्रक्रिया सहिता की धारा 125 का उपखण्ड (2) यह उपबंध करता है कि भरणपोषण संबंधी भत्ते का संदाय या तो आदेश की तारीख से किया जाएगा या भरणपोषण के लिए आवेदन किए जाने की तारीख से किया जाएगा । यह उपखण्ड मजिस्ट्रेट को यह वैवेकिक शक्ति प्रदान करता है किंतु यह शक्ति स्वयं में आत्यंतिक नहीं है । विवेकाधिकार में न्यायिक विवेकाधिकार अंतर्निहित है अतः विधि यह अपेक्षा करती है कि यदि न्यायालय यह आदेश करता है कि भरणपोषण आवेदन की तारीख से संदेय न होकर आदेश की तारीख से संदेय होगा तो न्यायालय को इस आदेश के लिए कारण बताना होगा । यद्यपि पुनरीक्षण न्यायालय तथ्य संबंधी निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता किंतु जब यह दर्शित किया जाता है कि आक्षेपित आदेश को न्यायिक बुद्धिमत्ता का उपयोग न करते हुए पारित किया गया है तो ऐसे आदेश को पुनरीक्षण अधिकारिता के अधीन चुनौती दी जा सकती है । वर्तमान मामले में प्रधान न्यायाधीश के न्यायालय, कुटुंब न्यायालय, आगरा ने आदेश की तारीख से भरणपोषण की रकम का संदाय करने संबंधी आदेश पारित करने के लिए कोई कारण नहीं बताया है । दंड प्रक्रिया संहिता की

धारा 125 के अधीन आवेदन की प्रमाणित प्रति अभिलेख के पृष्ठ संख्या 14 पर उपलब्ध है जिसमें यह उपदर्शित किया गया है कि तारीख 12 सिंतबर, 2014 को प्रतिपक्षकार संख्या 2 ने याची को उसके ससुराल पक्ष के घर में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान नहीं की थी । याचिका तारीख 15 सिंतबर, 2014 को फाइल की गई थी । आवेदन की तारीख को याची अभित्यक्त स्थिति में रह रही थी, जिसके संबंध में विनिर्दिष्ट रूप से आवेदन के पैरा 7 में भी उल्लेख किया गया है । उपरोक्त तथ्य इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त हैं कि याची का भरणपोषण उसके पति द्वारा नहीं किया जा रहा था, अतः प्रथमदृष्ट्या रूप से यह प्रतीत होता है कि वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन आवेदन फाइल करने की तारीख से भरणपोषण की रकम प्राप्त करने की हकदार थी । पुनरीक्षणकर्ता/आवेदिका ने अपने आवेदन के पैरा 9 में यह उल्लेख किया है कि प्रतिपक्षकार स्वर्ण और चांदी के आभूषण तैयार करने का कार्य करता है और इस कार्य से वह 50,000/- रुपए कमाता है । इसके अतिरिक्त, उसके पास कृषि भूमि भी है जिससे वह लगभग 5,00,000/- रुपए प्रति वर्ष अर्जित करता है । स्वीकार्य रूप से पुनरीक्षणकर्ता/आवेदिका ने प्रतिपक्षकार के कारबार या उसकी कृषि भूमि के स्वामित्व से संबंधित कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, किंतु यह उपधारणा करने का कोई आधार विद्यमान नहीं है कि प्रतिपक्षकार सं. 2 शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति नहीं है । विद्वान् निचले न्यायालय ने अपने तारीख 22 जुलाई, 2016 के आदेश/निर्णय में यह निष्कर्ष भी उल्लिखित किया है कि प्रतिपक्षकार सं. 2 एक समर्थ और सक्षम व्यक्ति है । यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ और समर्थवान शरीर रखता है तो यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि उसके पास अपनी पत्नी, बालकों और माता-पिता की आजीविका का समर्थन करने हेतु पर्याप्त धन है । पर्याप्त साधन वास्तविक धनीय संसाधनों तक ही सीमित नहीं होने चाहिए किंतु इस संबंध में धन उपार्जित करने की क्षमता को भी निर्दिष्ट किया जाना चाहिए । उपबंध में प्रयुक्त "साधन" पद से केवल मूर्त संपत्ति या आय ही अभिप्रेत नहीं है अपितु इसमें उसकी धन अर्जित करने की क्षमता, संभावना और उसके जीवन का स्तर भी सम्मिलित है । अतः, यदि

प्रतिपक्षकार मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है और उसने अपने उपार्जनों के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है तो भी उसके विरुद्ध अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर निष्कर्ष निकाला जा सकता है । इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 401 के अधीन कोई पुनरीक्षण न्यायालय किसी विद्यमान आदेश में कोई संशोधन कर सकता है या कोई ऐसा पारिणामिक या अनुषंगी आदेश पारित कर सकता है जो उसे न्यायोचित या समुचित प्रतीत हो । इस संबंध में धारा 401(1) तथा धारा 386(इ) के उपबंधों का संदर्भ लिया जा सकता है । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के उपबंधों को दंड प्रक्रिया संहिता में इसलिए सम्मिलित किया गया है जिससे निराश्रियता और दीन-हीनता से बचा जा सके तथा भूख से त्रस्त व्यक्तियों को जीवनयापन उपलब्ध कराया जा सके । यह निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है कि किसी पत्नी को अपने जीवन स्तर को उस स्थिति में बनाए रखने के लिए, जो न तो आलीशान हो और न ही दरिद्र हो, भरणपोषण हेतु कितना धन उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है, जिससे वह अपने परिवार के स्तर के अनुसार अनुकूल रूप से अपना जीवनयापन कर सके । वर्तमान मामले में विद्वान् निचले न्यायालय ने पुनरीक्षणकर्ता को 2,500/- रुपए प्रतिमास की भरणपोषण राशि का संदाय किए जाने का आदेश दिया है । पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान् काउंसेल ने यह कथन किया है कि पुनरीक्षणकर्ता वर्ष 2014 से ही दयनीय स्थिति में रह रही है । विद्वान् निचले न्यायालय ने पुनरीक्षणकर्ता को 2,500/- रुपए प्रतिमास की भरणपोषण राशि का संदाय किए जाने का आदेश दिया है, जो कि 83.33/-रुपए प्रति दिन का भरणपोषण है । वर्तमान समय की महंगाई को तथा जीवनयापन की उच्चतर लागत को ध्यान में रखते हुए यह नहीं माना जा सकता कि किसी महिला के लिए स्वयं के भरणपोषण के लिए 83.33/-रुपए प्रतिदिन पर्याप्त राशि है । मेरी राय में निचले न्यायालय द्वारा नियत की गई रकम अपर्याप्त है क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार पुनरीक्षणकर्ता भरणपोषण के रूप में न्यूनतम 5,000/- रुपए प्रतिमास प्राप्त करने की हकदार है । मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर

विचार करते हुए निचले न्यायालय का तारीख 22 जुलाई, 2016 का निर्णय उस सीमा तक उपांतरित करने के लिए दायी है कि आवेदिका दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन आवेदन फाइल करने की तारीख से 5,000/- रुपए प्रतिमास की रकम को भरणपोषण के रूप में प्राप्त करने की हकदार है । (पैरा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16 और 17)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2014] 2014 ला सूटस (एस. सी.) 916 :
जैमिनीबैन हीरेनभाई व्यास और अन्य
बनाम **हीरेनभाई रमेश चन्द्र व्यास और अन्य** ; 5

[2008] 2008 ला सूटस (एस. सी.) 1030 :
शैल कुमार देवी बनाम **कृष्ण भगवान पाठक**
उर्फ **किशन बी. पाठक** ; 5

[1991] 1991 क्रिमिनल ला जर्नल 2847 :
चंद्रपाल बनाम **हरप्यारी और अन्य** ; 15

[1982] 1982 क्रिमिनल ला जर्नल 485 :
बसंत कुमारी मोहंती बनाम **शरत कुमार मोहंती** । 15

अपीली दांडिक अधिकारिता : 2016 की दांडिक पुनरीक्षण याचिका सं. 3025.

वर्ष 2014 के दांडिक मामला सं. 812 में श्री रमेश सिंह, प्रधान न्यायाधीश, आगरा द्वारा पारित तारीख 22 जुलाई, 2016 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध दांडिक पुनरीक्षण याचिका ।

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से सर्वश्री इरफान हसन, कमलेश कुमार तिवारी और कृपा शंकर पाण्डे

प्रत्यर्थी की ओर से सरकारी अधिवक्ता

न्यायमूर्ति नरेन्द्र कुमार जौहरी – वर्तमान पुनरीक्षण याचिका पुनरीक्षणकर्ता श्रीमती राज कुमारी द्वारा वर्ष 2014 के दांडिक मामला

सं. 812 में श्री रमेश सिंह, प्रधान न्यायाधीश, आगरा द्वारा "श्रीमती राज कुमारी बनाम दयाशंकर" वाले मामले में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 के अधीन पारित तारीख 22 जुलाई, 2016 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है ।

2. पुनरीक्षणकर्ता ने इस पुनरीक्षण याचिका के अधीन आक्षेपित आदेश को मुख्यतः दो आधारों पर चुनौती दी है :-

(क) अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश की तारीख से भरणपोषण की राशि का संदाय किए जाने का आदेश दिया है जो उचित नहीं है, इस राशि का संदाय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन आवेदन फाइल किए जाने की तारीख से किया जाना चाहिए ;

(ख) न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई प्रतिकर की रकम अत्यधिक कम है और उसमें बढ़ोतरी की जानी चाहिए ।

इस मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि पुनरीक्षणकर्ता पत्नी है और प्रतिपक्षकार संख्या 2 उसका पति है । यह उल्लेख किया गया है कि पुनरीक्षणकर्ता का विवाह प्रतिपक्षकार संख्या 2 के साथ तारीख 16 फरवरी, 2010 को हुआ था और विवाह के समय पुनरीक्षणकर्ता के पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार दहेज के रूप में पर्याप्त सामान दिया था जैसे कि आभूषण और 50,000/- रुपए की नकद रकम, किंतु प्रतिपक्षकार संख्या 2 के कुटुंब के सदस्य पुनरीक्षणकर्ता के पिता द्वारा दिए गए दहेज से संतुष्ट नहीं थे । वे एक मोटरसाइकिल और 50,000/- रुपए नकद की और मांग अतिरिक्त दहेज के रूप में कर रहे थे । अपनी मांग पूरी न होने पर प्रतिपक्षकार संख्या 2 और उसके कुटुंब के सदस्यों ने पुनरीक्षणकर्ता को प्रताड़ित करना आरंभ कर दिया । उसकी प्रताड़ना को जारी रखते हुए तारीख 23 मई, 2014 को प्रतिपक्षकार संख्या 2 और उसके कुटुंब के सदस्यों ने पुनरीक्षणकर्ता और उसकी बहन संजु को एक कक्ष में बंद कर दिया, उनकी पिटाई की तथा जान से मारने की धमकी दी । उसी तारीख को प्रतिपक्षकार संख्या 2 ने पुनरीक्षणकर्ता और उसकी बहन को सेंट जोन्स चौराहा, आगरा के समीप छोड़ दिया और कहा कि जब तक कि उसकी दहेज संबंधी उपरोक्त मांग को पूरा नहीं किया जाता

तब तक वह अपने पिता के घर में रहेगी । इसके अतिरिक्त, तारीख 12 सिंतबर, 2014 को पुनरीक्षणकर्ता का पिता अपने नातेदारों के साथ समझौते के लिए प्रतिपक्षकार संख्या 2 के निवास स्थान गया था । प्रतिपक्षकार संख्या 2 और उसके कुटुंब के सदस्यों ने अतिरिक्त दहेज के रूप में मोटरसाइकिल और नकद राशि की मांग पुनः उनके सामने रखी और उनके साथ गाली-गलौज आरंभ कर दिया । प्रतिपक्षकार संख्या 2 और उसके कुटुंब के सदस्यों ने पुनरीक्षणकर्ता को अपने घर में रखने से साफ इनकार कर दिया । इस प्रकार अभित्यजन के पश्चात् प्रतिपक्षकार संख्या 2 ने न तो पुनरीक्षणकर्ता की कोई देखभाल की और न ही उसके भरणपोषण के लिए किसी धन का संदाय किया । प्रतिपक्षकार संख्या 2 आभूषण बनाने का कार्य करता है और इस प्रकार वह 50,000/- रुपए प्रतिमास कमाता है । उसके पास कुछ कृषि भूमि भी है । इस कृषि भूमि से उसकी आय 5,00,000/- रुपए प्रति वर्ष है । पुनरीक्षणकर्ता एक घरेलू स्त्री है । वह कोई कार्य नहीं कर रही है और वह पूर्णतया अपने पिता पर आश्रित है । पुनरीक्षणकर्ता ने यह निवेदन किया है कि उसे उसके पति से 10,000/- रुपए प्रतिमास भरणपोषण के रूप में दिलाए जाएं ।

3. विचारण न्यायालय में कार्यवाहियों के दौरान, प्रतिपक्षकारों को न्यायालय में उपस्थिति होने के लिए सूचना जारी की गई थी जिसकी उन पर तामील की गई थी किंतु वे न्यायालय में उपस्थिति नहीं हुए और न्यायालय ने एकपक्षीय रूप से उनके विरुद्ध कार्यवाही की ।

4. एकपक्षीय रूप से सुनवाई के दौरान पुनरीक्षणकर्ता/आवेदिका ने अपने आवेदन के समर्थन में शपथपत्र फाइल किया और संबद्ध न्यायालय ने तारीख 22 जुलाई, 2016 को यह आदेश पारित किया कि आदेश की तारिख से प्रतिपक्षकार संख्या 2 पुनरीक्षणकर्ता/आवेदिका को उसके भरणपोषण के लिए 2,500/- रुपए प्रतिमास का संदाय करेगा । पुनरीक्षणकर्ता/आवेदिका ने ऊपर उल्लिखित दो आधारों पर मुख्य रूप से उक्त आदेश को चुनौती दी थी ।

5. पुनरीक्षण कार्यवाहियों के दौरान प्रतिपक्षकार संख्या 2 को सूचना जारी की गई थी, जिसकी तामील निजी तौर पर की गई थी किंतु

प्रतिपक्षकार न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ ।

6. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान् काउंसेल को सुना और साथ ही अभिलेख का परिशीलन किया । पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान् काउंसेल ने निम्नलिखित निर्णय विधि को हमारे समक्ष रखा है :–

(i) **शैल कुमार देवी** बनाम **कृष्ण भगवान पाठक** उर्फ **किशन बी. पाठक**[1] जिसका निर्णय तारीख 28 जुलाई 2008 को दिया गया था ।

(ii) **जैमिनीबैन हीरेनभाई व्यास और अन्य** बनाम **हीरेनभाई रमेश चन्द्र व्यास और अन्य**[2] जिसका निर्णय तारीख 19 नवंबर, 2014 को दिया गया था ।

7. निचले विद्वान् न्यायालय ने आवेदन में दी गई दलीलों पर विचार करते समय पुनरीक्षणकर्ता द्वारा फाइल किए गए शपथपत्र का अवलंब लिया था और यह निष्कर्ष निकाला था कि यद्यपि पुनरीक्षणकर्ता/आवेदिका ने प्रतिपक्षकार की आय के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य फाइल नहीं किया है किंतु यह प्रतीत होता है कि प्रतिपक्षकार संख्या 2 अपनी पत्नी को भरणपोषण प्रदान करने के लिए सक्षम है जो कि उसका नैतिक कर्तव्य भी है । न्यायालय इस निष्कर्ष पर भी पहुंचा है कि पुनरीक्षणकर्ता/आवेदिका एक घरेलू स्त्री है और वह कोई कार्य नहीं कर रही है तथा वह पूर्णतया अपने पिता पर आश्रित है ।

8. यदि कोई पति जिसके पास पर्याप्त आय के साधन हैं अपनी ऐसी पत्नी की उपेक्षा करता है या उसका भरणपोषण करने से इनकार करता है, जो स्वयं का भरणपोषण करने में असमर्थ है तो सक्षम अधिकारिता रखने वाला कोई मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन पति के विरुद्ध ऐसा आदेश पारित कर सकता है जिसमें उसे यह निदेश दिया जाए कि वह अपनी पत्नी को उसके भरणपोषण के लिए मासिक भत्ते का संदाय करे । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के उपबंध निम्नानुसार हैं :–

---

[1] 2008 ला सूटस (एस. सी.) 1030.

[2] 2014 ला सूटस (एस. सी.) 916.

125. **पत्नी, संतान और माता-पिता के भरणपोषण के लिए आदेश** – (1) यदि पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति –

(क) अपनी पत्नी का, जो अपना भरणपोषण करने में असमर्थ है, या

(ख) अपनी धर्मज या अधर्मज अवयस्क संतान का चाहे विवाहित हो या न हो, जो अपना भरणपोषण करने में असमर्थ है, या

(ग) अपनी धर्मज या अधर्मज संतान का (जो विवाहित पुत्री नहीं है), जिसने वयस्कता प्राप्त कर ली है, जहां ऐसी संतान किसी शारीरिक या मानसिक असामान्यता या क्षति के कारण अपना भरणपोषण करने में असमर्थ है, या

(घ) अपने पिता या माता का, जो अपना भरणपोषण करने में असमर्थ है, भरणपोषण करने में उपेक्षा करता है या भरणपोषण करने से इनकार करता है तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, ऐसी उपेक्षा या इनकार के साबित हो जाने पर, ऐसे व्यक्ति को यह निदेश दे सकता है कि वह अपनी पत्नी या ऐसी संतान, पिता या माता के भरणपोषण के लिए ऐसी मासिक दर पर, जिसे मजिस्ट्रेट ठीक समझे, मासिक भत्ता दे और उस भत्ते का संदाय ऐसे व्यक्ति को करे जिसको संदाय करने का मजिस्ट्रेट समय-समय पर निदेश दे :

परंतु मजिस्ट्रेट खंड (ख) में निर्दिष्ट अवयस्क पुत्री के पिता को निदेश दे सकता है कि वह उस समय तक ऐसा भत्ता दे जब तक वह वयस्क नहीं हो जाती है, यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि ऐसी अवयस्क पुत्री के, यदि वह विवाहित हो, पति के पास पर्याप्त साधन नहीं है :

परंतु यह और कि मजिस्ट्रेट, इस उपधारा के अधीन भरणपोषण के लिए मासिक भत्ते के संबंध में कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, ऐसे व्यक्ति को यह आदेश दे सकता है कि वह अपनी पत्नी या ऐसी संतान, पिता या माता के अंतरिम भरणपोषण के लिए मासिक भत्ता और ऐसी कार्यवाही का व्यय दे जिसे

मजिस्ट्रेट उचित समझे और ऐसे व्यक्ति को उसका संदाय करे जिसको संदाय करने का मजिस्ट्रेट समय-समय पर निदेश दे :

परंतु यह भी कि दूसरे परंतुक के अधीन अंतरिम भरणपोषण के लिए मासिक भत्ते और कार्यवाही के व्ययों का कोई आवेदन, यथासंभव, ऐसे व्यक्ति पर आवेदन की सूचना की तामील की तारीख से साठ दिन के भीतर निपटाया जाएगा ।

स्पष्टीकरण – इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए –

(क) "अवयस्क" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके बारे में भारतीय वयस्कता अधिनियम, 1875 (1875 का 9) के उपबंधों के अधीन यह समझा जाता है कि उसने वयस्कता प्राप्त नहीं की है ;

(ख) "पत्नी" के अंतर्गत ऐसी स्त्री भी है जिसके पति ने उससे विवाह-विच्छेद कर लिया है या जिसने अपने पति से विवाह-विच्छेद कर लिया है और जिसने पुनर्विवाह नहीं किया है ।

(2) भरणपोषण या अंतरिम भरणपोषण के लिए ऐसा कोई भत्ता और कार्यवाही के लिए व्यय, आदेश की तारीख से, या, यदि ऐसा आदेश दिया जाता है तो, यथास्थिति, भरणपोषण या अंतरिम भरणपोषण और कार्यवाही के व्ययों के लिए आवेदन की तारीख से संदेय होंगे ।

(3) यदि कोई व्यक्ति जिसे आदेश दिया गया हो, उस आदेश का अनुपालन करने में पर्याप्त कारण के बिना असफल रहता है तो उस आदेश के प्रत्येक भंग के लिए ऐसा कोई मजिस्ट्रेट देय रकम के ऐसी रीति से उद्गृहीत किए जाने के लिए वारंट जारी कर सकता है जैसी रीति जुर्माना उद्गृहीत करने के लिए उपबंधित है, और उस वारंट के निष्पादन के पश्चात् प्रत्येक मास के न चुकाए गए यथास्थिति, भरणपोषण या अंतरिम भरणपोषण के लिए पूरे भत्ते और कार्यवाही के व्यय या उसके किसी भाग के लिए ऐसे व्यक्ति को एक मास तक की अवधि के लिए, अथवा यदि वह उससे पूर्व चुका दिया जाता है तो चुका देने के समय तक के लिए, कारावास का दंडादेश दे सकता है :

परंतु यह और कि यदि ऐसा व्यक्ति इस शर्त पर भरणपोषण करने की प्रस्थापना करता है कि उसकी पत्नी उसके साथ रहे और वह पति के साथ रहने से इनकार करती है तो ऐसा मजिस्ट्रेट उसके द्वारा कथित इनकार के किन्हीं आधारों पर विचार कर सकता है और ऐसी प्रस्थापना के किए जाने पर भी वह इस धारा के अधीन आदेश दे सकता है यदि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसा आदेश देने के लिए न्यायसंगत आधार है ।

स्पष्टीकरण – यदि पति ने अन्य स्त्री से विवाह कर लिया है या वह रखेल रखता है तो यह उसकी पत्नी द्वारा उसके साथ रहने से इनकार का न्यायसंगत आधार माना जाएगा ।

(4) कोई पत्नी अपने पति से इस आधार के अधीन यथास्थिति, भरणपोषण या अंतरिम भरणपोषण के लिए भत्ता और कार्यवाही के व्यय प्राप्त करने की हकदार न होगी, यदि वह जारता की दशा में रह रही है अथवा यदि वह पर्याप्त कारण के बिना अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है अथवा यदि वे पारस्परिक सम्मति से पृथक् रह रहे हैं ।

(5) मजिस्ट्रेट यह साबित होने पर आदेश को रद्द कर सकता है कि कोई पत्नी, जिसके पक्ष में इस धारा के अधीन आदेश दिया गया है, जारता की दशा में रह रही है अथवा पर्याप्त कारण के बिना अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है अथवा वे पारस्परिक सम्मति से पृथक् रह रहे हैं ।

9. निराश्रित पत्नी का भरणपोषण प्राप्त करने का अधिकार अनिवार्य रूप से एक सिवील अधिकार है और तद्नुसार इसके लिए दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय-9 के अधीन उपचार उबंधित किया गया है । इस अध्याय में अधिकथित प्रक्रिया को सामाजिक न्याय के एक उपाय के रूप में अधिनियमित किया गया है और सुगमता तथा सामाजिक व्यवस्था के आधारों पर शीघ्र निपटान के प्रयोजनों के लिए किसी दांडिक न्यायालय में समन किए जाने की प्रक्रिया को इसमें सम्मलित किया गया है ।

10. दंड प्रक्रिया सहिता की धारा 125 का उपखण्ड (2) यह उपबंध करता है कि भरणपोषण संबंधी भत्ते का संदाय या तो आदेश की तारीख से किया जाएगा या भरणपोषण के लिए आवेदन किए जाने की तारीख से किया जाएगा । यह उपखण्ड मजिस्ट्रेट को यह वैवेकिक शक्ति प्रदान करता है किंतु यह शक्ति स्वयं में आत्यंतिक नहीं है । विवेकाधिकार में न्यायिक विवेकाधिकार अंतर्निहित है अतः विधि यह अपेक्षा करती है कि यदि न्यायालय यह आदेश करता है कि भरणपोषण आवेदन की तारीख से संदेय न होकर आदेश की तारीख से संदेय होगा तो न्यायालय को इस आदेश के लिए कारण बताना होगा ।

11. यद्यपि पुनरीक्षण न्यायालय तथ्य संबंधी निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता किंतु जब यह दर्शित किया जाता है कि आक्षेपित आदेश को न्यायिक बुद्धिमत्ता का उपयोग न करते हुए पारित किया गया है तो ऐसे आदेश को पुनरीक्षण अधिकारिता के अधीन चुनौती दी जा सकती है । वर्तमान मामले में प्रधान न्यायाधीश के न्यायालय, कुंटुंब न्यायालय, आगरा ने आदेश की तारीख से भरणपोषण की रकम का संदाय करने संबंधी आदेश पारित करने के लिए कोई कारण नहीं बताया है।

12. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन आवेदन की प्रमाणित प्रति अभिलेख के पृष्ठ संख्या 14 पर उपलब्ध है जिसमें यह उपदर्शित किया गया है कि तारीख 12 सिंतबर, 2014 को प्रतिपक्षकार संख्या 2 ने याची को उसके ससुराल पक्ष के घर में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान नहीं की थी । याचिका तारीख 15 सिंतबर, 2014 को फाइल की गई थी । आवेदन की तारीख को याची अभित्यक्त स्थिति में रह रही थी, जिसके संबंध में विनिर्दिष्ट रूप से आवेदन के पैरा 7 में भी उल्लेख किया गया है । उपरोक्त तथ्य इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त हैं कि याची का भरणपोषण उसके पति द्वारा नहीं किया जा रहा था, अतः प्रथमदृष्ट्या रूप से यह प्रतीत होता है कि वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन आवेदन फाइल करने की तारीख से भरणपोषण की रकम प्राप्त करने की हकदार थी ।

13. **जैमिनीबैन हीरेनभाई व्यास और अन्य** बनाम **हीरेनभाई रमेशचन्द्र व्यास और अन्य** (उपरोक्त) वाले मामले का निर्णय तारीख 19

नवबंर, 2014 को दिया गया था । माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय के पैरा 8 और 9 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है :-

"8. शैलिल कुमारी देवी **बनाम** कृष्ण भगवान पाठक वाले मामले में इस न्यायलय ने इस प्रश्न पर विचार किया था कि कोई मजिस्ट्रेट किस तारीख से पत्नी, बालकों या माता-पिता को भरणपोषण का संदाय करने का आदेश दे सकता है । शैल कुमार देवी वाले मामले में इस न्यायालय ने विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए अनेक निर्णयों पर विचार किया था और उसके पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि एक सामान्य नियम के रूप में यह अभिनिर्धारित करना ठीक नहीं होगा कि मजिस्ट्रेट को आदेश की तारीख से भरणपोषण का संदंय करने के लिए आदेश करना चाहिए और न कि भरणपोषण के लिए आवेदन करने की तारीख से । अतः यह मजिस्ट्रेट का विवेकाधिकार है कि वह आवेदन की तारीख से भरणपोषण की रकम का संदाय करने का आदेश कर सकता है । न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया और हम भी इस बात से सहमत हैं कि यदि मजिस्ट्रेट ऐसा कोई आदेश पारित करने का आशय रखता है तो उससे यह अपेक्षित है कि वह ऐसे आदेश के समर्थन में कारणों को लेखबद्ध करे । इस प्रकार ऐसे भरणपोषण को आदेश की तारीख से ही संदाय करने का आदेश किया जा सकता है या यथास्थिति भरणपोषण के लिए आवेदन करने की तारीख से भी यह संदाय करने का आदेश दिया जा सकता है । आवेदन की तारीख से भरणपोषण की रकम का संदय करने संबंधी आदेश के लिए अभिव्यक्त आदेश आवश्यक है ।

9. हमारे समक्ष रखे गए मामले में उच्च न्यायालय ने आवेदन की तारीख से भरणपोषण की रकम का संदाय करने का आदेश दिए जाने के लिए कोई कारण नहीं बताया है । हमारा यह विचार है कि परिस्थितियां प्रमुख रूप से आवेदन की तारीख से भरणपोषण की रकम के संदाय को न्यायोचित ठहराती हैं विशेष रूप से इस निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए कि अपीलार्थी ने अपने विवाह से पूर्व कार्य किया था और अपने विवाह के दौरान उसने

कोई कार्य नहीं किया है । पति और पत्नी के रूप में एक साथ निवास करने की अवधि के दौरान उसकी आय के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है । अतः हम इस संबंध में उच्च न्यायालय के आदेश को पलटते हैं और यह निदेश देते हैं कि प्रत्यर्थी भरणपोषण के लिए आवेदन किए जाने की तारीख से भरणपोषण की रकम का संदाय करेगा । जहां तक निचले न्यायालयों द्वारा हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 24 के अधीन भरणपोषण प्रदान किए जाने का संबंध है, वह यथावत् बना रहेगा ।"

14. **शैल कुमारी देवी और अन्य** बनाम **कृष्ण भगवान पाठक** (उपरोक्त) वाले मामले में 28 जुलाई, 2008 को निर्णय दिया गया था जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैरा 44 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया था :-

"44. हमारी सुविचारित राय में उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया जाना सही नहीं था कि सामान्य नियम के रूप में मजिस्ट्रेट को भरणपोषण आदेश की तारीख से ही मंजूर करना चाहिए और न कि भरणपोषण हेतु आवेदन फाइल करने की तारीख से और यदि वह ऐसा कोई आदेश पारित करने का आशय रखता है तो उससे यह अपेक्षित होगा कि वह ऐसे आदेश के समर्थन में कारणों को लेखबद्ध करे । जैसा कि के. शिवराम वाले मामले में देखा गया है दोनों ही दशाओं में कारणों को लेखबद्ध करना होगा । न्यायालय इस निष्कर्ष पर सही रूप में पहुंचा था कि जब कभी संसद् का यह आशय होता है कि न्यायालय को विशेष रूप से कारणों का कथन करना चाहिए तो वह न्यायालय से ऐसे कारणों को लेखबद्ध करने की अपेक्षा करते हुए विनिर्दिष्ट उपबंध करती है ।"

15. पुनरीक्षणकर्ता/आवेदिका ने अपने आवेदन के पैरा 9 में यह उल्लेख किया है कि प्रतिपक्षकार स्वर्ण और चांदी के आभूषण तैयार करने का कार्य करता है और इस कार्य से वह 50,000/- रुपए कमाता है । इसके अतिरिक्त, उसके पास कृषि भूमि भी है जिससे वह लगभग 5,00,000/- रुपए प्रतिवर्ष अर्जित करता है । स्वीकार्य रूप से

पुनरीक्षणकर्ता/आवेदिका ने प्रतिपक्षकार के कारबार या उसकी कृषि भूमि के स्वामित्व से संबंधित कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, किंतु यह उपधारणा करने का कोई आधार विद्यमान नहीं है कि प्रतिपक्षकार सं. 2 शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति नहीं है । विद्वान् निचले न्यायालय ने अपने तारीख 22 जुलाई, 2016 के आदेश/निर्णय में यह निष्कर्ष भी उल्लिखित किया है कि प्रतिपक्षकार सं. 2 एक समर्थ और सक्षम व्यक्ति है । यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ और समर्थवान शरीर रखता है तो यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि उसके पास अपनी पत्नी, बालकों और माता-पिता की आजीविका का समर्थन करने हेतु पर्याप्त धन है । पर्याप्त साधन वास्तविक धनीय संसाधनों तक ही सीमित नहीं होने चाहिएं किंतु इस संबंध में धन उपार्जित करने की क्षमता को भी निर्दिष्ट किया जाना चाहिए । उपबंध में प्रयुक्त "साधन" पद से केवल मूर्त संपत्ति या आय ही अभिप्रेत नहीं है अपितु इसमें उसकी धन अर्जित करने की क्षमता, संभावना और उसके जीवन का स्तर भी सम्मिलित है ।

इस न्यायालय द्वारा **चंद्रपाल** बनाम **हरप्यारी और अन्य**[1] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि :-

> "13. मोहम्मद अयूब बनाम जैबुल निसा वाले मामले में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि किसी पति द्वारा उसकी पत्नी को संदाय किए जाने हेतु निर्दिष्ट किए जाने वाले भत्ते की राशि उसके साधनों से सुसंगत होनी चाहिए । जहां मजिस्ट्रेट इस प्रश्न पर विचार नहीं करता कि पति के पास किस प्रकार के साधन उपलब्ध हैं या उसके द्वारा कितना धन अर्जित किए जाने की संभावना है, वहां उसके द्वारा उसकी पत्नी को किए जाने वाले संदाय या भत्ते के आदेश को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता और इसलिए ऐसा आदेश अपास्त किए जाने का दाई है ।"

इसी बिंदु पर उड़ीसा उच्च न्यायालय की एक अन्य न्यायपीठ ने **बसंत कुमारी मोहंती** बनाम **शरत कुमार मोहंती**[2] वाले मामले में अपने

---

[1] 1991 क्रिमिनल ला जर्नल 2847.

[2] 1982 क्रिमिनल ला जर्नल 485.

आदेश के पैरा 7 में यह अभिनिर्धारित किया है कि :-

> "7. निस्संदेह रूप से धारा 125 के अधीन कोई आदेश केवल तभी पारित किया जा सकता है यदि पर्याप्त साधन रखने वाला कोई व्यक्ति अपनी पत्नी, बालकों, माता-पिता आदि की अनदेखी करता है या उनका भरणपोषण करने से इनकार करता है । तथापि, यह सुस्थापित है कि धारा 125 में आने वाला "साधन" पद न केवल दृष्य साधनों, जैसे कि वास्तविक संपत्ति या स्थायी नियोजन को सम्मिलित करता है और यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ है तथा समर्थवान शरीर रखता है तो उसके बारे में यह माना जाना चाहिए कि उसके पास अपनी पत्नी, बालकों आदि का भरणपोषण करने के लिए पर्याप्त साधन हैं । न्यायालय यह अधिकथित करने की सीमा तक भी गए हैं कि पति चाहे दिवालिया हो या कोई वृत्तिक रूप से भिखारी या अव्यस्क या संन्यासी हो तो भी उसे तब तक अपनी पत्नी का भरणपोषण करना चाहिए जब तक कि उसका शरीर समर्थवान है और वह अपनी आजीविका का अर्जन कर सकता है ।"

अतः, यदि प्रतिपक्षकार मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है और उसने अपने उपार्जनों के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है तो भी उसके विरुद्ध अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर निष्कर्ष निकाला जा सकता है ।

16. इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 401 के अधीन कोई पुनरीक्षण न्यायालय किसी विद्यमान आदेश में कोई संशोधन कर सकता है या कोई ऐसा पारिणामिक या अनुषंगी आदेश पारित कर सकता है जो उसे न्यायोचित या समुचित प्रतीत हो । इस संबंध में धारा 401(1) तथा धारा 386(ङ) के उपबंधों का संदर्भ लिया जा सकता है । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के उपबंधों को दंड प्रक्रिया संहिता में इसलिए सम्मिलित किया गया है जिससे निराश्रियता और दीन-हीनता से बचा जा सके तथा भूख से त्रस्त व्यक्तियों को जीवनयापन उपलब्ध कराया जा सके । यह निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है कि किसी पत्नी को अपने जीवन स्तर को उस

स्थिति में बनाए रखने के लिए, जो न तो आलीशान हो और न ही दरिद्र हो, भरणपोषण हेतु कितना धन उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है, जिससे वह अपने परिवार के स्तर के अनुसार अनुकूल रूप से अपना जीवनयापन कर सके । वर्तमान मामले में विद्वान् निचले न्यायालय ने पुनरीक्षणकर्ता को 2,500/- रुपए प्रतिमास की भरणपोषण राशि का संदाय किए जाने का आदेश दिया है । पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान् काउंसेल ने यह कथन किया है कि पुनरीक्षणकर्ता वर्ष 2014 से ही दयनीय स्थिति में रह रही है ।

17. विद्वान् निचले न्यायालय ने पुनरीक्षणकर्ता को 2,500/- रुपए प्रतिमास की भरणपोषण राशि का संदाय किए जाने का आदेश दिया है, जो कि 83.33/- रुपए प्रतिदिन का भरणपोषण है । वर्तमान समय की महंगाई को तथा जीवनयापन की उच्चतर लागत को ध्यान में रखते हुए यह नहीं माना जा सकता कि किसी महिला के लिए स्वयं के भरणपोषण के लिए 83.33/- रुपए प्रतिदिन पर्याप्त राशि है । मेरी राय में निचले न्यायालय द्वारा नियत की गई रकम अपर्याप्त है क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार पुनरीक्षणकर्ता भरणपोषण के रूप न्यूनतम 5,000/- रुपए प्रतिमास प्राप्त करने की हकदार है ।

18. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए निचले न्यायालय का तारीख 22 जुलाई, 2016 का निर्णय उस सीमा तक उपांतरित करने के लिए दाई है कि आवेदिका दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन आवेदन फाइल करने की तारीख से 5,000/- रुपए प्रतिमास की रकम को भरणपोषण के रूप में प्राप्त करने की हकदार है ।

19. परिणामत: पुनरीक्षण याचिका मंजूर की जाती है ।

पु.

पुनरीक्षण याचिका मंजूर की गई ।

(2020) 1 दा. नि. प. 468 इलाहाबाद

सुनील दुआ

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

(2019 का दांडिक जमानत आवेदन सं. 30621)

तारीख 7 नवंबर, 2019

न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी

भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 376(2)(च)(झ)(ढ) और 506 [सपठित बालकों का यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 5/6] – कक्षा 7 में पढ़ने वाली एक बालिका का उसके निजी शिक्षक द्वारा लगभग एक वर्ष तक यौन उत्पीड़न – बालिका का अवसादग्रस्त होना और मनोचिकित्सक द्वारा उपचार – निजी शिक्षक को हटाया जाना, जिसके पश्चात् उसके द्वारा पीड़ित लड़की का पीछा किया जाना, फोन पर धमकी तथा ब्लैकमेल किया जाना – पीड़ित लड़की द्वारा व्यस्कता प्राप्त करने पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज किया जाना – गिरफ्तारी – पॉक्सो विशेष न्यायालय द्वारा जमानत अर्जी खारिज किया जाना – अभियुक्त का कर्क रोग से पीड़ित होने के आधार का अवलंब लेते हुए उच्च न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया जाना – न्यायालय के अनुसार शिक्षक और शिष्य के न्यासीय संबंध को कलंकित करने वाले और एक तरुण बालिका का यौन उत्पीड़न करने वाले अभियुक्त को उसके असाध्य रोग के प्रति सहानुभूति दर्शित करते हुए जमानत मंजूर नहीं की जा सकती – यद्यपि उसके मामले के शीघ्र निपटान का निदेश दिया जा सकता है ।

वर्तमान अपील का निपटारा करने हेतु संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं, तारीख 14 अप्रैल, 2019 को पीड़िता ने स्वयं एकमात्र अभियुक्त सुनील दुआ के विरुद्ध वर्तमान प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की थी जिसमें उसने उसके द्वारा उसके बाल्यकाल में हुए यौन शोषण की कहानी सामने रखी थी । यह प्रथम इत्तिला रिपोर्ट घटना की तारीखों के रूप में तारीख 1

जनवरी, 2012 से 1 जनवरी, 2013 के बीच की अवधि को उपदर्शित करती है । तथापि, यह प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तारीख 14 अप्रैल, 2019 को, अर्थात् छह वर्षों के अवसान के पश्चात् उस समय रजिस्टर की गई थी जब पीड़िता ने व्यस्कता की आयु प्राप्त कर ली थी । यह प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दंड संहिता की धारा 376(2)(च)(झ)(ढ), 506 तथा बालकों का यौन अपराधों से संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की धारा 5/6 के अधीन पुलिस थाना सिविल लाइन्स, जिला इलाहाबाद में रजिस्टर की गई थी । इस प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में यह कथन किया गया है कि नामित अभियुक्त व्यक्ति उसका निजी शिक्षक था और उसे फरवरी, 2013 में उसके कार्य से हटा दिया गया था और उसके पश्चात् से ही वह निरंतर पीड़ित लड़की का पीछा कर रहा था और साथ ही टेलीफोन पर उसे धमकियां भी दे रहा था और पीड़िता/सूचना देने वाले व्यक्ति को ब्लैकमेल करते हुए मानसिक तथा भावनात्मक रूप से उस हद तक प्रताड़ित कर रहा कि वह आत्म-हत्या करने की कगार पर पहुंच गई थी । वस्तुत: प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में संक्षिप्त रूप से यह आरोप लगाया गया है कि पीड़िता के बाल्यकाल के दौरान, जब वह कक्षा 7 की छात्रा थी तब अभियुक्त-आवेदक सुनील दुआ द्वारा उस पर लैंगिक रूप से हमला किया गया था जो उस समय उसका निजी शिक्षक था । इस निरंतर शारीरिक/मनोवैज्ञानिक हमले के कारण पीड़िता गहरे सदमे में चली गई और उसने अत्यधिक मानसिक पीड़ा का सामना किया जिसके लिए वह उस समय से ही एक मनोचिकित्सक से उपचार प्राप्त कर रही है । उसके पश्चात् जब उसने व्यस्कता की आयु प्राप्त कर ली तो उसने अपने बाल्यकाल के दौरान अपनी प्रताड़ना और व्यथा की दुखभरी कहानी बताते हुए वर्तमान प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की थी । पूर्वोक्त प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने के अगले दिन ही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन उसके कथन को लेखबद्ध किया गया था जिसमें उस अवधि को निर्दिष्ट किया गया था जब वह कक्षा 7 की छात्रा थी और साथ ही उन तरीकों और साधनों को भी उल्लिखित किया गया था जिनके द्वारा पूर्वोक्त अभियुक्त-आवेदक ने उसका यौन शोषण किया था । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त को गिरफ्तार किया

गया । तदुपरांत उसने विशेष न्यायाधीश, पोक्सो अधिनियम न्यायालय सं. 8 में जमानत आवेदन फाइल किया जिसे उपरोक्त न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया । उक्त निर्णय से व्यथित होकर आवेदक ने प्रोस्टेट ग्रंथि के मैटास्टेटिक कर्क रोक से पीड़ित होने के आधार पर उच्च न्यायालय में जमानत आवेदन फाइल किया । उच्च न्यायालय ने जमानत आवेदन खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – इस न्यायालय ने दोनों पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों को विस्तारपूर्वक सुना, संबद्ध शपथपत्रों के साथ संलग्न अनुलग्नकों का परिशीलन किया तथा उनके अपने-अपने शपथपत्रों में किए गए प्रकथनों के समर्थन में दिए गए दस्तावेजों का भी परिशीलन किया । स्वीकार्य रूप से सुसंगत समय पर सूचना देने वाले व्यक्ति/पीड़िता तथा आवेदक के बीच का संबंध एक शिक्षक और शिष्य के रूप में एक पवित्र संबंध था । छह वर्षों के अवसान के पश्चात् पीड़िता ने अपनी दुर्भाग्यपूर्ण प्रताड़ना की कहानी सामने रखी है और उसके पश्चात् से ही आवेदक उसे प्रताड़ित कर रहा है तथा टेलीफोन पर उससे दुर्व्यवहार कर रहा है या विद्यालय अथवा बाजार जाते समय उसका पीछा कर रहा है । किसी भी शिक्षक के लिए इस प्रकार का आचार शर्मनाक है । आवेदक की विद्वान् काउंसेल सुश्री स्वाति अग्रवाल श्रीवास्तव ने यह दलील दी है कि चूंकि आवेदक एक कठोर शिक्षक था, केवल इस कारण और उद्देश्य से उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है । यह तर्क पूर्णतया असंगत है क्योंकि हमारे समाज में हम सभी जीवन के इन चरणों से गुजरे हैं और हम अपने बाल्यकाल को अभी भी प्रसन्नतापूर्वक स्मरण करते हैं और इसलिए हम अपनी बाल्यावस्था में किए गए अच्छे और बुरे कार्यों को कभी प्रसन्नतापूर्वक याद करते हैं और कभी-कभी हमें उनके लिए ग्लानि भी होती है । वर्तमान मामले में आवेदक द्वारा किए गए दुष्कर्म अभी भी पीड़िता को एक बुरे स्वप्न के रूप में स्मरण हैं । जहां तक आवेदक की संपत्ति को हड़पने का संबंध है, यह तर्क भी कोई बल नहीं रखता है । दोनों परिवारों की वित्तीय पृष्ठ-भूमि संतोषजनक है और इस प्रकार धन ऐंठने के लिए आवेदक को मिथ्या रूप से इस मामले में फंसाए जाने की दलील में कोई बल प्रतीत नहीं होता है । शपथ-पत्र के पैरा 14, 15 और 16 में यह प्रकथन किया गया है कि पीड़िता प्रत्येक दिन आवेदक से

जेब खर्च के रूप में धन (1000-2000/- रुपए) की मांग करती थी और उसके पश्चात् उसने आवेदक से 10,000/- रुपए की मांग की और जब आवेदक ने इस अयुक्तियुक्त मांग को मानने से इनकार किया तो उसने उसे एक दांडिक मामले में मिथ्या रूप से फंसाने की धमकी दी । अभियुक्त व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया गया संपूर्ण परिदृष्य असत्य प्रतीत होता है क्योंकि उसके द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि कक्षा 7 में पढ़ने वाली एक अप्राप्तवय लड़की अपने माता-पिता की बजाय अपने अध्यापक से धन की मांग करेगी । सभी दलीलों को विस्तारपूर्वक सुनने और उन पर विचार करने के पश्चात् इस न्यायालय को इस बात में कोई युक्तियुक्त औचित्य प्रतीत नहीं होता है कि पीड़िता अभियुक्त-आवेदक को वर्तमान मामले में मिथ्या रूप से क्यों फंसाने की चेष्टा करेगी, वह भी छह वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् । निस्संदेह रूप से घटना की तारीखों और समय के संबंध में कतिपय विरोधाभास विद्यमान हैं किंतु विशिष्ट रूप से एक युवा लड़की का यह आरोप सत्य प्रतीत होता है कि उसका बलात्कार एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया, जिसके साथ वह न्यासीय संबंध रखती थी और यह बात यह सिद्ध करती है कि अभियुक्त व्यक्ति एक गिद्ध जैसे नीच, कुत्सित और बुरे चरित्र का व्यक्ति है । जहां तक आवेदक के निजी स्वास्थ्य का संबंध है, आवेदक के विद्वान् काउंसेल द्वारा यह तर्क दिया गया है कि वह प्रोस्टेट ग्रंथि के मैटास्टेटिक कर्क रोग से पीड़ित है और डा. बी. पॉल द्वारा दी गई रिपोर्ट भी इसकी पुष्टि करती है । उक्त रिपोर्ट में यह कथन किया गया है कि उसका उपचार एम्स, नई दिल्ली में चल रहा है और वर्तमान में उसका स्वास्थ्य स्थिर बना हुआ है । तारीख 2 अक्तूबर, 2019 की उसकी पीएसए की रिपोर्ट भी यह दर्शित करती है कि वह सामान्य रेंज में है । न्यायालय को आवेदक के स्वास्थ्य के संबंध में उससे सभी प्रकार की सहानुभूति है किंतु दूसरे ओर यह तथ्य भी विद्यमान है कि उस पर ऐसी लड़की से, जो उसकी शिष्या थी और उससे न्यासीय संबंध रखती थी, छेड़खानी, दुर्व्यवहार करने तथा न्यासभंग का आरोप लगाया गया है । अत: विद्यमान परिस्थितियों के अधीन मुझे ऐसा कोई उत्तम कारण प्रतीत नहीं होता है जिसके लिए मैं आवेदक के पक्ष में अपने विवेकाधिकार का उपयोग करूं । इसलिए आवेदक के जमानत आवेदन को खारिज किया जाता है । तथापि, आवेदक के स्वास्थ्य को ध्यान में

रखते हुए विद्वान् विचारण न्यायाधीश को यह निदेश दिया जाता है कि विचारण का शीघ्र निपटारा करें और तारीख 15 मई, 2020 तक पूरा करने के लिए सभी आवश्यक प्रयास करें परंतु यह कि अभियोजन और प्रतिपक्ष पर्याप्त रूप से सहयोग दें और विचारण का शीघ्र निपटारा करने के लिए मामले में कोई अवांछित स्थगन न लें । (पैरा 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 और 22)

अपीली दांडिक अधिकारिता : 2019 का दांडिक जमानत आवेदन सं. 30621.

वर्ष 2019 के दांडिक मामला सं. 147, जिसे भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) (जिसे इसमें इसके पश्चात् दंड संहिता कहा गया है) की धारा 376(2)(च)(झ)(ढ), 506 तथा बालकों का यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 5/6 के अधीन पुलिस थाना सिविल लाइन्स, जिला इलाहाबाद में फाइल किया गया था, में वर्ष 2019 के जमानत आवेदन सं. 2657 में अपर सेशन न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, पोक्सो अधिनियम न्यायालय सं. 8 द्वारा तारीख 2 जुलाई, 2019 को पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध दांडिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन ।

आवेदक की ओर से श्री अरविंद वर्मा और सुश्री स्वाति अग्रवाल श्रीवास्तव

प्रति पक्षकार की ओर से सरकारी अधिवक्ता और श्री चेतन चटर्जी

न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी – आवेदक की विद्वान् काउंसेल सुश्री स्वाति अग्रवाल श्रीवास्तव, शिकायतकर्ता के विद्वान् काउंसेल श्री चेतन चटर्जी और विद्वान् सरकारी अधिवक्ता श्री एस. के. पाल को सुना तथा मामले के अभिलेख का परिशीलन किया ।

2. दोनों पक्षकारों के बीच में अभिवाकों का आदान-प्रदान हुआ है तथा यह मामला अंतिम तर्कणा हेतु सामने रखा गया है ।

3. इस न्यायालय के पूर्व आदेश के अनुसरण में आज इस न्यायालय को कारागार अधीक्षक, केंद्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज से तारीख 7 नवंबर, 2019 का एक सीलबंद पत्र प्राप्त हुआ है जिसके साथ डा. पाल थलियथ, अपर निदेशक, चिकित्सा और मुख्य परामर्शी,

प्रादेशिक कर्क रोग केंद्र, कमला नेहरू मेमोरियल अस्पताल, इलाहाबाद द्वारा दी गई रिपोर्ट को संलग्न किया गया है, जो अभियुक्त-आवेदक के अभिकथित "असाध्य रोग" से संबंधित है और साथ ही हमने संपूर्ण अभिलेख का परिशीलन भी किया है ।

4. प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में दिए गए तथ्यों के अनुसार जैसा कि आवेदक के विद्वान् काउंसेल द्वारा भी कथन किया गया है, तारीख 14 अप्रैल, 2019 को पीड़िता ने स्वयं एकमात्र अभियुक्त सुनील दुआ के विरुद्ध वर्तमान प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की थी जिसमें उसने उसके द्वारा उसके बाल्यकाल में हुए यौन शोषण की कहानी सामने रखी थी । यह प्रथम इत्तिला रिपोर्ट घटना की तारीखों के रूप में तारीख 1 जनवरी, 2012 से 1 जनवरी, 2013 के बीच की अवधि को उपदर्शित करती है । तथापि, यह प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तारीख 14 अप्रैल, 2019 को, अर्थात् छह वर्षों के अवसान के पश्चात् उस समय रजिस्टर की गई थी जब पीड़िता ने व्यस्कता की आयु प्राप्त कर ली थी । यह प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दंड संहिता की धारा 376(2)(च)(झ)(ढ), 506 तथा बालकों का यौन अपराधों से संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की धारा 5/6 के अधीन पुलिस थाना सिविल लाइन्स, जिला इलाहाबाद में रजिस्टर की गई थी ।

5. इस प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में यह कथन किया गया है कि नामित अभियुक्त व्यक्ति उसका निजी शिक्षक था और उसे फरवरी, 2013 में उसके कार्य से हटा दिया गया था और उसके पश्चात् से ही वह निरंतर पीड़ित लड़की का पीछा कर रहा था और साथ ही टेलीफोन पर उसे धमकियां भी दे रहा था और पीड़िता/सूचना देने वाले व्यक्ति को ब्लैकमेल करते हुए मानसिक तथा भावनात्मक रूप से उस हद तक प्रताड़ित कर रहा कि वह आत्महत्या करने की कगार पर पहुंच गई थी । वस्तुत: प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में संक्षिप्त रूप से यह आरोप लगाया गया है कि पीड़िता के बाल्यकाल के दौरान, जब वह कक्षा 7 की छात्रा थी तब अभियुक्त-आवेदक सुनील दुआ द्वारा उस पर लैंगिक रूप से हमला किया गया था जो उस समय उसका निजी शिक्षक था । इस निरंतर शारीरिक/मनोवैज्ञानिक हमले के कारण पीड़िता गहरे सदमे में चली गई और उसने अत्यधिक मानसिक पीड़ा का सामना किया जिसके लिए वह

उस समय से ही एक मनोचिकित्सक से उपचार प्राप्त कर रही है । उसके पश्चात् जब उसने व्यस्कता की आयु प्राप्त कर ली तो उसने अपने बाल्यकाल के दौरान अपनी प्रताड़ना और व्यथा की दुखभरी कहानी बताते हुए वर्तमान प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की थी । पूर्वोक्त प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने के अगले दिन ही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन उसके कथन को लेखबद्ध किया गया था जिसमें उस अवधि को निर्दिष्ट किया गया था जब वह कक्षा 7 की छात्रा थी और साथ ही उन तरीकों और साधनों को भी उल्लिखित किया गया था जिनके द्वारा पूर्वोक्त अभियुक्त-आवेदक ने उसका यौन शोषण किया था । दी गई शेष दलीलें लगभग वही हैं और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों के तत्समान हैं ।

6. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन किया गया कथन, जिसे तारीख 18 अप्रैल, 2019 को लेखबद्ध किया गया था, स्वयं अभियोजिका द्वारा दिया गया एक लंबा कथन है जिसमें एक बालिका की दुर्भाग्यपूर्ण व्यथा का कथन किया गया है जिसे सभी प्रकार के यौन शोषण का सामना करने हेतु इस हद तक मजबूर किया गया जिसमें उसके गुप्तांगों को वासना से भरे एक विषयासक्त व्यक्ति जो इस मामले में अभियुक्त है, के कामुक हाथों द्वारा छुआ गया था । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन दिए गए अपने कथन में पीड़िता ने उसके द्वारा उस समय जब वह कक्षा 7 की एक अव्यस्क छात्रा थी, झेली गई यौन प्रताड़ना के गहन ब्यौरे उपलब्ध कराए हैं ।

7. आवेदक के विद्वान् काउंसेल ने यह अभिकथन करते हुए अपनी दलीलों को आरंभ किया कि पीड़िता ने स्वयं डाक्टर द्वारा अपनी चिकित्सीय परीक्षा कराने से इनकार कर दिया था जिसके कारण उसके ऊपर हुए यौन हमले के आरोपों को सुस्थापित नहीं किया जा सका था । आवेदक के विद्वान् काउंसेल द्वारा यह और दलील दी गई है कि किसी पुष्टिकारक साक्ष्य के अभाव में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन अभिकथित पीड़ित लड़की के कथन पर बिना कोई शक-शुब्हा किए विश्वास करना अत्यंत जोखिमपूर्ण होगा । यह और कथन किया गया है कि उसके द्वारा झेले जा रहे गहरे मानसिक अवसाद का आरोप भी

पूर्णतया झूठा प्रतीत होता है क्योंकि उसने वर्ष 2017 में अपनी कक्षा 10 की आईसीएससी की परीक्षा में 'ए' ग्रेड प्राप्त किया था और इस प्रकार ऐसी कोई लड़की जो गहन मानसिक अवसाद से पीड़ित हो अपनी माध्यमिक विद्यालय की परीक्षा में उच्च ग्रेड प्राप्त नहीं कर सकती । आवेदक के विद्वान् काउंसेल द्वारा यह और कथन किया गया है कि यौन उत्पीड़न की तारीखों/अवधि में भी कतिपय विरोधाभास हैं जो एक-दूसरे से मेल नहीं खाते हैं और इस प्रकार वे अभियोजन पक्ष की कहानी के प्रति गंभीर संदेह उत्पन्न करते हैं । इसके अतिरिक्त दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन दिए गए कथन में बलात्संग का कोई आरोप नहीं लगाया गया है । विद्वान् काउंसेल द्वारा यह और दलील दी गई है कि चूंकि आवेदक अपनी वृत्ति के अनुसार एक सख्त और मेहनती शिक्षक था इसलिए छह वर्ष की अवधि के पश्चात् शिकायतकर्ता आवेदक को मिथ्या रूप से संलिप्त करने वाली एक झूठी कहानी के साथ सामने आई है । इसके अतिरिक्त, यह भी दलील दी गई है कि चूंकि आवेदक एक संपन्न कुटुंब से संबंध रखता है इसलिए उसकी संपत्ति को हासिल करने के लिए लड़की द्वारा उसे इस दुर्भाग्यपूर्ण और गंदे मामले में संलिप्त करने के लिए एक मनगढ़ंत कहानी तैयार की गई है । अंत में यह कथन किया गया है कि आवेदक प्रोस्टेट ग्रंथि के मैटास्टेटिक कर्क रोग से पीड़ित है जो काफी अग्रिम प्रक्रम पर है और इसलिए इस न्यायालय द्वारा उसके संबंध में सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए ।

8. इसके विपरीत श्री चेतन चटर्जी, परिवादी के विद्वान् काउंसेल ने आवेदक के विद्वान् काउंसेल द्वारा दी गई प्रत्येक दलील के प्रति प्रबल रूप से इनकार किया है । परिवादी के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट कोई अति व्यापक विश्वकोष नहीं है जिसमें किसी घटना के छोटे से छोटे ब्यौरे उपलब्ध कराए जा सकें । वर्तमान मामले में लड़की, जो घटना के समय कक्षा 7 की छात्रा थी, ने पूरे छह वर्ष तक विक्षोभ का सामना किया है जिसमें वह अपने शिक्षक द्वारा किए गए यौन उत्पीड़न का सामना करती रही जिसने उसको इस प्रकार अश्मीभूत कर दिया कि वह इस संपूर्ण अवधि के दौरान अपने माता-पिता तक को इस घटना के बारे में नहीं बता सकी । वस्तुत:

आवेदक ने प्रारंभ में ही पीड़ित लड़की को उस सीमा तक आतंकित कर दिया था कि वह अपने माता-पिता के समक्ष भी अपना मुंह नहीं खोल सकी और आवेदक इन कमजोर क्षणों का लाभ उठाते हुए पीड़ित लड़की के साथ अपनी पाश्विक प्यास को बुझाता रहा । सत्य यह है कि आवेदक एक मनोवैज्ञानिक रोग से पीड़ित है जिसे पीड़ोफीला कहा जाता है (इस रोग में कोई व्यक्ति तरुण लड़का-लड़की के प्रति लैंगिक रूप से सम्मोहित होता है । इस रोग को एक ऐसे मनोवैज्ञानिक रोग के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें कोई व्यस्क व्यक्ति या कोई बड़ी आयु का किशोर तरुण बालक/बालिकाओं के प्रति लैंगिक रूप से आकर्षण/सम्मोहन को महसूस करता है । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन लेखबद्ध किए गए पीड़ित लड़की के कथन से यह प्रकट होता है कि पीड़ित लड़की ने निश्चित रूप से ही अपनी बाल्यावस्था में झेले गए इस बुरे अनुभव और बुरे समय से स्वयं को उबार लिया है । आवेदक शिक्षा देने की आड़ में अपनी शिष्या (पीड़िता) के साथ अकेले समय व्यतीत करता था जिस दौरान वह उसे थपथपाते हुए उसके गुप्तांगों को बुरी नियत से छूता था । आवेदक के इस दुर्व्यवहार और अनिष्ट कार्यों ने पीड़िता के मन पर अत्यधिक प्रतिकूल छाप छोड़ी है ।

9. जहां तक पीड़िता की वित्तीय और पारिवारिक पृष्ठ-भूमि का संबंध है वह संतोषजनक है । उसकी माता सैम हिगिनबोटम कृषि, प्रौद्योगिकी और विज्ञान विश्वविद्यालय (एसएचयूएटीएस), नैनी, इलाहाबाद में सहबद्ध प्रोफेसर हैं जबकि उसके पिता वाराणसी स्थित बेसेंट विद्यालय में अध्यापक हैं । इसके अतिरिक्त उसके माता-पिता सिविल लाइन्स, इलाहाबाद में एक प्रतिष्ठित रेस्तरां भी चलाते हैं और वित्तीय रूप से समृद्ध हैं ।

10. परिवादी के विद्वान् काउंसेल ने, आवेदक के अस्थिर स्वास्थ्य की स्थिति को स्थापित करने वाले शपथ-पत्र के साथ संलग्न चिकित्सीय नुस्खे को गंभीरतापूर्वक चुनौती दी है और आवेदक द्वारा दिए गए जमानत संबंधी आवेदन का प्रबल रूप से विरोध किया है ।

11. इस न्यायालय ने दोनों पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों को

विस्तारपूर्वक सुना, संबद्ध शपथपत्रों के साथ संलग्न अनुलग्नकों का परिशीलन किया तथा उनके अपने-अपने शपथपत्रों में किए गए प्रकथनों के समर्थन में दिए गए दस्तावेजों का भी परिशीलन किया ।

12. स्वीकार्य रूप से सुसंगत समय पर सूचना देने वाले व्यक्ति/पीड़िता तथा आवेदक के बीच का संबंध एक शिक्षक और शिष्य के रूप में एक पवित्र संबंध था । छह वर्षों के अवसान के पश्चात् पीड़िता ने अपनी दुर्भाग्यपूर्ण प्रताड़ना की कहानी सामने रखी है और उसके पश्चात् से ही आवेदक उसे प्रताड़ित कर रहा है तथा टेलीफोन पर उससे दुर्व्यवहार कर रहा है या विद्यालय अथवा बाजार जाते समय उसका पीछा कर रहा है । किसी भी शिक्षक के लिए इस प्रकार का आचार शर्मनाक है ।

13. आवेदक की विद्वान् काउंसेल सुश्री स्वाति अग्रवाल श्रीवास्तव ने यह दलील दी है कि चूंकि आवेदक एक कठोर शिक्षक था, केवल इस कारण और उद्देश्य से उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है ।

14. यह तर्क पूर्णतया असंगत है क्योंकि हमारे समाज में हम सभी जीवन के इन चरणों से गुजरे हैं और हम अपने बाल्यकाल को अभी भी प्रसन्नतापूर्वक स्मरण करते हैं और इसलिए हम अपनी बाल्यावस्था में किए गए अच्छे और बुरे कार्यों को कभी प्रसन्नतापूर्वक याद करते हैं और कभी-कभी हमें उनके लिए ग्लानि भी होती है । वर्तमान मामले में आवेदक द्वारा किए गए दुष्कृत्य अभी भी पीड़िता को एक बुरे स्वप्न के रूप में स्मरण हैं ।

15. जहां तक आवेदक की संपत्ति को हड़पने का संबंध है, यह तर्क भी कोई बल नहीं रखता है । दोनों परिवारों की वित्तीय पृष्ठ-भूमि संतोषजनक है और इस प्रकार धन ऐंठने के लिए आवेदक को मिथ्या रूप से इस मामले में फंसाए जाने की दलील में कोई बल प्रतीत नहीं होता है । शपथ-पत्र के पैरा 14, 15 और 16 में यह प्रकथन किया गया है कि पीड़िता प्रत्येक दिन आवेदक से जेब खर्च के रूप में धन (1,000-2,000/- रुपए) की मांग करती थी और उसके पश्चात् उसने आवेदक से 10,000/- रुपए की मांग की और जब आवेदक ने इस अयुक्तियुक्त मांग को मानने से इनकार किया तो उसने उसे एक दांडिक मामले में मिथ्या

रूप से फंसाने की धमकी दी । अभियुक्त-व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया गया संपूर्ण परिदृष्य असत्य प्रतीत होता है क्योंकि उसके द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि कक्षा 7 में पढ़ने वाली एक अप्राप्तवय लड़की अपने माता-पिता की बजाय अपने अध्यापक से धन की मांग करेगी ।

16. सभी दलीलों को विस्तारपूर्वक सुनने और उन पर विचार करने के पश्चात् इस न्यायालय को इस बात में कोई युक्तियुक्त औचित्य प्रतीत नहीं होता है कि पीड़िता अभियुक्त-आवेदक को वर्तमान मामले में मिथ्या रूप से क्यों फंसाने की चेष्टा करेगी, वह भी छह वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् ।

17. निस्संदेह रूप से घटना की तारीखों और समय के संबंध में कतिपय विरोधाभास विद्यमान हैं किंतु विशिष्ट रूप से एक युवा लड़की का यह आरोप सत्य प्रतीत होता है कि उसका बलात्कार एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया, जिसके साथ वह न्यासीय संबंध रखती थी और यह बात यह सिद्ध करती है कि अभियुक्त-व्यक्ति एक गिद्ध जैसे नीच, कुत्सित और बुरे चरित्र का व्यक्ति है ।

18. जहां तक आवेदक के निजी स्वास्थ्य का संबंध है, आवेदक के विद्वान् काउंसेल द्वारा यह तर्क दिया गया है कि वह प्रोस्टेट ग्रंथि के मैटास्टेटिक कर्क रोग से पीड़ित है और डा. बी. पॉल द्वारा दी गई रिपोर्ट भी इसकी पुष्टि करती है । उक्त रिपोर्ट में यह कथन किया गया है कि उसका उपचार एम्स, नई दिल्ली में चल रहा है और वर्तमान में उसका स्वास्थ्य स्थिर बना हुआ है । तारीख 2 अक्तूबर, 2019 की उसकी पीएसए की रिपोर्ट भी यह दर्शित करती है कि वह सामान्य रेंज में है ।

19. न्यायालय को आवेदक के स्वास्थ्य के संबंध में उससे सभी प्रकार की सहानुभूति है किंतु दूसरे ओर यह तथ्य भी विद्यमान है कि उस पर ऐसी लड़की से, जो उसकी शिष्या थी और उससे न्यासीय संबंध रखती थी, छेड़खानी, दुर्व्यवहार करने तथा न्यासभंग का आरोप लगाया गया है ।

20. हमारे शास्त्रों के अनुसार किसी भी शिक्षक को अपना नैतिक चरित्र सर्वोपरि रखना चाहिए और उसमें सांसारिक सुखों के प्रति कोई आकर्षण नहीं होना चाहिए तथा उसे अपने शिष्यों के समक्ष मिथ्या

कथनों से बचना चाहिए । इस संबंध में हमारे शास्त्रों में एक श्लोक का उल्लेख किया गया है, जिसे नीचे प्रस्तुत किया गया है :–

सर्वाभिलाषिण: सर्वभोजिन: सपरिग्रहा: । अब्रह्मचारिणों मिथ्योपदेशा गुरवो न तु ।।

भावार्थ :

अभिलाषा रखने वाले, सब भोग करने वाले, संग्रह करने वाले, ब्रह्मचर्य का पालन न करने वाले, और मिथ्या उपदेश करने वाले, गुरु नहीं हैं ।

21. अत: विद्यमान परिस्थितियों के अधीन मुझे ऐसा कोई उत्तम कारण प्रतीत नहीं होता है जिसके लिए मैं आवेदक के पक्ष में अपने विवेकाधिकार का उपयोग करूं । इसलिए आवेदक के जमानत आवेदन को खारिज किया जाता है ।

22. तथापि, आवेदक के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए विद्वान् विचारण न्यायाधीश को यह निदेश दिया जाता है कि विचारण का शीघ्र निपटारा करें और तारीख 15 मई, 2020 तक पूरा करने के लिए सभी आवश्यक प्रयास करें परंतु यह कि अभियोजन और प्रतिपक्ष पर्याप्त रूप से सहयोग दें और विचारण का शीघ्र निपटारा करने के लिए मामले में कोई अवांछित स्थगन न लें ।

23. यह और निदेश दिया जाता है कि वरिष्ठ कारागार अधीक्षक, नैनी आवेदक के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और जब कभी अपेक्षित हो, आवेदक को उसकी आवधिक चिकित्सीय जांच के लिए, केवल विचारण की अवधि के दौरान सरकारी खर्च पर एम्स, नई दिल्ली भेजने की व्यवस्था करेंगे ।

आवेदन खारिज किया गया ।

पु.

जय प्रकाश

बनाम

उत्तराखंड राज्य

(2019 की दांडिक जेल अपील सं. 64)

तारीख 7 जनवरी, 2019

न्यायमूर्ति आलोक सिंह और न्यायमूर्ति रवीन्द्र मैथानी

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 376कख (संशोधन अधिनियम, 2018 के पश्चात्), 377 और 302 [सपठित लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 5/6] – अप्राप्तवय कन्या के साथ बलात्संग और उसकी हत्या – मृतका का अभियुक्त-अपीलार्थी के साथ अंतिम बार जीवित देखा जाना – चिकित्सीय साक्ष्य से बलात्संग की पुष्टि – मृतका के कपड़ों पर अभियुक्त के डी. एन. ए. की पुष्टि – मृतका को अभियुक्त-अपीलार्थी के साथ अंतिम बार जीवित देखा गया था और उसका शव भी अपीलार्थी के कमरे से बरामद किया गया तथा चिकित्सीय साक्ष्य से मृतका के साथ बलात्संग की भी पुष्टि होती है और स्कूल के अभिलेख से मृतका की आयु 11 वर्ष साबित हुई है अत: अभियुक्त-अपीलार्थी की दोषसिद्धि में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता ।

दंड संहिता, 1860 – धारा 376कख और 201 – नृशंस हत्या – मृत्युदंड – साक्ष्य नष्ट करने का प्रयास – विरल से विरलतम मामला – अपीलार्थी ने 11 वर्ष की कन्या के साथ योनिक और गुदा प्रवेशन द्वारा बलात्संग करके उसकी नृशंस हत्या की है और मृतका के शव को छिपाकर साक्ष्य नष्ट करने का प्रयास किया है जिसमें अभियुक्त-अपीलार्थी का कृत्य इतना राक्षसी है कि इससे न केवल न्यायिक गरिमा पर आघात पहुंचा है अपितु इससे समाज की छवि भी धूमिल हुई है, अत: यह मामला विरल से विरलतम मामले की कोटि में आता है जिसमें मृत्युदंड दिया जाना ही न्यायोचित है ।

मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि इत्तिलाकर्ता मध्यप्रदेश का निवासी है और उसका संबंध समाज के निम्नतर वर्ग से है । अभियुक्त-अपीलार्थी तथा इत्तिलाकर्ता दोनों श्रमिक हैं और निर्माणाधीन स्थल पर अल्पकालिक झोपड़ियों में रहते हैं । तारीख 28 जुलाई, 2018 को आहत के पिता अभि. सा. 1 द्वारा पुलिस थाना सहसपुर, विकास नगर, जिला देहरादून में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई गई जिसमें यह कथन किया गया कि वह एक श्रमिक है और वह शिवालिक इंजीनियरिंग कालेज के निर्माणाधीन स्थल पर बनी झोपड़ी में रहता है । यह भी अभिकथन किया गया है कि वह ठेकेदार कुलभूषण का कर्मचारी/श्रमिक है और वह अपनी पत्नी और छोटी बच्ची (मृतका/आहत) के साथ उक्त झोपड़ी में रहता है । उसका भाई शिवचरण अपनी पत्नी सोमवती और दो बच्चों के साथ उपरोक्त झोपड़ी में रहता है । वह अपनी पत्नी के साथ काम पर जाया करता था किन्तु पिछले दो दिनों से वह भारी वर्षा होने के कारण काम पर नहीं जा सका । यह भी प्रतिवाद किया गया है कि उसकी पुत्री (आहत) उसके भाई के बच्चों के साथ खेल रही थी । अपराह्न लगभग 12.30 बजे उसकी पुत्री लापता हो गई और उसके भाई के बच्चों के साथ दिखाई नहीं दी । तब उसने अपनी पुत्री के बारे में अपने भाई के बच्चों से मालूम किया, तब उन्होंने उसे बताया कि जयप्रकाश तिवारी उन्हें अपनी झोपड़ी पर ले गया था और उसने प्रत्येक बच्चे को 10-10 रुपए दिए थे और दोनों को (खाने-पीने की) चीज खरीदने भेज दिया किन्तु उसने मृतका को नहीं जाने दिया । सोमवती (अभि. सा. 13) ने उसे सूचित किया कि उसने उसकी झोपड़ी की तरफ जयप्रकाश तिवारी को बच्चों के साथ जाते हुए देखा था । जयप्रकाश मृतका का हाथ पकड़े हुए था । थोड़ी देर बाद उसके भाई के बच्चे वापस आ गए और उन्होंने अपनी मां को सूचित किया कि जयप्रकाश ने उन्हें 10-10 रुपए दिए हैं । जब अभि. सा. 1 जयप्रकाश के पास अपनी पुत्री के पते-ठिकाने को जानने के लिए गया तब अभियुक्त जयप्रकाश ने उसे बताया कि मृतका उससे 10 रुपए लेकर चली गई है । इसके पश्चात्, वह अन्य व्यक्तियों के साथ मृतका को तलाश करने लगा । तलाश करने के दौरान मोहम्मद आलम नायर ने बताया कि मृतका जयप्रकाश

की झोपड़ी में रखे सीमेंट के खाली कट्टों के नीचे पड़ी हुई पाई गई है । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में यह भी अभिकथन किया गया है कि योगेश और सुरेश जो ठेकेदार लल्लन के पुत्र हैं, जयप्रकाश तिवारी के साथ उसकी झोपड़ी में रहते हैं । घटना वाले दिन योगेश और सुरेश अपने काम पर चले गए थे । तथापि, जयप्रकाश अपनी झोपड़ी में अकेला था । यह भी प्रतिवाद किया गया है कि जयप्रकाश ने बलात्संग के पश्चात् उसकी पुत्री की हत्या की है । अपराध कारित करने के पश्चात् जयप्रकाश फरार हो गया । उक्त सूचना के आधार पर अभियुक्त जयप्रकाश के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई गई । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने के पश्चात् अन्वेषण अधिकारी ने अन्वेषण आरंभ किया और तारीख 28 जुलाई, 2018 को मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार की ; मृतका का शव शवपरीक्षण के लिए भेजा । डा. चिराग बहुगुणा (अभि. सा. 4) ने तारीख 29 जुलाई, 2018 को शवपरीक्षण किया । शवपरीक्षण रिपोर्ट में मृत्यु का कारण हाथ से दबाकर गला घोंटना पाया गया । अन्वेषण अधिकारी ने स्थल नक्शा तैयार किया और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 161 के अधीन साक्षियों के कथन अभिलिखित किए । मृतका के पिता अभि. सा. 1, कुलभूषण (अभि. सा. 2), योगेश कुमार (अभि. सा. 6) और नायर आजम (अभि. सा. 3) के कथन मजिस्ट्रेट द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन अभिलिखित किए गए । अन्वेषण अधिकारी ने जयप्रकाश तिवारी को गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी ज्ञापन तैयार किया साथ ही अभियुक्त की गिरफ्तारी की सूचना से संबंधित ज्ञापन भी तैयार किया । अन्वेषण पूरा होने के पश्चात् अन्वेषण अधिकारी ने अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया । तारीख 22 नवंबर, 2018 को विचारण न्यायालय ने अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302, 201, 376, 377 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के अधीन आरोप विरचित किए । अभियुक्त-अपीलार्थी को सभी आरोप पढ़कर सुनाए गए । उसने आरोपों से इनकार किया और विचारण की मांग की । विचारण न्यायालय ने अभियुक्त-अपीलार्थी को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "पॉक्सो अधिनियम" निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 5/6 और

भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "दंड संहिता" निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 376 (कख), 377, 302 और 201 के अधीन दोषसिद्ध किया है तथा जीवित रहने तक कारावास में रहने और 20,000/- रुपए जुर्माने का संदाय करने जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर अतिरिक्त दो वर्ष के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के अधीन 5 वर्ष के कारावास से तथा 5,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर अतिरिक्त कारावास से दंडादिष्ट किया है और दंड संहिता की धारा 201 के अधीन 6 मास के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया और दंड संहिता की धारा 302 के अधीन मृत्युदंड अधिरोपित किया है तथा 30,000/- रुपए जुर्माने से जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर अतिरिक्त कारावास से दंडादिष्ट किया है । इस आदेश से व्यथित होकर अभियुक्त-अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की । अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – ऊपर और कई स्थानों पर उपदर्शित किया गया है कि अभियुक्त को अंतिम बार मृतका के साथ देखा गया था और मृतका का शव अभियुक्त के कमरे से बरामद किया गया है । शवपरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार मृतका की योनि और गुदा क्षतिग्रस्त पाई गई है जिससे यह उपदर्शित होता है कि मृतका के साथ अभियुक्त द्वारा बलपूर्वक प्रवेशन करके बलात्संग किया गया है । पॉक्सो अधिनियम की धारा 29 के अधीन यह उपबंध किया गया है कि जहां किसी व्यक्ति को इस अधिनियम की धारा 3, धारा 5, धारा 7 और धारा 9 के अधीन किसी अपराध को करने या दुष्प्रेरण करने या उसको करने का प्रयत्न करने के लिए अभियोजित किया गया है वहां विशेष न्यायालय तब तक यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने, यथास्थिति, वह अपराध किया है, दुष्प्रेरण किया है या उसको करने का प्रयत्न किया है जब तक कि इसके विरुद्ध साबित नहीं कर दिया जाता है । उपरोक्त उपधारणा, दांडिक विचारण में किसी अभियुक्त को उपलब्ध निर्दोषिता की उपधारणा के सामान्य नियम का अपवाद है । उपरोक्त उपबंध को दृष्टिगत करते हुए अभियुक्त के विरुद्ध यह उपधारणा है कि उसने वह अपराध कारित किया है जिसके लिए उसका विचारण किया जा रहा है । स्वयं अभियुक्त

प्रतिरक्षा साक्षी के रूप में पेश हुआ है । अपनी प्रतिरक्षा में उसने यह कथन किया है कि घटना के दिन अर्थात् तारीख 28 जुलाई, 2018 को वह छुट्टी पर था ; उसने योगेश और सुरेश के साथ बैठकर शराब पी और उसके पश्चात् वह अपने कमरे में सो गया । इसके पश्चात् उसे योगेश और सुरेश के साथ ठेकेदार द्वारा पुलिस थाना सहसपुर लाया गया जहां पर पुलिसकर्मियों ने सादा कागज पर उसके हस्ताक्षर लिए । इसके पश्चात्, ठेकेदार ने सुरेश और योगेश को पुलिस अभिरक्षा से उन्मुक्त कर दिया, तथापि, उसे पुलिस थाने में निरुद्ध कर लिया गया और जब वह पुलिस थाने में पुलिस की अभिरक्षा में था, तब उसे पता चला कि किसी लड़की का शव उसके कमरे में पाया गया है । अपनी प्रतिरक्षा में अभियुक्त द्वारा किए गए उपरोक्त अभिसाक्ष्य का परिशीलन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि अभियुक्त ने यह स्वीकार किया है कि घटना के दिन वह अपने कमरे में था और उसे अपने कमरे में पाए जाने वाले शव के बारे में तब पता चला जब वह पुलिस अभिरक्षा में था, इसके अतिरिक्त न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट से पता चलता है कि मृतका के अंत:वस्त्रों से प्राप्त डी. एन. ए., अभियुक्त के डी. एन. ए. से मेल खाता है और यह साक्ष्य वैज्ञानिक और सारभूत साक्ष्य है । अपीलार्थी का इस अपराध में अंतर्वलित होना पूर्णत: साबित हो गया है । इसके अतिरिक्त अभियुक्त यह स्पष्ट नहीं कर सका है कि कुलभूषण (अभि. सा. 2) और योगेश (अभि. सा. 6) ने उसके विरुद्ध साक्ष्य क्यों दिया है । अभियुक्त यह स्पष्ट करने में भी असफल रहा है कि मास्टर राकेश (अभि. सा. 11) और रानी (अभि. सा. 12) ने, जो कि अवयस्क है, उसके विरुद्ध साक्ष्य क्यों दिया है । (पैरा 20, 21 और 22)

अपीलार्थी जय प्रकाश ने मात्र 11 वर्ष की कन्या के साथ योनिक और गुदा प्रवेशन द्वारा बलात्संग करके नृशंस हत्या की है । इतना ही नहीं उसने मृतका के शव को छिपाकर साक्ष्य नष्ट करने का भी प्रयास किया है । अभियुक्त-अपीलार्थी पर लगाए गए आरोप संदेह के परे साबित किए गए हैं । अपीलार्थी जय प्रकाश की निर्दोषिता साबित नहीं होती है । इस न्यायालय को इस मामले में कोई भी संदेह दिखाई नहीं दिया है । अभियुक्त-अपीलार्थी पर लगाए गए आरोप सभी युक्तियुक्त

संदेह के परे निश्चित रूप से साबित किए गए हैं । अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा कारित कृत्य इतना राक्षसी है कि इससे न केवल न्यायिक गरिमा पर आघात पहुंचा है अपितु इससे समाज की छवि भी धूमिल हुई है और यह मामला निश्चित रूप से विरल से विरलतम मामले की कोटि में आता है जिसमें मृत्युदंड के सिवाय अन्य कोई दंड नहीं दिया जा सकता । अत:, इस न्यायालय का यह मत है कि विशेष अपर जिला न्यायाधीश (बालक संरक्षण अधिनियम) देहरादून द्वारा पारित निर्णय में कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता । (पैरा 26 और 29)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2016] 2016 का दांडिक निदेश सं. 1 :

उत्तराखंड राज्य बनाम **अख्तर अली** । 25

2018 के सेशन विचारण मामला सं. 119 में विशेष सेशन न्यायाधीश (पॉक्सो) द्वारा तारीख 26/28 अगस्त, 2019 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2019 की दांडिक जेल अपील सं 64.

अपीलार्थी की ओर से सुश्री मनीषा भंडारी और श्री सिद्धार्थ साह (न्यायमित्र)

प्रत्यर्थी की ओर से श्री वी. के. जैमिनी (उप महाधिवक्ता)

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति आलोक सिंह ने दिया ।

न्या. सिंह – वर्तमान अपील 2018 के सेशन विचारण मामला सं. 119 में विशेष सेशन न्यायाधीश (पॉक्सो) द्वारा तारीख 26/28 अगस्त, 2019 के उस निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके द्वारा विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभियुक्त-अपीलार्थी को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "पॉक्सो अधिनियम" निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 5/6 और भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "दंड संहिता"

निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 376 (कख), 377, 302 और 201 के अधीन दोषसिद्ध किया है तथा जीवित रहने तक कारावास में रहने और 20,000/- रुपए जुर्माने का संदाय करने जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर अतिरिक्त दो वर्ष के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के अधीन 5 वर्ष के कारावास से तथा 5,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर अतिरिक्त कारावास से दंडादिष्ट किया है और दंड संहिता की धारा 201 के अधीन 6 मास के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया और दंड संहिता की धारा 302 के अधीन मृत्युदंड अधिरोपित किया है तथा 30,000/- रुपए जुर्माने से जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर अतिरिक्त कारावास से दंडादिष्ट किया है ।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि इत्तिलाकर्ता मध्यप्रदेश का निवासी है और उसका संबंध समाज के निम्नतर वर्ग से है । अभियुक्त-अपीलार्थी तथा इत्तिलाकर्ता दोनों श्रमिक हैं और निर्माणाधीन स्थल पर अल्पकालिक झोपड़ियों में रहते हैं । तारीख 28 जुलाई, 2018 को आहत के पिता अभि. सा. 1 द्वारा पुलिस थाना सहसपुर, विकास नगर, जिला देहरादून में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई गई जिसमें यह कथन किया गया कि वह एक श्रमिक है और वह शिवालिक इंजीनियरिंग कालेज के निर्माणाधीन स्थल पर बनी झोपड़ी में रहता है । यह भी अभिकथन किया गया है कि वह ठेकेदार कुलभूषण का कर्मचारी/श्रमिक है और वह अपनी पत्नी और छोटी बच्ची (मृतका/ आहत) के साथ उक्त झोपड़ी में रहता है । उसका भाई शिवचरण अपनी पत्नी सोमवती और दो बच्चों के साथ उपरोक्त झोपड़ी में रहता है । वह अपनी पत्नी के साथ काम पर जाया करता था किन्तु पिछले दो दिनों से वह भारी वर्षा होने के कारण काम पर नहीं जा सका । यह भी प्रतिवाद किया गया है कि उसकी पुत्री (आहत) उसके भाई के बच्चों के साथ खेल रही थी । अपराह्न लगभग 12.30 बजे उसकी पुत्री लापता हो गई और उसके भाई के बच्चों के साथ दिखाई नहीं दी । तब उसने अपनी पुत्री के बारे में अपने भाई के बच्चों से मालूम किया, तब उन्होंने उसे बताया कि

जयप्रकाश तिवारी उन्हें अपनी झोपड़ी पर ले गया था और उसने प्रत्येक बच्चे को 10-10 रुपए दिए थे और दोनों को (खाने-पीने की) चीज खरीदने भेज दिया किन्तु उसने मृतका को नहीं जाने दिया । सोमवती (अभि. सा. 13) ने उसे सूचित किया कि उसने उसकी झोपड़ी की तरफ जयप्रकाश तिवारी को बच्चों के साथ जाते हुए देखा था । जयप्रकाश मृतका का हाथ पकड़े हुए था । थोड़ी देर बाद उसके भाई के बच्चे वापस आ गए और उन्होंने अपनी मां को सूचित किया कि जयप्रकाश ने उन्हें 10-10 रुपए दिए हैं । जब अभि. सा. 1 जयप्रकाश के पास अपनी पुत्री के पते-ठिकाने को जानने के लिए गया तब अभियुक्त जयप्रकाश ने उसे बताया कि मृतका उससे 10 रुपए लेकर चली गई है । इसके पश्चात्, वह अन्य व्यक्तियों के साथ मृतका को तलाश करने लगा । तलाश करने के दौरान मोहम्मद आलम नायर ने बताया कि मृतका जयप्रकाश की झोपड़ी में रखे सीमेंट के खाली कट्टों के नीचे पड़ी हुई पाई गई है । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में यह भी अभिकथन किया गया है कि योगेश और सुरेश जो ठेकेदार लल्लन के पुत्र हैं, जयप्रकाश तिवारी के साथ उसकी झोपड़ी में रहते हैं । घटना वाले दिन योगेश और सुरेश अपने काम पर चले गए थे । तथापि, जयप्रकाश अपनी झोपड़ी में अकेला था । यह भी प्रतिवाद किया गया है कि जयप्रकाश ने बलात्संग के पश्चात् उसकी पुत्री की हत्या की है । अपराध कारित करने के पश्चात् जयप्रकाश फरार हो गया । उक्त सूचना के आधार पर अभियुक्त जयप्रकाश के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई गई ।

3. प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने के पश्चात् अन्वेषण अधिकारी ने अन्वेषण आरंभ किया और तारीख 28 जुलाई, 2018 को मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार की ; मृतका का शव शवपरीक्षण के लिए भेजा । डा. चिराग बहुगुणा (अभि. सा. 4) ने तारीख 29 जुलाई, 2018 को शवपरीक्षण किया । शवपरीक्षण रिपोर्ट में मृत्यु का कारण हाथ से दबाकर गला घोंटना पाया गया । अन्वेषण अधिकारी ने स्थल नक्शा तैयार किया और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 161 के अधीन साक्षियों के कथन अभिलिखित किए । मृतका के पिता अभि. सा. 1,

कुलभूषण (अभि. सा. 2), योगेश कुमार (अभि. सा. 6) और नायर आजम (अभि. सा. 3) के कथन मजिस्ट्रेट द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन अभिलिखित किए गए । अन्वेषण अधिकारी ने जयप्रकाश तिवारी को गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी ज्ञापन तैयार किया साथ ही अभियुक्त की गिरफ्तारी की सूचना से संबंधित ज्ञापन भी तैयार किया । अन्वेषण पूरा होने के पश्चात् अन्वेषण अधिकारी ने अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया ।

4. तारीख 22 नवंबर, 2018 को विचारण न्यायालय ने अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302, 201, 376, 377 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के अधीन आरोप विरचित किए । अभियुक्त-अपीलार्थी को सभी आरोप पढ़कर सुनाए गए । उसने आरोपों से इनकार किया और विचारण की मांग की ।

5. अभियोजन पक्ष ने अपना पक्षकथन साबित करने के लिए कुल मिलाकर 17 साक्षियों की परीक्षा कराई जिनमें मृतका के पिता (अभि. सा. 1), कुलभूषण (अभि. सा. 2), मोहम्मद नायर आलम (अभि. सा. 3), डा. चिराग बहुगुणा (अभि. सा. 4), उपनिरीक्षक लक्ष्मी जोशी (अभि. सा. 5), योगेश (अभि. सा. 6), कांस्टेबल हरीशंकर कन्याल (अभि. सा. 7), मृतका की माता (अभि. सा. 8), प्रसून शुक्ला (अभि. सा. 9), पुलिस उपनिरीक्षक राज विक्रम सिंह पंवार (अभि. सा. 10), मास्टर राकेश (अभि. सा. 11), रानी **उर्फ** चहना (अभि. सा. 12), सोमवती (अभि. सा. 13), कांस्टेबल राजीव कुमार (अभि. सा. 14), डा. आर. सी. आर्या (अभि. सा. 15), पुलिस उप निरीक्षक एन. एस. राठौड़ (अभि. सा. 16) और डा. मनोज कुमार अग्रवाल (अभि. सा. 17) हैं ।

6. अपीलार्थी की परीक्षा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन भी कराई गई । उसने निर्दोष होने का दावा किया और अभियोजन पक्षकथन से इनकार किया । अपीलार्थी ने यह भी कथन किया है कि वह निर्दोष है और उसे इस मामले में मिथ्या फंसाया गया है । उसने यह भी प्रतिवाद किया है कि उसके कमरे/झोंपड़ी से न तो शव

बरामद किया गया है न ही इस अपराध से संबंधित कोई वस्तु बरामद की गई है ।

7. पक्षकारों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेलों को सुनने और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन करने के पश्चात् अपीलार्थी को विचारण न्यायालय द्वारा उपरोक्त रूप में दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया । इन परिस्थितियों में मृत्युदंड की पुष्टि के लिए 2019 का निर्देश सं. 2 पारित किया गया है । अपीलार्थी ने अपनी दोषमुक्ति की ईप्सा करते हुए 2019 की दांडिक जेल अपील सं. 64 जेल से ही फाइल की है ।

8. मैंने पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों को विस्तार से सुना है और आक्षेपित निर्णय तथा मामले के संपूर्ण अभिलेख का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है ।

9. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह तर्क दिया है कि अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह के परे अपना पक्षकथन साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है । यह भी दलील दी गई है कि अधिकांश साक्षी हितबद्ध साक्षी हैं । उनमें या तो मृतका के नातेदार हैं या निकट संबंधी हैं, तथापि, विचारण न्यायालय ने उपरोक्त हितबद्ध साक्षियों के ही परिसाक्ष्य का अवलंब लेकर अपीलार्थी को अवैध रूप से दोषसिद्ध किया है । अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी है कि साक्षियों के कथनों में घोर विरोधाभास है किन्तु विचारण न्यायालय ने उन विरोधाभाषों पर ध्यान दिए बिना अपीलार्थी को आक्षेपित निर्णय द्वारा दोषसिद्ध किया है ।

10. अपीलार्थी की ओर से यह भी दलील दी गई है कि अभियोजन पक्षकथन के अनुसार भी अभियुक्त अन्य दो व्यक्तियों अर्थात् योगेश और सुरेश के साथ कमरे में रहता था, तथापि, उन्हें अभियुक्त नहीं बनाया गया है । यह भी दलील दी गई है कि शव की बरामदगी से संबंधित साक्षियों का अभिसाक्ष्य विरोधाभासी है और विश्वासोत्पादक प्रतीत नहीं होता है । मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट (पंचनामा) में शव को सीमेंट के खाली कट्टों के नीचे छिपा हुआ दिखाया गया है ; इसके अतिरिक्त

कुलभूषण (अभि. सा. 2) ने अपनी परीक्षा के दौरान भिन्न नाम का उल्लेख किया है, तथापि, मृतका के माता-पिता ने मृतका का भिन्न नाम दर्शाया है । अपीलार्थी की ओर से यह भी तर्क दिया गया है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है कि घटना के समय मृतका की आयु 12 वर्ष से कम थी, अत: पॉक्सो अधिनियम के उपबंधों के अधीन किया गया विचारण अवैध है ।

11. जहां तक अभियुक्त के कमरे से शव बरामद किए जाने का संबंध है मृतका के पिता अर्थात् इत्तिलाकर्ता (अभि. सा. 1), कुलभूषण (अभि. सा. 2), मोहम्मद नायर आलम (अभि. सा. 3) ने अपने मौखिक साक्ष्य द्वारा जयप्रकाश के कमरे से शव बरामद किए जाने का तथ्य साबित किया है । इन साक्षियों ने अपने अभिसाक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह अभिकथन किया है कि उन्होंने मृतका को देखा है जो जयप्रकाश के कमरे में सीमेंट के खाली कट्टों के नीचे छिपी पाई गई थी । योगेश (अभि. सा. 6) ने मृतका के पिता (अभि. सा. 1), कुलभूषण (अभि. सा. 2) और मोहम्मद नायर आलम (अभि. सा. 3) के कथनों का समर्थन किया है । योगेश (अभि. सा. 6) ने अपनी परीक्षा के दौरान यह कथन किया है कि तारीख 28 जुलाई, 2018 को अभियुक्त जयप्रकाश अपने काम पर नहीं गया था ; वह अपने कमरे में ही मौजूद था और शराब पी रहा था । अपराह्न लगभग 12.30 बजे जब वह मशीन लेने के लिए अपनी झोंपड़ी में आया तब उसने अभियुक्त को मृतका और दो बच्चों के साथ देखा । प्रतिरक्षा पक्ष ने योगेश (अभि. सा. 6) की प्रति-परीक्षा विस्तार से की है किन्तु उसके कथन से कोई भी विरोधाभाषी सामग्री उद्धृत नहीं हुई है और इस प्रकार अभियोजन पक्ष जयप्रकाश के कमरे से मृतका का शव बरामद किए जाने से संबंधित तथ्य को साबित करने में सफल रहा है । उपर्युक्त साक्षियों के अतिरिक्त मास्टर राकेश (अभि. सा. 11), रानी **उर्फ** चहना (अभि. सा. 12) और सोमवती (अभि. सा. 13) तथ्य के साक्षी हैं और इन साक्षियों ने अपने साक्ष्य में अभियोजन पक्षकथन का समर्थन किया है । इन साक्षियों ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि उन्होंने मृतका को उस समय देखा था जब जयप्रकाश उसे अपने कमरे की ओर ले जा रहा था ।

12. उपरोक्त कथनों के अतिरिक्त दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन अभिलिखित मृतका के पिता (अभि. सा. 1), कुलभूषण (अभि. सा. 2), मोहम्मद नायर आलम (अभि. सा. 3) और योगेश कुमार (अभि. सा. 6) द्वारा दिया गया अभिसाक्ष्य एक जैसा है ।

13. मृतका का शव, जैसा कि ऊपर उपदर्शित किया गया है, जय प्रकाश के कमरे से बरामद किया गया था जिसकी शनाख्त मृतका के माता-पिता अर्थात् अभि. सा. 1 और अभि. सा. 8 द्वारा सम्यक् रूप से की गई है । कुलभूषण (अभि. सा. 2), अभि. सा. 1 का मात्र नियोजक है । यह संभव है कि वह मृतका के वास्तविक नाम से अवगत न हो, अत: कुलभूषण (अभि. सा. 2) द्वारा भिन्न नाम लिए जाने से अभियुक्त को कोई लाभ नहीं मिल सकता । अत:, मृतका की शनाख्त से संबंधित अभियुक्त के काउंसेल द्वारा किया गया प्रतिवाद स्वीकार्य नहीं है ।

14. मृतका के पिता (अभि. सा. 1) ने अपनी परीक्षा के दौरान स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि उसकी पुत्री की आयु लगभग साढ़े दस वर्ष है । डा. चिराग बहुगुणा (अभि. सा. 4) ने शवपरीक्षण किया है और अपनी रिपोर्ट में मृतका की आयु 11 वर्ष दर्शाई है । मृतका की माता (अभि. सा. 8) ने अपनी परीक्षा के दौरान यह कथन किया है कि उसकी पुत्री की आयु 10 वर्ष और 6 माह है । इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि प्रतिरक्षा पक्ष ने अभि. सा. 1 और अभि. सा. 8 अर्थात् मृतका के माता-पिता की प्रतिपरीक्षा नहीं की है । अन्य महत्वपूर्ण साक्षी उस स्कूल का प्रधानाचार्या प्रसून शुक्ला (अभि. सा. 9) है जहां मृतका पढ़ती थी और इस साक्षी ने यह कथन किया है कि स्कूल अभिलेख के अनुसार मृतका की आयु 20 अक्तूबर, 2008 है । उपरोक्त साक्ष्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि घटना के समय मृतका की आयु 12 वर्ष से कम थी, अत: इस मामले का विचारण पॉक्सो अधिनियम के अधीन किए जाने हेतु सौंपने में कोई अविधिमान्यता नहीं है ।

15. यह भी दलील दी गई है कि चिकित्सा रिपोर्ट से अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं होता है और उससे यह उपदर्शित नहीं होता है

कि मृतका पर कोई भी लैंगिक हमला या उसके साथ किसी भी प्रकार से बलात्संग नहीं किया गया है । डा. चिराग बहुगुणा (अभि. सा. 4) ने शवपरीक्षण किया है और इस संबंध में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को साबित किया है जिसका सुसंगत भाग निम्न प्रकार है :-

> "मृतका की योनि में बिना किसी रुकावट के 2 से 3 अंगुलियां प्रविष्ट की जा सकती हैं । योनिच्छद विदीर्ण है जिसके किनारों पर लालिमा पाई गई है जिससे गुमचोट प्रतीत होती है । योनि की पश्च भित्ति विदीर्ण है जिसमें 0.5 से. मी. का कटाव पाया गया है । इस कटाव से बलपूर्वक किया गया प्रवेशन साबित होता है । गुदा भित्ति में लालिमा प्रतीत होती है जिससे प्रवेशन से कारित रगड़ प्रतीत होती है । इन सभी क्षतियों से लैंगिक हमला किए जाने का पता चलता है ।"

16. पुलिस उपनिरीक्षक लक्ष्मी जोशी (अभि. सा. 5) ने मृतका के शव की मृत्युसमीक्षा (पंचनामा) तैयार की है जिसमें मृतका के शरीर पर कारित अन्य क्षतियों के साथ-साथ उसके गुप्तांगों पर पहुंची क्षतियों का भी उल्लेख किया है । डा. चिराग बहुगुणा (अभि. सा. 4) ने अपनी परीक्षा के दौरान स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि मृतका के गुप्तांग पर बलपूर्वक किए गए प्रवेशन के कारण क्षतियां कारित हुई हैं । इस साक्षी ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि मृतका के शव पर पाई गई अन्य क्षतियों से यह उपदर्शित होता है कि मृतका पर लैंगिक हमला किया गया है । उपरोक्त साक्ष्य का परिशीलन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि चिकित्सीय साक्ष्य से अभियोजन वृत्तांत की संपुष्टि पूर्ण रूप से होती है, इसलिए इस संबंध में अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा दी गई दलील में कोई बल नहीं है ।

17. अन्वेषण के दौरान अन्वेषण अधिकारी ने कतिपय वस्तुओं तथा मृतका के वस्त्रों के अतिरिक्त उसकी मुट्ठी में से बाल और 10/- रुपए का नोट भी बरामद किया है । उक्त वस्तुओं को परीक्षण के लिए न्यायालयिक प्रयोगशाला भेज दिया गया और इसके पश्चात् डा. मनोज अग्रवाल (अभि. सा. 17) द्वारा रिपोर्ट तैयार की गई । उक्त रिपोर्ट प्रदर्श

43 है जिसे अभि. सा. 17 द्वारा साबित भी किया गया है । इस रिपोर्ट से निम्न निष्कर्ष निकलता है :-

"प्रदर्शों के आधार पर किए गए डी. एन. ए. परीक्षण से पर्याप्त रूप से यह निष्कर्ष निकलता है कि -

प्रदर्श 4 और प्रदर्श 5 (मृतका से प्राप्त किए गए बाल और अभियुक्त की जांघिया) से प्राप्त डी. एन. ए. अभियुक्त के रक्त के नमूने अर्थात् प्रदर्श 24 से प्राप्त डी. एन. ए. से मेल खाता है ।

मृतका की चड्ढी अर्थात् प्रदर्श 9 से प्राप्त डी. एन. ए. मृतका के रक्त के नमूने अर्थात् प्रदर्श 23 और अभियुक्त के रक्त के नमूने अर्थात् प्रदर्श 24 से प्राप्त डी. एन. ए. से मेल खाता है ।

गले की लार से लिया गया फोहा (प्रदर्श 13), गले की स्लाइड (प्रदर्श 14), योनिक लेप से लिया गया फोहा (प्रदर्श 15), योनिक स्लाइड (प्रदर्श 16), योनिक लेप से लिया गया फोहा (प्रदर्श 17), योनिक स्लाइड (प्रदर्श 18), आंतरिक गुदा से लिया गया फोहा (प्रदर्श 19), आंतरिक गुदा की स्लाइड (प्रदर्श 20) और आहत के कतरे गए नाखून (प्रदर्श 22) एक ही स्त्री के प्रतीत होते हैं जो मृतका के रक्त के नमूने अर्थात् प्रदर्श 23 से प्राप्त किए गए डी. एन. ए. से मेल खाते हैं ।"

18. उपरोक्त रिपोर्ट के परिशीलन से यह स्पष्ट हो जाता है कि मृतका की मुट्ठी में से बरामद किए गए बालों से जो डी. एन. ए. प्राप्त किया गया है वह एक ही पुरुष के प्रतीत होते हैं जो अभियुक्त के जांघिया तथा उसके रक्त के नमूने से प्राप्त किए गए डी. एन. ए. से मेल खाते हैं । प्रतिरक्षा पक्ष ने डा. मनोज अग्रवाल (अभि. सा. 17) की परीक्षा विस्तार से की है किन्तु ऐसी कोई विरोधाभासी सामग्री सामने नहीं आई है जिससे अभियोजन पक्षकथन निर्बल हो सके । इस प्रकार, अभियोजन पक्ष ने सफलतापूर्वक यह साबित कर दिया है कि अभियुक्त-अपीलार्थी ने मृतका की योनि और गुदा में प्रवेशन करके उसके साथ बलात्संग किया है और उसकी हत्या की है ।

19. न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट वैज्ञानिक रिपोर्ट है जो साक्ष्य का एक महत्वपूर्ण अंग है । यह भी इंगित किया गया है कि अपीलार्थी का पक्षकथन यह नहीं है कि न्यायालयिक प्रयोगशाला की उक्त रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ या हेराफेरी की गई है, इसलिए न्यायालयिक प्रयोगशाला की उक्त रिपोर्ट साबित हो गई है और इसका अवलंब आसानी से लिया जा सकता है ।

20. ऊपर और कई स्थानों पर उपदर्शित किया गया है कि अभियुक्त को अंतिम बार मृतका के साथ देखा गया था और मृतका का शव अभियुक्त के कमरे से बरामद किया गया है । शवपरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार मृतका की योनि और गुदा क्षतिग्रस्त पाई गई है जिससे यह उपदर्शित होता है कि मृतका के साथ अभियुक्त द्वारा बलपूर्वक प्रवेशन करके बलात्संग किया गया है ।

21. पॉक्सो अधिनियम की धारा 29 के अधीन यह उपबंध किया गया है कि जहां किसी व्यक्ति को इस अधिनियम की धारा 3, धारा 5, धारा 7 और धारा 9 के अधीन किसी अपराध को करने या दुष्प्रेरण करने या उसको करने का प्रयत्न करने के लिए अभियोजित किया गया है वहां विशेष न्यायालय तब तक यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने, यथास्थिति, वह अपराध किया है, दुष्प्रेरण किया है या उसको करने का प्रयत्न किया है जब तक कि इसके विरुद्ध साबित नहीं कर दिया जाता है । उपरोक्त उपधारणा, दांडिक विचारण में किसी अभियुक्त को उपलब्ध निर्दोषिता की उपधारणा के सामान्य नियम का अपवाद है । उपरोक्त उपबंध को दृष्टिगत करते हुए अभियुक्त के विरुद्ध यह उपधारणा है कि उसने वह अपराध कारित किया है जिसके लिए उसका विचारण किया जा रहा है ।

22. स्वयं अभियुक्त प्रतिरक्षा साक्षी के रूप में पेश हुआ है । उसने अपनी प्रतिरक्षा में उसने यह कथन किया है कि घटना के दिन अर्थात् तारीख 28 जुलाई, 2018 को वह छुट्टी पर था ; उसने योगेश और सुरेश के साथ बैठकर शराब पी और उसके पश्चात् वह अपने कमरे में सो गया । इसके पश्चात् उसे योगेश और सुरेश के साथ ठेकेदार द्वारा पुलिस थाना

सहसपुर लाया गया जहां पर पुलिसकर्मियों ने सादे कागज पर उसके हस्ताक्षर लिए । इसके पश्चात्, ठेकेदार ने सुरेश और योगेश को पुलिस अभिरक्षा से उन्मुक्त कर दिया, तथापि, उसे पुलिस थाने में निरुद्ध कर लिया गया और जब वह पुलिस थाने में पुलिस की अभिरक्षा में था, तब उसे पता चला कि किसी लड़की का शव उसके कमरे में पाया गया है । अपनी प्रतिरक्षा में अभियुक्त द्वारा किए गए उपरोक्त अभिसाक्ष्य का परिशीलन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि अभियुक्त ने यह स्वीकार किया है कि घटना के दिन वह अपने कमरे में था और उसे अपने कमरे में पाए जाने वाले शव के बारे में तब पता चला जब वह पुलिस अभिरक्षा में था, इसके अतिरिक्त न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट से पता चलता है कि मृतका के अंत:वस्त्रों से प्राप्त डी. एन. ए., अभियुक्त के डी. एन. ए. से मेल खाता है और यह साक्ष्य वैज्ञानिक और सारभूत साक्ष्य है । अपीलार्थी का इस अपराध में अंतर्वलित होना पूर्णत: साबित हो गया है । इसके अतिरिक्त अभियुक्त यह स्पष्ट नहीं कर सका है कि कुलभूषण (अभि. सा. 2) और योगेश (अभि. सा. 6) ने उसके विरुद्ध साक्ष्य क्यों दिया है । अभियुक्त यह स्पष्ट करने में भी असफल रहा है कि मास्टर राकेश (अभि. सा. 11) और रानी (अभि. सा. 12) ने, जो कि अवयस्क है, उसके विरुद्ध साक्ष्य क्यों दिया है ।

23. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों का परिशीलन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि अभियोजन पक्ष ने अपना पक्षकथन सभी युक्तियुक्त संदेह के परे साबित कर दिया है और इस प्रकार 2018 के सेशन विचारण मामला सं. 119 में विशेष अपर जिला न्यायाधीश, देहरादून द्वारा दंड संहिता की धारा 376 (कख), 377, 302, 201 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 5/6 के अधीन अभियुक्त-अपीलार्थी को दोषसिद्ध और दंडादिष्ट करने वाले आक्षेपित निर्णय में कोई भी अवैधता नहीं है ।

2019 का दांडिक निर्देश सं. 2

24. जय प्रकाश को दंड संहिता की धारा 376 कख, 377, 302, 201 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 5/6 के अधीन ठीक ही दोषसिद्ध

किया गया है । उसे मृत्युदंड से दंडादिष्ट किया गया है । अपीलार्थी के काउंसेल द्वारा यह दलील दी गई है कि यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें मृत्युदंड दिया जाना आवश्यक हो क्योंकि वर्तमान मामला विरल से विरलतम मामले की कोटि में नहीं आता है ।

25. राज्य की ओर से विद्वान् काउंसेल ने अपीलार्थी के काउंसेल द्वारा दी गई दलीलों का विरोध करते हुए यह तर्क दिया है कि एक असहाय कन्या पर अभियुक्त-अपीलार्थी जय प्रकाश द्वारा लैंगिक हमला किया गया है और उसकी नृशंस हत्या की गई है । ऐसे मामले में मृत्यु जैसा कठोर दंड दिया जाना चाहिए । अपनी दलील के समर्थन में विद्वान् काउंसेल ने **उत्तराखंड राज्य** बनाम **अख्तर अली**[1] वाले मामले में, जो तारीख 18 अक्तूबर, 2019 को विनिश्चित किया गया था, 2016 के दांडिक निर्देश सं. 1 का अवलंब लिया ।

26. अपीलार्थी जय प्रकाश ने मात्र 11 वर्ष की कन्या के साथ योनिक और गुदा प्रवेशन द्वारा बलात्संग करके नृशंस हत्या की है । इतना ही नहीं उसने मृतका के शव को छिपाकर साक्ष्य नष्ट करने का भी प्रयास किया है । अभियुक्त-अपीलार्थी पर लगाए गए आरोप संदेह के परे साबित किए गए हैं । अपीलार्थी जय प्रकाश की निर्दोषिता साबित नहीं होती है । इस न्यायालय को इस मामले में कोई भी संदेह दिखाई नहीं दिया है । अभियुक्त-अपीलार्थी पर लगाए गए आरोप सभी युक्तियुक्त संदेह के परे निश्चित रूप से साबित किए गए हैं ।

27. **अख्तर अली** (उपरोक्त) वाले मामले में अभियुक्त ने 7 वर्ष की कन्या के साथ बलात्संग करने के पश्चात् उसकी बर्बरतापूर्ण हत्या की थी और इस न्यायालय की यह राय है कि उक्त घटना विरल से विरलतम मामले की कोटि में आती है और विचारण न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत मृत्युदंड की पुष्टि की जाती है ।

28. वर्तमान मामला भी असहाय और मजबूर नाबालिक कन्या के

---

[1] 2016 का दांडिक निदेश सं. 1.

साथ किए गए बलात्संग और हत्या की घटना से संबंधित है । वर्तमान मामला भी विरल से विरलतम मामले की कोटि में आता है जिसमें मृत्युदंड के सिवाय अन्य दंड नहीं दिया जा सकता । इस प्रकार **अख्तर अली** (उपरोक्त) वाले निर्णय में अधिकथित सिद्धांत वर्तमान मामले को पूर्णतया लागू होता है ।

29. अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा कारित कृत्य इतना राक्षसी है कि इससे न केवल न्यायिक गरिमा पर आघात पहुंचा है अपितु इससे समाज की छवि भी धूमिल हुई है और यह मामला निश्चित रूप से विरल से विरलतम मामले की कोटि में आता है जिसमें मृत्युदंड के सिवाय अन्य कोई दंड नहीं दिया जा सकता । अत:, इस न्यायालय का यह मत है कि विशेष अपर जिला न्यायाधीश (बालक संरक्षण अधिनियम) देहरादून द्वारा पारित निर्णय में कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता । एतदद्वारा जेल अपील खारिज की जाती है । विचारण न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत मृत्युदंड सहित दोषसिद्धि और दंडादेश की पुष्टि तद्नुसार की जाती है ।

30. तद्नुसार, 2019 का दांडिक निर्देश सं. 2 का निपटारा किया जाता है ।

31. इस निर्णय की एक प्रति निचले न्यायालय के अभिलेख के साथ तत्काल उसे भेजी जाए ।

अपील खारिज की गई ।

अस.

करनपाल

बनाम

उत्तराखंड राज्य

(2013 की दांडिक अपील सं. 530)

तारीख 6 जनवरी, 2020

न्यायमूर्ति आलोक सिंह और न्यायमूर्ति रवीन्द्र मैथानी

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 376(1) (2013 के संशोधन के पूर्व), धारा 511 और 354 [भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – 12 वर्ष की कन्या के साथ बलात्संग या उसकी लज्जा भंग किए जाने का अभिकथन – साक्ष्य का मूल्यांकन – चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा कन्या के शरीर में शुक्राणुओं की पुष्टि न होना – आहत कन्या ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन अपने कथन में बलात्संग किए जाने की बात नहीं कही है और साथ ही उसकी चिकित्सा रिपोर्ट से उसके शरीर में शुक्राणुओं या किसी ऐसी क्षति के कारित होने की पुष्टि नहीं हुई है जिससे बलात्संग साबित किया जा सके, अत: अपीलार्थी धारा 376(1) के अधीन नहीं अपितु धारा 354 के अधीन दोषी है ।

दंड संहिता, 1860 – धारा 307 – हत्या का प्रयत्न – अपीलार्थी द्वारा अप्राप्तवय कन्या की लज्जा भंग करने के दौरान उसके सिर पर पत्थर से हमला किया जाना – चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा हमले की पुष्टि – कन्या का लंबे समय तक उपचाराधीन रहना – अपीलार्थी ने आहत को बलपूर्वक दबोचा, जमीन पर पटका और प्रतिरोध किए जाने पर उसके सिर पर पत्थर से वार किया जिसके पश्चात् वह लंबे समय तक अस्पताल में उपचाराधीन रही, अत: अपीलार्थी का आशय मात्र क्षति पहुंचाने का नहीं अपितु हत्या करने का नहीं था और हत्या के प्रयत्न के अपराध के लिए की गई उसकी दोषसिद्धि न्यायोचित है ।

संक्षेप में अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि तारीख 3 जनवरी,

2011 को अपराह्न लगभग 4.00 बजे आहत का पिता (अभि. सा. 1) सरसों के खेत में काम कर रहा था और उसी समय उसकी पुत्री अर्थात् आहत (अभि. सा. 2) वहां पहुंची और अपने पिता से घर वापस जाने को कहा क्योंकि आहत के मामा घर पर आए हुए थे । आहत का पिता (अभि. सा. 1) उसे खेत पर छोड़कर घर चला गया । एक घंटे के पश्चात्, जब आहत का पिता और आहत का मामा (अभि. सा. 4) वापस खेत पर आए, तब उन्होंने आहत को खेत पर नहीं पाया । वे आहत को ढूंढ़ने लगे । उन्होंने आहत के दर्द से रोने की आवाज सुनी । उन्होंने देखा कि आहत बराबर वाले खेत में क्षतिग्रस्त अवस्था में रक्त से लथपथ पड़ी हुई है । आहत को अस्पताल ले जाया गया । आहत की चिकित्सा परीक्षा की गई और इस संबंध में उसी दिन अपराह्न 9.00 बजे पुलिस थाने में उसके पिता (अभि. सा. 1) द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई । पुलिस थाने में इस घटना को लेकर दंड संहिता की धारा 307 के अधीन मामला सं. 2/2011 दर्ज किया गया । वापस में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज किए जाने के पूर्व आहत की चिकित्सा परीक्षा अपराह्न 8.10 बजे उसी दिन डा. ए. के. पालीवाल (अभि. सा. 10) द्वारा एच. एम. जी. अस्पताल, हरिद्वार में की गई । आहत को उपचार के लिए एक अन्य अस्पताल भेज दिया गया, अत: प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने के पश्चात् आहत की चिकित्सा परीक्षा पुन: सरकारी महिला अस्पताल, हरिद्वार में अपराह्न 10.40 बजे डा. पी. आर. पाण्डेय (अभि. सा. 7) द्वारा की गई । आहत अचेत अवस्था में थी ; उसे फिर बड़े अस्पताल भेजा गया ; इसके पश्चात् उसे हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट, जॉली ग्रांट, देहरादून में भर्ती कराया गया जहां आहत लंबे समय तक उपचाराधीन रही । इस मामले का अन्वेषण उपनिरीक्षक संजीव कुमार (अभि. सा. 8) द्वारा किया गया । इस साक्षी ने स्थल नक्शा तैयार किया, घटनास्थल से सादा और रक्तरंजित मिट्टी कब्जे में ली । उसने घटनास्थल से बाल भी बरामद किए । उसने अपीलार्थी के बालों का नमूना प्राप्त किया और उसे जांच के लिए न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजा । आहत और अपीलार्थी के वस्त्र भी बरामद किए । अभियोजन पक्ष के अनुसार तारीख 8 जनवरी, 2011 को जब अपीलार्थी से पुन: पूछताछ की गई, तब उसने अपना दोष संस्वीकृत किया । अभियुक्त का संस्वीकृत

कथन अभिलिखित किया गया और इसके पश्चात् अभियुक्त-अपीलार्थी ने अपने रक्तरंजित वस्त्र बरामद कराए । अन्वेषण के पश्चात् अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया । मजिस्ट्रेट द्वारा इस मामले में संज्ञान लिया गया और मामला विचारण के लिए सेशन न्यायालय को सुपुर्द किया गया । तारीख 21 मई, 2011 को दंड संहिता की धारा 511 के साथ पठित धारा 307 और 376 के अधीन अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए जिस पर उसने इनकार किया और विचारण की मांग की । विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को धारा 307 और धारा 376(1) के अधीन दोषसिद्ध किया । इस निर्णय और आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की । अपील भागत: मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – आहत के अनुसार घटना के समय अपीलार्थी ने उसे दबोच लिया था और उसने आहत से अपनी पेन्ट नीचे करने को कहा । वह रोई और उसने अपीलार्थी से कहा कि वह इसके बारे में अपने पिता को बता देगी । अपीलार्थी ने उसे जमीन पर पटक दिया और उसने अपना शिश्न आहत की योनि में प्रविष्ट कर दिया । इसके पश्चात्, अपीलार्थी ने आहत के सिर पर पत्थर मारा । आहत (अभि. सा. 2) ने संहिता की धारा 164 के अधीन अभिलिखित किए गए अपने कथन को साबित किया है । आहत ने संहिता की धारा 164 के अधीन अभिलिखित अपने कथन में यह उल्लेख किया है कि अपीलार्थी ने उसे निर्वस्त्र किया था और उसके ऊपर बैठ गया था । आहत ने अपीलार्थी से कहा कि वह उसे छोड़ दे । आहत ने यह भी कहा कि वह इस घटना के बारे में अपने पिता को बताएगी । अपीलार्थी ने आहत के सिर पर पत्थर से वार किया । इन सभी सुसंगत कारकों को दृष्टिगत करते हुए, इस न्यायालय का यह मत है कि यह बलात्संग के प्रयास का मामला नहीं है बल्कि यह आहत की लज्जा भंग करने के आशय से किए गए हमले का मामला है जो दंड संहिता की धारा 354 के अधीन आता है । यह न्यायालय निश्चित रूप से दंड संहिता की धारा 511 के साथ पठित धारा 376 के अधीन की गई दोषसिद्धि को अपास्त कर सकता है । अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 511 के साथ पठित धारा 376 के बजाय धारा 354 के अधीन दोषसिद्ध

किया गया है । अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 354 के अधीन दंडादिष्ट किया जाना चाहिए । दंड संहिता की धारा 307 के अधीन अपीलार्थी को पहले से अधिरोपित दंड और मामले की परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात् इस न्यायालय का यह मत है कि यदि अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 354 के अधीन 5 वर्ष के कारावास और 5,000/- रुपए के जुर्माने से दंडादिष्ट किया जाए तो पूर्ण न्याय होगा । दंड संहिता की धारा 511 के साथ पठित धारा 376 के अधीन अपीलार्थी की दोषसिद्धि और दंडादेश अपास्त किया जाता है । अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 354 के अधीन दोषसिद्ध किया जाता है और 5 वर्ष की अवधि के कठोर कारावास तथा 5,000/- रुपए के जुर्माने के संदाय से दंडादिष्ट किया जाता है । जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम किए जाने पर अपीलार्थी अतिरिक्त 1 मास का कारावास भोगेगा । (पैरा 40, 41, 53, 54 और 56)

घटना के समय आहत की आयु 12 वर्ष थी । अपीलार्थी ने उसकी लज्जा भंग की है और इस प्रक्रिया के दौरान उसने आहत को बलपूर्वक दबोच लिया था, और जब उसने प्रतिरोध किया तो उसे जमीन पर पटका और अपीलार्थी को चेतावनी दी कि वह यह सब अपने पिता को बताएगी । अपीलार्थी का आशय आहत को क्षति कारित करना नहीं बल्कि निश्चित रूप से उसकी हत्या करने के लिए क्षति कारित की गई थी । अपीलार्थी का आशय आहत की हत्या करने का ही था । आहत लम्बे समय तक अस्पताल में भर्ती रही । वह अचेत अवस्था में थी । अत: उन परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात् जिनके अधीन क्षति कारित की गई थी और आहत को कारित क्षतियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय का यह मत है कि अपीलार्थी का कृत्य दंड संहिता की धारा 307 की परिधि के अधीन आता है । वर्तमान मामले में, अपीलार्थी ने अप्राप्तवय कन्या की मात्र लज्जा ही भंग नहीं की है अपितु उसने उसकी हत्या करने का प्रयत्न भी किया है ; उसके सिर पर पत्थर से वार किया है और घटना के दिन अपराह्न 8.10 बजे आहत की पहली बार चिकित्सीय जांच कराए जाने के दौरान ये क्षतियां डा. ए. के. पालीवाल द्वारा देखी गई हैं । आहत को उसकी जान बचाने के लिए एक

अस्पताल से दूसरे अस्पताल ले जाया गया । भाग्यवश उसकी जान बच गई । दंड संहिता की धारा 307 के अधीन अपीलार्थी की दोषसिद्धि और दंडादेश कायम रखा जाता है और उसकी पुष्टि भी की जाती है । (पैरा 49, 51 और 55)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2010]	ए. आई. आर. 2010 एस. सी. 942 : **मुल्ला और एक अन्य** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** ;	22
[2006]	(2006) 8 एस. सी. सी. 560 : **तरकेश्वर साहू** बनाम **बिहार राज्य (अब झारखंड)** ;	38, 41
[2004]	(2004) 3 एस. सी. सी. 602 = ए. आई. आर. 2004 एस. सी. 1874 : **कोप्पुला वेंकट राव** बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य** ;	37
[2004]	ए. आई. आर. 2004 एस. सी. 1812 : **आर. राकेश** बनाम **कर्नाटक राज्य** ;	47
[2004]	(2004) 3 एस. सी. सी. 793 = ए. आई. आर. 2004 एस. सी. 1808 : **गिरिजा शंकर** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** ;	47
[2004]	(2004) 4 एस. सी. सी. 379 = ए. आई. आर. 2004 एस. सी. 1497 : **अमन कुमार और एक अन्य** बनाम **हरियाणा राज्य** ;	36
[2003]	(2003) 3 एस. सी. सी. 21 = ए. आई. आर. 2003 एस. सी. 1088 : **भगवान सिंह और अन्य** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ;	22, 23

[1983] (1983) 2 एस. सी. सी. 28 = ए. आई. आर. 1983 एस. सी. 305 : **महाराष्ट्र राज्य** बनाम **बलराम रामा पाटिल और अन्य** । 46

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2013 की दांडिक अपील सं. 530.

2011 के सेशन विचारण मामला सं. 73 में विद्वान् तृतीय अपर सेशन न्यायाधीश, हरिद्वार, उत्तराखंड द्वारा तारीख 8 अगस्त, 2013 को पारित दोषसिद्धि के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री आर. एस. सम्मल

प्रत्यर्थी की ओर से सर्वश्री वी. के. जैमिनी (उपमहाधिवक्ता) और एस. एस. अधिकारी (अपर सरकारी अधिवक्ता)

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति रवीन्द्र मैथानी ने दिया ।

न्या. मैथानी – यह अपील 2011 के सेशन विचारण मामला सं. 73 में विद्वान् तृतीय अपर सेशन न्यायाधीश, हरिद्वार, उत्तराखंड द्वारा तारीख 8 अगस्त, 2013 को पारित दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है । इस निर्णय और आदेश द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "दंड संहिता" निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 307 और 376 के अधीन दोषसिद्ध किया गया है तथा निम्न रूप में दंडादिष्ट किया गया है :–

(i) दंड संहिता की धारा 307 के अधीन आजीवन कारावास और 20,000/- रुपए के जुर्माने से जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर अतिरिक्त 3 वर्ष के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया गया है ।

(ii) दंड संहिता की धारा 511 के साथ पठित धारा 376 के अधीन 10 वर्ष के कारावास और 10,000/- रुपए जुर्माने से जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर अतिरिक्त 2 वर्ष के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया गया है ।

2. संक्षेप में अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि तारीख 3

जनवरी, 2011 को अपराह्न लगभग 4.00 बजे आहत का पिता (अभि. सा. 1) सरसों के खेत में काम कर रहा था और उसी समय उसकी पुत्री अर्थात् आहत (अभि. सा. 2) वहां पहुंची और अपने पिता से घर वापस जाने को कहा क्योंकि आहत के मामा घर पर आए हुए थे । आहत का पिता (अभि. सा. 1) उसे खेत पर छोड़कर घर चला गया । एक घंटे के पश्चात्, जब आहत का पिता और आहत का मामा (अभि. सा. 4) वापस खेत पर आए, तब उन्होंने आहत को खेत पर नहीं पाया । वे आहत को ढूंढने लगे । उन्होंने आहत के दर्द से रोने की आवाज सुनी । उन्होंने देखा कि आहत बराबर वाले खेत में क्षतिग्रस्त अवस्था में रक्त से लथपथ पड़ी हुई है । आहत को अस्पताल ले जाया गया । आहत की चिकित्सा परीक्षा की गई और इस संबंध में उसी दिन अपराह्न 9.00 बजे पुलिस थाने में उसके पिता (अभि. सा. 1) द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई । पुलिस थाने में इस घटना को लेकर दंड संहिता की धारा 307 के अधीन मामला सं. 2/2011 दर्ज किया गया । वापस में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज किए जाने के पूर्व आहत की चिकित्सा परीक्षा अपराह्न 8.10 बजे उसी दिन डा. ए. के. पालीवाल (अभि. सा. 10) द्वारा एच. एम. जी. अस्पताल, हरिद्वार में की गई । आहत को उपचार के लिए एक अन्य अस्पताल भेज दिया गया, अत: प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने के पश्चात् आहत की चिकित्सा परीक्षा पुन: सरकारी महिला अस्पताल, हरिद्वार में अपराह्न 10.40 बजे डा. पी. आर. पाण्डेय (अभि. सा. 7) द्वारा की गई । आहत अचेत अवस्था में थी ; उसे फिर बड़े अस्पताल भेजा गया ; इसके पश्चात् उसे हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट, जॉली ग्रांट, देहरादून में भर्ती कराया गया जहां आहत लंबे समय तक उपचाराधीन रही ।

3. इस मामले का अन्वेषण उपनिरीक्षक संजीव कुमार (अभि. सा. 8) द्वारा किया गया । इस साक्षी ने स्थल नक्शा तैयार किया, घटनास्थल से सादा और रक्तरंजित मिट्टी कब्जे में ली । उसने घटनास्थल से बाल भी बरामद किए । उसने अपीलार्थी के बालों का नमूना प्राप्त किया और उसे जांच के लिए न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजा । आहत और अपीलार्थी के वस्त्र भी बरामद किए । अभियोजन पक्ष के अनुसार तारीख 8

जनवरी, 2011 को जब अपीलार्थी से पुन: पूछताछ की गई, तब उसने अपना दोष संस्वीकृत किया । अभियुक्त का संस्वीकृत कथन अभिलिखित किया गया और इसके पश्चात् अभियुक्त-अपीलार्थी ने अपने रक्तरंजित वस्त्र बरामद कराए । अन्वेषण के पश्चात् अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया । मजिस्ट्रेट द्वारा इस मामले में संज्ञान लिया गया और मामला विचारण के लिए सेशन न्यायालय को सुपुर्द किया गया । तारीख 21 मई, 2011 को दंड संहिता की धारा 511 के साथ पठित धारा 307 और 376 के अधीन अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए जिस पर उसने इनकार किया और विचारण की मांग की ।

4. अभियोजन पक्ष ने अपना पक्षकथन साबित करने के लिए कुल मिलाकर 11 साक्षियों की परीक्षा कराई जो इस प्रकार हैं - आहत का पिता (अभि. सा. 1), आहत (अभि. सा. 2), आहत की माता (अभि. सा. 3), आहत का मामा (अभि. सा. 4), बुद्ध सिंह (अभि. सा. 5), जोगेन्द्र यादव (अभि. सा. 6), डा. पी. आर. पाण्डेय (अभि. सा. 7), पुलिस उपनिरीक्षक संजीव कुमार (अभि. सा. 8), हैड कांस्टेबल अनुज गैरोला (अभि. सा. 9), डा. ए. के. पालीवाल (अभि. सा. 10) और डा. के. के. बंसल (अभि. सा. 11) ।

5. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "संहिता" निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 313 के अधीन अपीलार्थी की परीक्षा की गई । अपीलार्थी ने कहा कि उसे इस मामले में मिथ्या आलिप्त किया गया है ; अपीलार्थी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह कथन किया है कि इत्तिलाकर्ता ने उसके खेत से फसल चोरी की है, अत: उसे मिथ्या फंसाया गया है । अपीलार्थी ने अपनी प्रतिरक्षा में 3 साक्षियों की परीक्षा कराई है ।

6. दी गई दलीलों और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् विद्वान् निचले न्यायालय ने अपीलार्थी को ऊपर कथित रूप में दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया । इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह अपील प्रस्तुत की है ।

7. अपीलार्थी और राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान्

काउंसेलों की सुनवाई की गई है तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया है ।

8. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि आहत का कथन विश्वसनीय नहीं है ; उसे पुलिस द्वारा सिखाया-पढ़ाया गया है ; उसने यह नहीं देखा है कि उस पर किसने हमला किया था ; उसे अपीलार्थी का नाम पुलिस द्वारा बताया गया था ; पुलिस ने अपनी चिंता दूर करने के लिए अपीलार्थी को इस मामले में मिथ्या फंसाया है । विद्वान् काउंसेल के अनुसार इस मामले में कोई भी शनाख्त परेड नहीं कराई गई है । केवल इतना है कि अपीलार्थी की आहत द्वारा न्यायालय में शनाख्त की गई है । ऐसी शनाख्त का साक्ष्य की दृष्टि से कोई महत्व नहीं है । अभियोजन पक्षकथन का समर्थन करने के लिए अन्य कोई भी साक्ष्य नहीं है । दंड संहिता की धारा 376 के अधीन अपराध साबित करने के लिए कोई भी साक्ष्य नहीं है । अभियोजन पक्ष अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप साबित करने में पूरी तरह असफल रहा है । अपीलार्थी को इन आरोपों से दोषमुक्त किया जाना चाहिए था किन्तु विद्वान् निचले न्यायालय ने उसे दोषसिद्ध और दंडादिष्ट करके गलती की है । अत: यह तर्क दिया गया है कि अपील मंजूर किए जाने योग्य है और अपीलार्थी को आरोपों से दोषमुक्त किया जाए ।

9. दूसरी ओर राज्य के विद्वान् काउंसेल द्वारा यह तर्क दिया गया है कि यह मामला प्रत्यक्ष साक्ष्य पर आधारित है । आहत ने अपीलार्थी की शनाख्त की है । यदि इत्तिलाकर्ता का आशय अपीलार्थी को मिथ्या फंसाने का होता, तब वह उसे प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में नामित करता । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अपीलार्थी का नाम का उल्लेख नहीं किया गया है । आहत गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुई है । वह लंबे समय तक अस्पताल में उपचाराधीन रही है और जब उसे होश आया तब उसने अपीलार्थी को नामित किया । आहत ने अपीलार्थी के संबंध में कथन किया है । आहत के साक्ष्य की संपुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य और अन्य साक्षियों के साक्ष्य से भी होती है । यह दलील दी गई है कि अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप साबित किए हैं और विद्वान् निचले न्यायालय ने अपीलार्थी को दोषसिद्ध करने में कोई त्रुटि नहीं की है ।

10. इस मामले में अभि. सा. 1, इत्तिलाकर्ता है । इस साक्षी के अनुसार घटना के दिन वह अपने सरसों के खेत में काम कर रहा था । अपराह्न लगभग 4.00 बजे उसकी पुत्री (आहत) उसे बुलाने आई और बताया कि उसके मामा घर पर आए हुए हैं । इत्तिलाकर्ता अपनी आहत पुत्री को खेत पर छोड़कर अपने घर चला गया । थोड़ी देर बाद जब वह आहत के मामा (अभि. सा. 4) के साथ खेत पर वापस आया तब उसने अपीलार्थी को रास्ते में देखा था । इत्तिलाकर्ता और आहत के मामा ने आहत को खेत में नहीं पाया । उन्होंने आहत को तलाश किया ; उसे आवाज लगाई ; इसके पश्चात् उन्होंने आहत के दर्द से कराहने की आवाज सुनी और आहत को क्षतिग्रस्त अवस्था में रक्त से लथपथ बराबर वाले खेत में पड़ा पाया । आहत बेहोश थी । आहत के पिता (अभि. सा. 1) के अनुसार वह आहत को अस्पताल ले गया और उसने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई । कुछ दिनों बाद, उसने घटना के समय आहत द्वारा पहने गए वस्त्र पुलिस को सौंप दिए । इस साक्षी ने उन वस्त्रों की शनाख्त की है ।

11. इस मामले में आहत, अभि. सा. 2 है, इस साक्षी से न्यायालय द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए प्रश्न पूछे गए हैं कि वह अभिसाक्ष्य देने योग्य है या नहीं । इस संबंध में न्यायालय का समाधान होने पर उसका अभिसाक्ष्य अभिलिखित किया गया है । आहत के अनुसार, उसने कक्षा-VI तक शिक्षा प्राप्त की है । घटना के एक वर्ष पूर्व उसने पढ़ाई छोड़ दी थी । आहत ने अपने पिता (अभि. सा. 1) के कथन की पुष्टि की है । आहत के अनुसार तारीख 3 जनवरी, 2011 को अपराह्न लगभग 5.00 बजे उसके मामा उसके घर आए थे और उन्होंने आहत को उसके पिता को बुलाने के लिए भेजा । वह खेत पर गई और उसने अपने पिता को घर जाने के लिए कहा और वह खेत पर ही रुक गई । आहत (अभि. सा. 2) के अनुसार उस समय अपीलार्थी उसके पास आया और उसने आहत से घास का ढेर उठवाने के लिए निवेदन किया । अपीलार्थी की सहायता करने की दृष्टि से आहत उसके साथ चली गई किन्तु उसने वहां पर घास का कोई भी ढेर नहीं पाया । अपीलार्थी ने उसे दबोच लिया था और उसने आहत से अपनी पेन्ट नीचे करने को कहा । वह रोई और

उसने अपीलार्थी से कहा कि वह इसके बारे में अपने पिता को बता देगी । अपीलार्थी ने उसे जमीन पर पटक दिया और उसने अपना शिश्न आहत की योनि में प्रविष्ट कर दिया । इसके पश्चात्, अपीलार्थी ने आहत के सिर पर पत्थर मारा । आहत (अभि. सा. 2) ने संहिता की धारा 164 के अधीन अभिलिखित किए गए अपने कथन को साबित किया है ।

12. आहत की माता, अभि. सा. 3 है और उसका मामा, अभि. सा. 4 है । इन दोनों साक्षियों ने आहत (अभि. सा. 2) के कथन की संपुष्टि की है । यह उल्लेखनीय है कि आहत की माता (अभि. सा. 3) के अनुसार जब उसकी पुत्री को होश आया, तब उसने हमलावर के रूप में अपीलार्थी का नाम बताया ।

13. बुद्ध सिंह (अभि. सा. 5) ने यह कथन किया है कि अपीलार्थी ने उसकी मौजूदगी में अपना दोष संस्वीकृत किया है और अपने वस्त्र पुलिस को दिए थे । इस साक्षी ने उन वस्त्रों की शनाख्त की है ।

14. कांस्टेबल जोगेन्द्र यादव (अभि. सा. 6) बरामदगी का एक अन्य साक्षी है । वास्तव में, इस साक्षी ने अन्वेषण अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में कथन किया है ।

15. पुलिस उपनिरीक्षक संजीव कुमार (अभि. सा. 8) इस मामले में अन्वेषण अधिकारी है जिसने घटनास्थल से बाल तथा सादा और रक्तरंजित मिट्टी बरामद की है । इस साक्षी ने अपीलार्थी तथा आहत द्वारा घटना के समय पहने गए वस्त्रों को भी कब्जे में लिया है । अन्वेषण अधिकारी ने स्थल नक्शा तैयार किया ; तारीख 24 फरवरी, 2011 को रोशनाबाद कारागार जाकर अपीलार्थी से नमूने प्राप्त किए थे और उन्हें तारीख 1 मार्च, 2011 को जांच के लिए न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजा था । इस साक्षी ने इस संबंध में कथन दिया है । कांस्टेबल जोगेन्द्र यादव (अभि. सा. 6) ने अपीलार्थी द्वारा पहने गए वस्त्रों को अन्वेषण अधिकारी द्वारा कब्जे में लिए जाने के संबंध में भी कथन किया है ।

16. डा. ए. के. पालीवाल (अभि. सा. 10) ने घटना के दिन अपराह्न 8.10 बजे आहत की चिकित्सा परीक्षा की और निम्न क्षतियां पाईं :-

"1. शंख-पार्श्विक क्षेत्र में 18 से. मी. × 6 से. मी. माप के अस्थि गहरे अनेक विदीर्ण घाव जिनसे अत्यधिक रक्त निकला है । इस क्षति को संप्रेक्षणाधीन रखा गया । एक्स-रे कराने की सलाह दी गई ।

2. बाएं कान से 7 से. मी. ऊपर की ओर बाईं कपोलास्थि क्षेत्र में 10 से. मी. × 0.5 से. मी. माप का विदीर्ण घाव पाया गया है । अस्थि गहरा क्षति को संप्रेक्षणाधीन रखा गया है । एक्स-रे कराने की सलाह दी गई है ।

3. ऊपरी होंठ के मध्य में 1.5 से. मी. × 0.5 से. मी. माप का विदीर्ण घाव । ताजा रक्त मौजूद है ।

4. चेहरे के दाईं ओर 6.4 से. मी. (व्यास ?) का गुमटा पाया गया है जो मुख के दाएं कोण पर 2 से. मी. की दूरी पर है । क्षति को संप्रेक्षणाधीन रखा गया है । एक्स-रे कराने की सलाह दी गई है ।

5. ऊपरी होंठ के दाईं ओर 7 से. मी. × 2 से. मी. माप की गुमटेदार सूजन है । क्षति का रंग लाल है ।"

चिकित्सक के अनुसार कुछ क्षतियों को संप्रेक्षणाधीन रखा गया ; आहत अचेत अवस्था में थी और उसे विशेषज्ञ की राय के लिए महिला अस्पताल भेज दिया गया ।

17. डा. पी. आर. पाण्डेय (अभि. सा. 7) ने घटना के दिन अपराह्न 10.40 बजे आहत की चिकित्सा परीक्षा की और निम्न क्षतियां पाईं :–

"वृहत भगौष्ठ विकसित हैं ;

लघु भगौष्ठ विकसित हैं ;

योनिच्छद अक्षत नहीं है ;

योनि का व्यास एक अंगुलि के बराबर है ।

जननांग के निकट कोई भी बाह्य क्षति नहीं पाई गई है ।"

डा. पी. आर. पाण्डेय (अभि. सा. 7) ने अपने द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट साबित की है । इस साक्षी के अनुसार रोग-विज्ञान (पैथोलॉजी) रिपोर्ट में मृत या जीवित शुक्राणु नहीं पाए गए हैं ।

18. डा. के. के. बंसल (अभि. सा. 11) ने तारीख 3 जनवरी, 2011 को आहत को हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट, जॉली ग्रांट, देहरादून में भर्ती किया था । इस साक्षी ने आहत की डिस्चार्ज समरी (अस्पताल से छुट्टी होने का प्रमाण पत्र) साबित की है ।

19. इस प्रक्रम पर यह उल्लेखनीय है कि यह घटना तारीख 3 जनवरी, 2011 को अपराह्न लगभग 5.00 बजे घटित हुई है । डा. ए. के. पालीवाल (अभि. सा. 10) द्वारा अपराह्न 8.10 बजे आहत की पहली बार चिकित्सा परीक्षा कराई गई जिन्होंने आहत के शरीर पर क्षतियां देखीं और उसे अचेत अवस्था में पाया तथा आहत को बड़े अस्पताल भेजने के लिए निर्दिष्ट किया । उसी दिन अपराह्न 10.40 बजे आहत की चिकित्सा परीक्षा डा. पी. आर. पाण्डेय (अभि. सा. 7) द्वारा महिला अस्पताल में की गई और उसी दिन आहत को हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट, जॉली ग्रांट, देहरादून में भर्ती किया गया ।

20. बहस के दौरान अपीलार्थी तथा राज्य के विद्वान् काउंसेलों ने यह निवेदन किया कि महिला अस्पताल, हरिद्वार और हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट, जॉली ग्रांट, देहरादून के बीच की दूरी लगभग 30 किलोमीटर है । अपराह्न लगभग 10.40 बजे महिला अस्पताल, हरिद्वार में आहत की चिकित्सा परीक्षा की गई और उसी दिन अर्थात् 12.00 बजे (मध्यरात्रि) आहत को हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट, जॉली ग्रांट, देहरादून में भर्ती कराया गया जहां तारीख 24 जनवरी, 2011 तक आहत उपचाराधीन रही । साक्षियों ने इस संबंध में यह साक्ष्य दिया है कि इस घटना के पश्चात् आहत लंबे समय तक बोलने की स्थिति में नहीं थी ।

21. एक दलील यह भी दी गई है कि डा. के. के. बंसल (अभि. सा. 11) के अनुसार आहत को कारित सभी क्षतियां प्राण-घातक थीं । यह सत्य है कि डा. के. के. बंसल (अभि. सा. 11) ने अपनी प्रति-परीक्षा में

यह कथन किया है कि क्षतियां अधिक गंभीर प्रकृति की नहीं थीं । अन्य परिस्थितियों को दृष्टिगत करते हुए इस तथ्य पर भी विचार किया जाना चाहिए । आहत का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कथन संवीक्षा किए जाने योग्य है ।

22. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने **मुल्ला और एक अन्य** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[1] और **भगवान सिंह और अन्य** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[2] वाले मामलों में अधिकथित विधि के सिद्धांतों का अवलंब लिया है । **मुल्ला** (उपरोक्त) वाले मामले में माननीय न्यायालय ने अन्य बातों के साथ यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि साक्षी न्यायालय में पहली बार अभियुक्त की शनाख्त करता है, तब ऐसी शनाख्त के आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती । इस संबंध में निम्न प्रकार यह अभिनिर्धारित किया गया :–

> "21. शनाख्त परेड न कराए जाने से न्यायालय में प्रथम बार कराई गई शनाख्त का साक्ष्य अग्राह्य नहीं हो सकता बल्कि ऐसा साक्ष्य विधि की दृष्टि से पूरी तरह ग्राह्य है । जब न्यायालय में इसी साक्षी द्वारा पहली बार अभियुक्त की शनाख्त की जाती है, तब इसे दोषसिद्धि का आधार नहीं माना जा सकता । जैसाकि उच्चतम न्यायालय द्वारा मटरू **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य [(1971) 2 एस. सी. सी. 75 = ए. आई. आर. 1971 एस. सी. 1050] वाले मामले में व्यक्त किए गए मत को ध्यान में रखते हुए शनाख्त परेड स्वयं एक सारभूत साक्ष्य नहीं है । ऐसे साक्ष्य का प्रयोग अन्वेषण अभिकरण की सहायता के लिए किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अन्वेषण सही दिशा में किया जा रहा है । शनाख्त परेड जैसे साक्ष्य का प्रयोग न्यायालय में दिए गए कथन की मात्र संपुष्टि के लिए किया जाता है । [संतोख सिंह **बनाम** इजहार हुसैन (1973) 2 एस. सी. सी. 406 = ए. आई. आर. 1973 एस. सी. 2190 वाला मामला देखिए]"

---

[1] ए. आई. आर. 2010 एस. सी. 942.

[2] (2003) 3 एस. सी. सी. 21 = ए. आई. आर. 2003 एस. सी. 1088.

23. **भगवान सिंह** (उपरोक्त) वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने बाल साक्षी के साक्ष्य को स्वीकार करने से संबंधित सावधानी बरतने पर विचार करते हुए निम्न प्रकार अभिनिर्धारित किया है :-

> "22. बाल साक्षी के परिसाक्ष्य का एकमात्र रूप से अवलंब लेना हानिकारक हो सकता है क्योंकि ऐसा साक्ष्य घटना के तत्काल पश्चात् उपलब्ध नहीं कराया जाता है और इसलिए इस बात की पूरी संभावना बनी रहती है कि ऐसे साक्षी को सिखाया-पढ़ाया गया हो । असम राज्य **बनाम** मुफीजुद्दीन अहमद [(1983) 2 एस. सी. सी. 14 = ए. आई. आर. 1983 एस. सी. 274] वाले मामले का पैरा 14 और 15 देखें । उस मामले में बाल साक्षी के साक्ष्य का मूल्यांकन किया गया है और उसे निम्न प्रकार अविश्वसनीय अभिनिर्धारित किया गया है –
>
> 14. अन्य प्रत्यक्ष साक्ष्य मृतक के पुत्र (अभि. सा. 7), आयु 7 वर्ष, द्वारा दिया गया है । उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में निम्न मत व्यक्त किया है –
>
> .....बाल साक्षी का साक्ष्य को स्वीकार करने के लिए सदैव तब तक जोखिम बना रहता है जब तक कि ऐसा साक्ष्य घटना के तत्काल पश्चात् और किसी भी प्रकार से सिखाए-पढ़ाए जाने की संभावना के पूर्व ही उपलब्ध न करा दिया जाए ।
>
> 15. अभि. सा. 7 के अभिसाक्ष्य के मात्र सरसरी तौर पर किए गए परिशीलन से हमारा यह समाधान हो गया है कि यह साक्षी अपने पूरे साक्ष्य के दौरान डगमगाया है और इस प्रकार अभिसाक्ष्य दिया है जैसे उससे उसके नाना या चाचा के अनुसार साक्ष्य देने को कहा गया हो । यह सत्य है कि हम ऐसे साक्षी के अभिसाक्ष्य को अधिक महत्व नहीं दे सकते जिसकी आयु मात्र 7 वर्ष है । किन्तु इस साक्षी के अभिसाक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि उसने स्वतंत्र रूप से साक्ष्य नहीं दिया है और उसे सभी प्रक्रम पर किसी न किसी व्यक्ति द्वारा सिखाया-पढ़ाया गया है ।"

24. निस्संदेह आहत एक बालिका है । न्यायालय ने उसकी आयु 12 से 14 वर्ष के बीच अभिलिखित की है । अभियोजन पक्ष द्वारा आहत की आयु की जांच के लिए कोई भी अस्थि-परीक्षण नहीं कराया गया है । अपीलार्थी को मात्र दंड संहिता की धारा 511 के साथ पठित धारा 376 और 307 के अधीन आरोपित किया गया है । यह घटना वर्ष 2011 में घटित हुई है ।

25. प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से मुख्य दलील मिथ्या फंसाए जाने के संबंध में दी गई है । अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि आहत ने अपनी प्रति-परीक्षा के दौरान यह स्वीकार किया है कि पुलिस ने उसे हमलावर का नाम 'करनपाल' बताया था और आहत ने वही नाम न्यायालय के समक्ष बताया है । यह कथन आहत (अभि. सा. 2) के कथन के पृष्ठ 3 पर अंतिम पंक्तियों में और पृष्ठ 4 पर आरंभ की पंक्तियों में अभिलिखित है । आहत ने अपने कथन के उक्त भाग में यह उल्लेख किया है कि जिस व्यक्ति ने उस पर हमला किया था पुलिस ने उस व्यक्ति का नाम उसे करनपाल बताया था । जब आहत का कथन न्यायालय में अभिलिखित किया गया था तब उसे न्यायालय में पुलिस द्वारा नहीं लाया गया था । आहत ने न्यायालय में उसी व्यक्ति की शनाख्त की है जिस व्यक्ति को पुलिस ने आहत को दिखाया था । इस कथन के आधार पर, यह तर्क दिया गया है कि पुलिस ने पहले ही आहत को अपीलार्थी का नाम बता दिया था और इसके पश्चात् ही आहत ने उसका नाम लिया है ।

26. साक्ष्य के मूल्यांकन का मूल सिद्धांत यह है कि साक्षी के साक्ष्य को पूर्ण रूप से पढ़ा जाना चाहिए । बाल साक्षी के मामले में एक ओर सिखाए-पढ़ाए जाने की संभावना बनी रहती है और दूसरी ओर न्यायालय को उस स्थिति से अवगत रहना चाहिए जिसके अधीन ऐसे साक्षी की प्रति-परीक्षा की जाती है । न्यायालय को इस पर भी विचार करना चाहिए कि बाल साक्षी से किस प्रकार प्रश्न पूछे जा रहे हैं और यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसे साक्षी को कहीं सिखाया-पढ़ाया तो नहीं जा रहा है ।

27. अभियोजन का यह पक्षकथन है कि तारीख 8 जनवरी, 2011 को जब अपीलार्थी से अन्वेषण अधिकारी संजीव कुमार (अभि. सा. 8) द्वारा पूछताछ की गई थी, उसने अपना दोष संस्वीकृत किया और घटना के समय पहने हुए अपने वस्त्र बरामद कराए । अपीलार्थी को उसी दिन गिरफ्तार किया गया और उस समय आहत कथन देने की स्थिति में नहीं थी । अन्वेषण अधिकारी संजीव कुमार (अभि. सा. 8) ने अपनी प्रति-परीक्षा के पृष्ठ 4 के मध्य स्थित पंक्तियों में यह कथन किया है कि तारीख 12 जनवरी, 2012 को वह हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट, जॉली ग्रांट, देहरादून गया था किन्तु आहत कथन देने की स्थिति में नहीं थी ।

28. अब विचार के लिए यह प्रश्न शेष है कि क्या आहत घटना के समय अपीलार्थी को जानती थी ? क्या उसने हमलावर को घटना के समय देख लिया था या उसे पुलिस ने हमलावर के रूप में अपीलार्थी का नाम बताया था ? इस प्रयोजन के लिए स्थल नक्शे से थोड़ी सहायता मिल सकती है । अन्वेषण अधिकारी संजीव कुमार (अभि. सा. 8) द्वारा स्थल नक्शा साबित किया गया है । आहत के पिता (अभि. सा. 1) के खेत को इस नक्शे में दर्शाया गया है जिसमें सरसों की फसल खड़ी हुई थी । इस खेत के बराबर में दक्षिण दिशा की ओर सड़क पार अपीलार्थी का गन्ने का खेत है । आहत के पिता (अभि. सा. 1) जिस खेत में काम कर रहा था, वह उसका अपना खेत नहीं है । उसने यह खेत कृषि के लिए संविदा पर लिया हुआ था । घटना के समय अर्थात् अपीलार्थी द्वारा पुकारे जाने के समय, आहत जिस खेत में मौजूद थी वह उत्तरी दिशा में चक-रोड के पार अपीलार्थी का खेत है । आहत से अपीलार्थी के संबंध में विस्तार से प्रति-परीक्षा की गई है । आहत ने अपने साक्ष्य के पृष्ठ 3 के पैरा 2 में स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि आहत की अपीलार्थी के साथ कोई नातेदारी नहीं है और अपीलार्थी उसके ग्राम का निवासी नहीं है ।

29. आहत (अभि. सा. 2) ने संहिता की धारा 164 के अधीन अभिलिखित अपना कथन साबित किया है । आहत ने तारीख 28 जनवरी, 2011 को अभिलिखित अपने कथन में अपीलार्थी को नामित

किया है और यह बताया है कि अपीलार्थी शिव गढ़ का निवासी है जो पहले नवलपुर के नाम से जाना जाता था । अभि. सा. 2 में घटना का स्पष्ट रूप से वर्णन करते हुए अपीलार्थी को नामित किया है । आहत से यह प्रश्न नहीं किया गया है कि वह अपीलार्थी को कैसे जानती थी । अभियोजन का यह पक्षकथन नहीं है कि अपीलार्थी आहत के लिए कोई अजनबी था । दोनों के खेत बराबर-बराबर थे । आहत ने अपीलार्थी के बारे में बताया है । मात्र इस कारण से कि आहत को अपीलार्थी का नाम हमलावर के रूप में पुलिस द्वारा बताया गया था, अपीलार्थी की शनाख्त के संबंध में उसका कथन संदिग्ध नहीं हो सकता । आहत ने अपने कथन के पृष्ठ 4 पर पैरा 2 की निचली पंक्तियों में स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि उसे कथन देने के लिए उसके वकील अथवा पिता द्वारा सिखाया-पढ़ाया नहीं गया है । इस साक्षी ने इस सुझाव से इनकार किया है कि उसने अपीलार्थी का नाम पुलिस या अपने पिता के कहने पर लिया है । आहत की माता (अभि. सा. 3) के कथन से आहत के कथन की पुष्टि होती है जिसने यह बताया है कि जब आहत को होश आया था, तब उसने अपीलार्थी को नामित किया था । यदि पुलिस ने आहत के होश में आने से पहले ही हमलावर की शनाख्त कर ली थी, तब इससे आहत का कथन संदिग्ध नहीं होता है । उसने आहत को हमलावर बताया है ।

30. आहत अपीलार्थी को इस घटना से पहले से जानती थी । आहत बेहोश थी । उसे घटना के तत्काल पश्चात् अस्पताल भेजा गया था । उसके सिर में क्षति कारित हुई थी । आहत इस क्षति के परिणामस्वरूप बच गई । घटना के तत्काल पश्चात् वह कथन देने की स्थिति में नहीं थी । अभियोजन का यह पक्षकथन नहीं है कि उसकी आहत का कथन, स्वास्थ्य ठीक होने के बावजूद, अभिलिखित नहीं किया गया था । अभियोजन पक्ष के अनुसार तारीख 8 जनवरी, 2011 को अपीलार्थी ने अपना दोष स्वीकार किया । यह संयोग की बात है कि आहत का कथन अभिलिखित किए जाने के पूर्व जब आहत को होश आया, अपीलार्थी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका था । इस न्यायालय का यह मत है कि अभि. सा. 2 का कथन, विश्वासोत्पादक

प्रतीत होता है । इस साक्षी को सिखाया-पढ़ाया नहीं गया है । यह विश्वसनीय साक्षी है । इस साक्षी ने अपीलार्थी की शनाख्त को लेकर निरंतर स्पष्ट कथन किया है । इस साक्षी के कथन की पुष्टि उसकी माता (अभि. सा. 3) और चिकित्सीय साक्ष्य से होती है ।

31. वर्तमान मामला न्यायालय के कठघरे में की गई शनाख्त से संबंधित नहीं है । यह ऐसा मामला है जिसमें शनाख्त परेड कराना अपेक्षित था । आहत ने होश आने के पश्चात् अपीलार्थी को हमलावर बताया है । वह अपीलार्थी को पहले से जानती थी । जिस प्रकार आहत ने घटना का वर्णन किया है और जिस प्रकार उसने अपीलार्थी के पते-ठिकाने तथा खेतों से संबंधित उत्तर दिया है, उससे यह साबित हो जाता है कि आहत अपीलार्थी को पहले से जानती थी । अपीलार्थी को मिथ्या फंसाए जाने की कोई गुंजाइश नहीं है ।

32. एक दलील यह भी दी गई है कि घटना से कुछ दिन पहले अपीलार्थी के खेत से फसल चोरी होने के संबंध में अपीलार्थी और आहत के पिता (अभि. सा. 1) के बीच कहा-सुनी हो गई थी, अत: यह मामला मिथ्या फंसाए जाने का है । जबकि आहत को कारित क्षतियों से यह सिद्ध होता है कि घटना घटित हुई है । आहत (अभि. सा. 2) ने इस संबंध में कथन दिया है और पुष्टि की है । आहत के साक्ष्य की संपुष्टि की गई है । राज्य के विद्वान् काउंसेल द्वारा यह दलील दी गई है कि यदि यह मिथ्या फंसाए जाने का मामला होता, तब प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अभियुक्त को नामित किया जाता । किन्तु ऐसा नहीं किया गया और वास्तविक हमलावर को बचाते हुए अपीलार्थी को मिथ्या फंसाने का कोई कारण दिखाई नहीं देता है ।

33. राज्य की ओर से यह दलील दी गई है कि घटनास्थल से बाल बरामद किए गए जो अपीलार्थी के बालों के नमूने से मेल खाते हैं । यह साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है । अन्वेषण अधिकारी संजीव कुमार (अभि. सा. 8) ने यह कथन किया है कि तारीख 4 जनवरी, 2011 को उसने घटनास्थल से कुछ लंबे और कुछ छोटे बाल बरामद किए थे और इसके पश्चात् तारीख 24 फरवरी, 2011 को उसने अपीलार्थी के बालों का नमूना प्राप्त

किया । इससे कई प्रश्न पैदा होते हैं । गन्ने के खेत में बिना किसी उपकरण के बाल कैसे देखे जा सकते हैं ? अभि. सा. 8 द्वारा घटनास्थल पर बालों का पता लगाने के लिए तारीख 4 जनवरी, 2011 को न्यायालयिक प्रयोगशाला संबंधी किस यन्त्र का प्रयोग किया गया था ? महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि 4 जनवरी, 2011 को घटनास्थल से बाल बरामद किए गए थे, तब उन्हें न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजे जाने तक कहां रखा गया था ? यदि नमूना 24 फरवरी, 2011 को लिया गया था तब उसे 1 मार्च, 2011 तक कहां रखा गया था ? नमूने को जांच के लिए न्यायालयिक प्रयोगशाला कब भेजा गया था ? नमूने को किसकी अभिरक्षा में रखा गया था ? जब इसके संबंध में प्रश्न किए गए, तब अन्वेषण अधिकारी संजीव कुमार (अभि. सा. 8) ने तारीख 13 मार्च, 2011 को अभिलिखित किए गए अपने कथन में कोई भी बात स्पष्ट नहीं की । बालों की एकरूपता किस प्रकार तय की गई ? न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट के अनुसार किस प्रकार यह तय किया गया कि नमूना अपीलार्थी के बालों से मेल खाता है ? क्या कोई डी. एन. ए. परीक्षण किया गया था या इसके अतिरिक्त कोई और परीक्षण कराया गया था ? मात्र इस कारण से कि न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट के अनुसार नमूना मेल खाता हुआ प्रतीत होता है, यह न्यायालय इसे सत्य स्वीकार करने के लिए तब तक बाध्य नहीं है जब तक प्रयोगशाला की रिपोर्ट से नमूने का मेल खाना साबित न हो जाए । न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट से यह साबित नहीं होता है कि बालों की शनाख्त के लिए कौन-सा परीक्षण किया गया है किन्तु इसके अभाव में भी इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि आहत (अभि. सा. 2) का कथन विश्वासोत्पादक है । वास्तव में, उसका कथन पूर्णतया विश्वासप्रद है । इस कथन की संपुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से होती है ।

34. अपीलार्थी द्वारा प्रतिरक्षा में गोपीचंद (प्रतिरक्षा साक्षी 1), दरगपाल (प्रतिरक्षा साक्षी 2) और सूरज भान (प्रतिरक्षा साक्षी 3) की परीक्षा कराई गई है । प्रतिरक्षा साक्षी 1 अर्थात् गोपीचंद के अनुसार उसने आहत को क्षति कारित होने के संबंध में सुना था । इस घटना से लगभग 10-11 दिन पूर्व अपीलार्थी और इत्तिलाकर्ता के बीच कहा-सुनी

हो गई थी । दरगपाल (अभि. सा. 2) ने भी इस संबंध में साक्ष्य दिया है । सूरज भान (अभि. सा. 3) ने यह कथन किया है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा संविदा पर कोई भी खेत नहीं लिया गया था । यह कथन अत्यंत सामान्य है । इस कथन से किसी भी अभियोजन साक्षी का कथन संदिग्ध नहीं होता है । वास्तव में, गोपीचंद (प्रतिरक्षा साक्षी 1) और दरगपाल (प्रतिरक्षा साक्षी 2) ने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन इस प्रकार किया है कि इत्तिलाकर्ता अपीलार्थी को पहले से जानता था । इस निर्णय के पूर्ववर्ती भाग में इस न्यायालय द्वारा निकाला गया यह निष्कर्ष कि अपीलार्थी को जानने के लिए आहत के पास कई अवसर थे और वास्तव में वह अपीलार्थी को इस घटना के पहले से जानती थी और उसे अपीलार्थी की शनाख्त करनी ही थी जो कि उसने की ।

35. अब यह प्रश्न सामने आता है कि अपीलार्थी द्वारा कौन-सा अपराध कारित किया गया है ? अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 511 के साथ पठित धारा 376 और 307 के अधीन दोषसिद्ध किया गया है । सबसे पहले यह देखना होगा कि दंड संहिता की धारा 511 के साथ पठित धारा 376 के अधीन अपराध कारित किया गया है या नहीं ? इस संबंध में अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 511 के साथ पठित धारा 376 के अधीन कोई भी अपराध नहीं बनता है क्योंकि कोई भी प्रवेशन नहीं किया गया है, इस प्रकार चिकित्सीय साक्ष्य से इस तथ्य की संपुष्टि नहीं होती है ; संहिता की धारा 164 के अधीन अभिलिखित किए गए आहत के कथन तथा न्यायालय में अभिलिखित किए गए उसके कथन के बीच विरोधाभास दिखाई पड़ता है । प्रश्न यह है कि क्या अपीलार्थी ने आहत के साथ बलात्संग करने का प्रयास किया है या उसने मात्र आहत की लज्जा भंग करने का अपराध किया है जैसाकि दंड संहिता की धारा 354 के अधीन परिभाषित है ?

36. यह कहना आवश्यक नहीं है कि अपराध कारित करने के लिए तैयारी की जाती है और इस तैयारी के पश्चात्वर्ती एक प्रक्रम है जिसे प्रयास करना कहते हैं । **अमन कुमार और एक अन्य** बनाम **हरियाणा**

राज्य[1] वाले मामले में माननीय न्यायालय ने निम्न प्रकार अभिनिर्धारित किया है :-

> "11. किसी अभियुक्त को बलात्संग कारित करने के आशय के साथ प्रयास करने का दोषी ठहराने के लिए न्यायालय का यह समाधान होना चाहिए कि जब अभियुक्त ने अभियोक्त्री को बलपूर्वक लिटाया था तब वह अभियोक्त्री के शरीर से न केवल अपनी वासना की तुष्टि करना चाहता था अपितु वह अभियोक्त्री के साथ उसके द्वारा प्रतिरोध किए जाने के बावजूद हर हाल में बलात्संग करना चाहता था । अशिष्ट हमला प्राय: बलात्संग के प्रयास का रूप ले लेता है । इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि अभियुक्त के आचरण यह उपदर्शित करता है कि वह हर हाल में अपनी वासना पूरी करना चाहता था चाहे कोई कितना भी प्रतिरोध करे । सुसंगत परिस्थितियों से ऐसा ही उपदर्शित होता है ।"

37. **कोप्पुला वेंकट राव** बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य**[2] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय के पैरा 10 में यह अभिनिर्धारित किया है कि "किसी अपराध को कारित करने का प्रयास एक कृत्य है या कृत्यों की क्रमावली है जिससे अपरिहार्य रूप से अपराध कारित होता है परंतु ऐसा तब हो सकता है जब अपराधी को इसका पूर्वानुमान हो और उसने इस कृत्य को रोकने का प्रयास न किया हो" ।

38. **तरकेश्वर साहू** बनाम **बिहार राज्य (अब झारखंड)**[3] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्न अभिनिर्धारित किया है :-

> "16. बलात्संग और आपराधिक हमले के बीच अंतर को समुचित रूप से आर. **बनाम** जेम्स लॉयड [(1836) 7 सी. और पी. 317 = 173 ई. आर. 141] वाले मामले में स्पष्ट किया गया है । इस मामले में जूरी, न्यायमूर्ति पैटरसन के समक्ष आरोप प्रस्तुत करते समय निर्णय के पृष्ठ 142 पर निम्न मत व्यक्त किया -

---

[1] (2004) 4 एस. सी. सी. 379 = ए. आई. आर. 2004 एस. सी. 1497.

[2] (2004) 3 एस. सी. सी. 602 = ए. आई. आर. 2004 एस. सी. 1874.

[3] (2006) 8 एस. सी. सी. 560.

"यह पता लगाने के लिए कि अभियुक्त, बलात्संग कारित करने के आशय से हमला करने का दोषी है या नहीं, आपका यह समाधान होना चाहिए कि जब उसने अभियोक्त्री को पकड़ा था तब उसे मात्र अपनी वासना की तुष्टि को बुझाना नहीं था अपितु उसने ऐसा करने के लिए अभियोक्त्री द्वारा किए गए प्रतिरोध के बावजूद सभी कृत्य करना था ।"

17. **अहमद असल्त मीरखान** (तारीख 12 अगस्त, 1930 को विनिश्चित 1930 की दांडिक अपील सं. 161 जो रतनलाल धीरज लाल द्वारा लिखित पुस्तक लॉ ऑफ क्राइम्स के पृष्ठ 922 पर उल्लिखित है) न्यायमूर्ति मिरजा और ब्रूमफील्ड द्वारा विनिश्चित एक ऐसा ही मामला है । इस मामले में शिकायतकर्ता बारह या तेरह वर्ष की दूध बेचने वाली कन्या थी जिसने दूध बेचने के लिए अभियुक्त के घर में प्रवेश किया । अभियुक्त उस बिस्तर से उठा जिस पर वह लेटा हुआ था और उसने अन्दर से दरवाजा जंजीर से बंद कर लिया । इसके पश्चात् उसने अपने वस्त्र और लड़की का पेटीकोट उतार लिया, लड़की को उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया और उसके वक्ष पर बैठ गया । अभियुक्त ने अपना हाथ लड़की के मुंह पर रख दिया ताकि लड़की के मुंह से चीखने की आवाज न निकले और उसने अपना गुप्तांग लड़की के गुप्तांग पर रख दिया । कोई प्रवेशन नहीं हुआ था । लड़की ने प्रतिरोध किया और वह चिल्लाई और जैसे ही अभियुक्त की पकड़ ढीली हुई, वह उठकर खड़ी हो गई और उसने दरवाजे की जंजीर खोल दी और बाहर चली गई । यह अभिनिर्धारित किया गया कि अभियुक्त बलात्संग के प्रयास का नहीं है अपितु अशिष्ट हमले का दोषी है । बलात्संग कारित करने और अश्लील हमले के बीच अन्तर यह है कि अभियुक्त द्वारा ऐसा कृत्य किया जाना चाहिए जिससे यह उपदर्शित होता हो कि वह स्त्री के साथ लैंगिक संबंध बनाने जा रहा था ।"

39. विधि के सुस्थापित सिद्धांतों को दृष्टिगत करते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि अपराध कारित करने का प्रयास एक ऐसा कृत्य है जिससे

अपरिहार्य रूप से अपराध कारित होता है परंतु ऐसा तब हो सकता है जब अपराधी को इसका पूर्वानुमान हो और उसने इस कृत्य को रोकने का प्रयास न किया हो । दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि प्रयास का यह अर्थ है कि तैयारी से आगे अपराध को पूरा करने के लिए कुछ किया गया है किन्तु अपराध ऐसे अंतर्वर्ती कारकों के कारण घटित नहीं हो सका जिनका अनुमान अभियुक्त नहीं कर सका था और न ही उसका ऐसा कोई आशय था । इस सिद्धांत को दृष्टिगत करते हुए इस मामले पर विचार करना होगा ।

40. आहत के अनुसार घटना के समय अपीलार्थी ने उसे दबोच लिया था और उसने आहत से अपनी पेन्ट नीचे करने को कहा । वह रोई और उसने अपीलार्थी से कहा कि वह इसके बारे में अपने पिता को बता देगी । अपीलार्थी ने उसे जमीन पर पटक दिया और उसने अपना शिश्न आहत की योनि में प्रविष्ट कर दिया । इसके पश्चात्, अपीलार्थी ने आहत के सिर पर पत्थर मारा । आहत (अभि. सा. 2) ने संहिता की धारा 164 के अधीन अभिलिखित किए गए अपने कथन को साबित किया है । आहत ने संहिता की धारा 164 के अधीन अभिलिखित अपने कथन में यह उल्लेख किया है कि अपीलार्थी ने उसे निर्वस्त्र किया था और उसके ऊपर बैठ गया था । आहत ने अपीलार्थी से कहा कि वह उसे छोड़ दे । आहत ने यह भी कहा कि वह इस घटना के बारे में अपने पिता को बताएगी । अपीलार्थी ने आहत के सिर पर पत्थर से वार किया ।

41. इन सभी सुसंगत कारकों को दृष्टिगत करते हुए, इस न्यायालय का यह मत है कि यह बलात्संग के प्रयास का मामला नहीं है बल्कि यह आहत की लज्जा भंग करने के आशय से किए गए हमले का मामला है जो दंड संहिता की धारा 354 के अधीन आता है । यह न्यायालय निश्चित रूप से दंड संहिता की धारा 511 के साथ पठित धारा 376 के अधीन की गई दोषसिद्धि को अपास्त कर सकता है (**तरकेश्वर साहू** (उपरोक्त) वाला मामला देखिए) ।

42. यह भी तर्क दिया गया है कि वर्तमान मामले में दंड संहिता की धारा 307 के अधीन अपराध नहीं बनता है क्योंकि डा. के. के. बंसल (अभि. सा. 11) ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि आहत को

कारित की गई क्षति उसकी मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी । अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 307 के अधीन दोषसिद्ध किया गया है । यह धारा निम्न प्रकार है :-

"307. **हत्या करने का प्रयत्न** - जो कोई किसी कार्य को ऐसे आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि वह उसी कार्य द्वारा मृत्यु कारित कर देता है तो वह हत्या का दोषी होता, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा, और यदि ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित हो जाए, तो वह अपराधी या तो आजीवन कारावास से या ऐसे दंड से दंडनीय होगा, जैसा एतस्मिनपूर्व वर्णित है ।

आजीवन सिद्धदोष द्वारा प्रयत्न - जबकि इस धारा में वर्णित अपराध करने वाला कोई व्यक्ति आजीवन कारावास के दंडादेश के अधीन हो, तब यदि उपहति कारित हुई हो, तो वह मृत्यु से दंडित किया जा सकेगा ।"

43. 'हत्या' को दंड संहिता की धारा 300 के अधीन परिभाषित किया गया है :-

"धारा 300 - **हत्या** - एतस्मिन् पश्चात् अपवादिक दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानववध हत्या है, यदि वह कार्य, जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई हो, मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो, अथवा

दूसरा - यदि वह ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो जिससे अपराधी जानता हो कि उस व्यक्ति को मृत्यु कारित करना संभाव्य है जिसको वह अपहानि कारित की गई है, अथवा

तीसरा - यदि वह व्यक्ति किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो और वह शारीरिक क्षति,

जिसके कारित करने का आशय हो, प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो, अथवा

चौथा – यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो कि वह कार्य इतना आसन्न संकट है कि पूरी अधिसंभाव्यता है कि वह मृत्यु कारित कर ही देगा या ऐसी शारीरिक क्षति कारित कर ही देगा जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है और वह मृत्यु कारित करने या पूर्वोक्त रूप की क्षति कारित करने की जोखिम उठाने के लिए किसी प्रतिहेतु के बिना ऐसा कार्य करे...।"

44. आहत ने अपने साक्ष्य में जो कहा है वह इस प्रकार है कि अपीलार्थी सहायता करने के बहाने से उसे अपने साथ ले गया, उसे बलपूर्वक पकड़ लिया, उसने आहत से अपनी पेन्ट खोलने को कहा, जब वह चिल्लाई तो अपीलार्थी ने उसे जमीन पर गिरा लिया, उसने आहत की पेन्ट खोल दी और उसने अपना शिश्न आहत की योनि में प्रविष्ट कर दिया और इसके पश्चात् उसने आहत के सिर पर पत्थर मारा । आहत अचेत हो गई । जब अपराह्न 8.10 बजे आहत की चिकित्सा परीक्षा की गई तब वह अचेत थी । बहुत दिनों तक आहत बोलने की स्थिति में नहीं थी । अस्पताल से छुट्टी होने का प्रमाणपत्र अर्थात् डिस्चार्ज समरी डा. के. के. बंसल (अभि. सा. 11) द्वारा साबित की गई है । डा. ए. के. पालिवाल द्वारा पहली बार ये क्षतियां देखी गई हैं । आहत के सिर पर क्षतियां कारित हुई हैं और इन्हीं क्षतियों के कारण आहत अचेत हो गई थी । डिस्चार्ज समरी में, जिसे डा. के. के. बंसल द्वारा साबित किया गया है, चिकित्सा-जांच का भी उल्लेख किया गया है जो निम्न प्रकार है : –

"चिकित्सा-जांच –

एन.सी.सी.टी. हैड और 3-डी रिकर्न इमरजेन्सी (03/01/11) : प्रमस्तिष्क में सूजन है और अवजालतानिक रक्तस्राव के साथ पार्श्विक भाग में छोटा गुमटा है ।"

45. अपराध कारित किए जाने में निश्चायक कारक क्या है ? क्षति की गंभीरता या हत्या का आशय ?

46. **महाराष्ट्र राज्य** बनाम **बलराम रामा पाटिल और अन्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अन्य बातों के साथ यह अभिनिर्धारित किया है कि इस धारा के अधीन दोषसिद्ध करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि ऐसी शारीरिक क्षति कारित की जानी आवश्यक हो जिससे मृत्यु कारित की जा सके । यद्यपि कारित की गई क्षतियों की प्रकृति से अभियुक्त के आशय को समझने में काफी आसानी हो सकती है किन्तु इस आशय को अन्य परिस्थितियों से भी समझा जा सकता है और कभी-कभी तो आशय का संबंध कारित की गई क्षतियों से बिल्कुल नहीं होता है । इस धारा के अधीन अभियुक्त के कृत्य और उसके परिणाम, यदि कोई है, के बीच अन्तर स्पष्ट किया गया है । जहां तक आहत व्यक्ति का संबंध है यह भी हो सकता है कि अभियुक्त के कृत्य का कोई परिणाम क्षतियों के रूप में न निकले, किन्तु ऐसे भी मामले हो सकते हैं जिनमें इस धारा के अधीन अभियुक्त अपराध के लिए जिम्मेदार हो सकता है । यह आवश्यक नहीं है कि वास्तव में आहत को कारित क्षति इतनी होनी चाहिए कि प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में वह उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो जिस पर हमला किया गया है । न्यायालय को इस पर विचार करना चाहिए कि क्या अभियुक्त द्वारा किया गया कृत्य, जिसका परिणाम कुछ भी हो, इस धारा में उल्लिखित आशय या ज्ञान तथा परिस्थितियों में किया गया था । किसी प्रयास को आपराधिक बनाने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उससे कोई क्षति कारित की हो । किसी अपराध के गठित किए जाने के लिए विधि की दृष्टि से यह पर्याप्त है कि साशय स्पष्ट कृत्य किया गया हो ।"

47. **आर. राकेश** बनाम **कर्नाटक राज्य**[2] और **गिरिजा शंकर** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[3] वाले मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस सिद्धांत को दोहराया है ।

---

[1] (1983) 2 एस. सी. सी. 28 = ए. आई. आर. 1983 एस. सी. 305.

[2] ए. आई. आर. 2004 एस. सी. 1812.

[3] (2004) 3 एस. सी. सी. 793 = ए. आई. आर. 2004 एस. सी. 1808.

48. दंड संहिता की धारा 307 के अधीन अपराध गठित करने के लिए साशय निष्पादित किया गया स्पष्ट कृत्य है । क्षति की प्रकृति स्वयं में निश्चायक तथ्य नहीं है । यद्यपि यह अभियुक्त का आशय सुनिश्चित करने में न्यायालय के लिए सहायक हो सकता है ।

49. घटना के समय आहत की आयु 12 वर्ष थी । अपीलार्थी ने उसकी लज्जा भंग की है और इस प्रक्रिया के दौरान उसने आहत को बलपूर्वक दबोच लिया था, और जब उसने प्रतिरोध किया तो उसे जमीन पर पटका और अपीलार्थी को चेतावनी दी कि वह यह सब अपने पिता को बताएगी । अपीलार्थी का आशय आहत को क्षति कारित करना नहीं बल्कि निश्चित रूप से उसकी हत्या करने के लिए क्षति कारित की गई थी । अपीलार्थी का आशय आहत की हत्या करने का ही था । आहत लम्बे समय तक अस्पताल में भर्ती रही । वह अचेत अवस्था में थी । अत: उन परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात् जिनके अधीन क्षति कारित की गई थी और आहत को कारित क्षतियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय का यह मत है कि अपीलार्थी का कृत्य दंड संहिता की धारा 307 की परिधि के अधीन आता है ।

50. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा दंड की मात्रा के प्रश्न पर भी विचार किया गया है । यह तर्क दिया गया है कि (अपीलार्थी को अधिनिर्णीत दंड) उसके द्वारा कारित किए गए कृत्य के असमानुपाती है ।

51. वर्तमान मामले में, अपीलार्थी ने अप्राप्तवय कन्या की मात्र लज्जा ही भंग नहीं की है अपितु उसने उसकी हत्या करने का प्रयत्न भी किया है ; उसके सिर पर पत्थर से वार किया है और घटना के दिन अपराह्न 8.10 बजे आहत की पहली बार चिकित्सीय जांच कराए जाने के दौरान ये क्षतियां डा. ए. के. पालीवाल द्वारा देखी गई हैं । आहत को उसकी जान बचाने के लिए एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल ले जाया गया । भाग्यवश उसकी जान बच गई ।

52. सभी सुसंगत परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात् इस न्यायालय का यह मत है कि दंड संहिता की धारा 307 के अधीन

अपराध के लिए अपीलार्थी को अधिरोपित दंडादेश समुचित है और इसमें किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।

53. अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 511 के साथ पठित धारा 376 के बजाय धारा 354 के अधीन दोषसिद्ध किया गया है । अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 354 के अधीन दंडादिष्ट किया जाना चाहिए ।

54. दंड संहिता की धारा 307 के अधीन अपीलार्थी को पहले से अधिरोपित दंड और मामले की परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात् इस न्यायालय का यह मत है कि यदि अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 354 के अधीन 5 वर्ष के कारावास और 5,000/- रुपए के जुर्माने से दंडादिष्ट किया जाए तो पूर्ण न्याय होगा ।

55. दंड संहिता की धारा 307 के अधीन अपीलार्थी की दोषसिद्धि और दंडादेश कायम रखा जाता है और उसकी पुष्टि भी की जाती है ।

56. दंड संहिता की धारा 511 के साथ पठित धारा 376 के अधीन अपीलार्थी की दोषसिद्धि और दंडादेश अपास्त किया जाता है । अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 354 के अधीन दोषसिद्ध किया जाता है और 5 वर्ष की अवधि के कठोर कारावास तथा 5,000/- रुपए के जुर्माने के संदाय से दंडादिष्ट किया जाता है । जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम किए जाने पर अपीलार्थी अतिरिक्त 1 मास का कारावास भोगेगा ।

57. आक्षेपित निर्णय और आदेश ऊपर उपदर्शित रूप में उपांतरित किए जाते हैं ।

58. इस मामले के मूल अभिलेख के साथ निर्णय की प्रति निचले न्यायालय को अनुपालन के लिए भेजी जाए ।

तद्नुसार आदेश किया गया ।

अस.

जिमी जचेरिया और अन्य

बनाम

केरल राज्य

(2019 का जमानत आवेदन सं. 6700)

तारीख 20 दिसंबर, 2019

न्यायमूर्ति राजा विजयराघवन

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 420 [सपठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 438] – छल और कूटरचना – अग्रिम जमानत का आवेदन – कूटरचित मुख्तारनामे द्वारा सरकारी संपत्ति का सह-अभियुक्त के नाम में स्थानांतरण – राज्य ने संपत्तियों पर प्रतिकूल दावा किया है जिसका न्यायनिर्णयन सक्षम कार्यवाहियों के दौरान किया जाना चाहिए और यदि यह पाया जाता है कि समनुदेशन पूर्णतया साम्यापूर्ण प्राधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों के परे है या प्रक्रिया में कोई अनियमितता है या समनुदेशीय संपत्ति सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित सरकारी संपत्ति है, तब सरकार से यह प्रत्याशा की जाती है कि वह विधि के सुसंगत उपबंधों का अवलंब लेते हुए ऐसे समनुदेशन को रद्द करे या विधि की प्रक्रिया के अधीन संपत्ति को स्पष्ट करने के लिए समुचित कार्यवाही करे, इस पृष्ठभूमि में आवेदकों से अभिरक्षीय पूछताछ की जानी अपेक्षित नहीं है, अत: अग्रिम जमानत मंजूर करना न्यायोचित है ।

अभियोजन अभिकथन इस प्रकार है कि अभियुक्त सं. 1 से 3 ने विधिविरुद्ध लाभ पाने तथा सरकार को पश्चात्वर्ती हानि पहुंचाने के आशय से ग्राम चिन्नाकनाल की भूखंड सं. 20/1 की 11.50 एकड़ क्षेत्रफल वाली भूमि से संबंधित दस्तावेजों की कूटरचना की । यह भी अभिकथन किया गया है कि अभियुक्त सं. 3 से 6 ने राज्य के साथ धोखाधड़ी करने के सामान्य आशय को अग्रसर करते हुए संपत्ति हड़पने

के लिए अभियुक्त सं. 1 के पक्ष में मुख्तारनामा निष्पादित किया और उसे द्वितीय अभियुक्त अर्थात् मैसर्स एपोथियोसिस इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में दस्तावेज सं. 236/2009, 237/2009 और 238/2009 निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया । 2019 के जमानत आवेदन सं. 6700 में के अभियुक्त सं. 1, 4 और 5 हैं ; 2019 के जमानत आवेदन सं. 6794 में का आवेदक, अभियुक्त सं. 3 है और 2019 के जमानत आवेदन सं. 6977 में का आवेदक, अभियुक्त सं. 6 है और ये सभी आवेदन पुलिस थाना सन्तनपाड़ा में दर्ज अपराध मामला सं. 355/2019 से उद्भूत हैं । उपरोक्त अपराध तारीख 2 सितंबर, 2019 को केरल भूमि संरक्षण अधिनियम, 1957 की धारा 7(क) और (ख) तथा भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 34 के साथ पठित धारा 465, 466, 468, 471 और 420 के अधीन तहसीलदार, उदुमपंचोला द्वारा की गई शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया है । आवेदकों के विरुद्ध गैर-जमानतीय अपराध के लिए मामला दर्ज होने के पश्चात् आवेदकों ने उच्च न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया । आवेदन मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – न्यायालय ने दी गई दलीलों पर विचार किया है और संपूर्ण अभिलेख का परिशीलन किया है । दोनों पक्षकारों की ओर से दी गई दलीलों से यह निष्कर्ष निकलता है कि कई दशक पूर्व भूमि समनुदेशन अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में कृषि और आवासीय प्रयोजन के लिए कई व्यक्तियों को सरकार द्वारा पट्टे जारी किए गए । अभियुक्त सं. 4 ने पट्टाधारकों से उक्त संपत्तियां क्रय कीं । प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों से यह भी उपदर्शित होता है कि सेवियों गॉनसल्विस नाम के व्यक्ति द्वारा अभियुक्त सं. 4 से एक संपत्ति क्रय की गई । इसके पश्चात्, अभियुक्त सं. 1 ने मुख्तारनामा धारक की हैसियत से अभियुक्त सं. 2 के पक्ष में तीन विक्रय विलेख निष्पादित किए । अभिलेख से यह भी दर्शित होता है कि विक्रय विलेखों की प्रामाणिकता और उन्हें निष्पादित करने की अनुज्ञा संबंधी प्रमाणपत्र भी राजस्व प्राधिकारियों द्वारा, विक्रय विलेख के निष्पादन के पूर्व, जारी किए गए ।

इसके पश्चात् अभियुक्त सं. 2 के पक्ष में संपत्तियों का स्थानांतरण कर दिया गया । 2013 की सिविल रिट याचिका सं. 16390 में दिए गए निर्णय (प्रदर्श पी-14) से यह निष्कर्ष निकलता है कि इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि राज्य ने इन संपत्तियों पर कोई प्रतिकूल दावा किया है, तब इसका न्यायनिर्णयन सक्षम कार्यवाहियों के दौरान किया जाना चाहिए । यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि विक्रय विलेख के अधीन अभियुक्त सं. 2 का अधिकार राज्य द्वारा किए गए तकनीकी आक्षेपों के आधार पर उपशमित नहीं किया जा सकता । विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा निकाले गए उक्त निष्कर्ष का अनुमोदन खंड न्यायपीठ द्वारा भी किया गया है । यद्यपि भूमि समनुदेशन नियम, 1964 के अधीन राज्य का प्रतिकूल दावा करने या समुचित कार्यवाही आरंभ करने का अधिकार आरक्षित है, मेरा यह निष्कर्ष है कि राज्य को जांच समिति का गठन करना चाहिए जो मामले की जांच-पड़ताल के बाद अपनी राय प्रस्तुत करे । जांच समिति के निष्कर्ष के आधार पर राज्य इस संपत्ति पर दावा करने या उसकी रजिस्ट्री रद्द करने के लिए प्राधिकृत नहीं होगा । यदि यह पाया जाता है कि समनुदेशन पूर्णतया साम्यापूर्ण समनुदेशक प्राधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों के परे है या प्रक्रिया में कोई अनियमितता है या समनुदेशक संपत्ति सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित सरकारी संपत्ति है, तब सरकार से यह प्रत्याशा की जाती है कि वह विधि के सुसंगत उपबंधों का अवलंब लेते हुए ऐसे समनुदेशन को रद्द करे या विधि की प्रक्रिया के अधीन संपत्ति को स्पष्ट करने के लिए समुचित कार्यवाही करे । ऐसा करने के बजाय समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर आपराधिक कार्यवाही संस्थित की गई है । मेरा यह निष्कर्ष है कि अभियुक्त ने पहले ही इस न्यायालय में अलग से रिट याचिका फाइल की है कि जिसमें यह प्रतिवाद किया है कि अभियुक्तों के विरुद्ध रिट न्यायालय द्वारा पारित किए गए आदेश को अनदेखा करने के लिए चलाई गई दांडिक कार्यवाही कायम नहीं रखी जा सकती । कुछ रिट याचिकाओं में इस न्यायालय ने रोक आदेश भी प्रदान किए हैं । उपरोक्त पृष्ठभूमि में

मेरा यह मत है कि गिरफ्तारी के पूर्व जमानत मंजूर किए जाने के लिए आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किया गया पक्षकथन न्यायोचित है । विद्वान् सरकारी प्लीडर श्री वाई. जाफर खान द्वारा दृढ़तापूर्वक दी गई दलीलों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इस मामले में अनेक संदिग्ध परिस्थितियां हैं । इन पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए जिसके लिए कड़ी शर्तें अधिरोपित की जा सकती हैं । अभिकथनों की प्रकृति और आवेदकों को समनुदेशित भूमिका और उससे संबंधित तथ्यों को दृष्टिगत करने पर मेरा यह मत है कि आवेदकों से अभिरक्षीय पूछताछ किया जाना अपेक्षित नहीं है । (पैरा 7)

दांडिक मूल अधिकारिता : 2019 का जमानत आवेदन सं. 6700.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 438 के अधीन अग्रिम जमानत हेतु आवेदन ।

आवेदकों की ओर से	श्री दीपू थंकन, सुश्री उम्मुल फिदा और सुश्री लक्ष्मी श्रीधर
प्रत्यर्थी की ओर से	श्री वाई. जाफर खान (लोक अभियोजक)

आदेश

यह आवेदन दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 438 के अधीन फाइल किया गया है ।

2. 2019 के जमानत आवेदन सं. 6700 में के अभियुक्त सं. 1, 4 और 5 हैं ; 2019 के जमानत आवेदन सं. 6794 में का आवेदक, अभियुक्त सं. 3 है और 2019 के जमानत आवेदन सं. 6977 में का आवेदक, अभियुक्त सं. 6 है और ये सभी आवेदन पुलिस थाना सन्तनपाड़ा में दर्ज अपराध मामला सं. 355/2019 से उद्भूत हैं । उपरोक्त अपराध तारीख 2 सितंबर, 2019 को केरल भूमि संरक्षण अधिनियम, 1957 की धारा 7(क) और (ख) तथा भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 34 के साथ पठित धारा 465, 466, 468, 471 और

420 के अधीन तहसीलदार, उदुमपंचोला द्वारा की गई शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया है ।

3. अभियोजन अभिकथन इस प्रकार है कि अभियुक्त सं. 1 से 3 ने विधिविरुद्ध लाभ पाने तथा सरकार को पश्चातवर्ती हानि पहुंचाने के आशय से ग्राम चिन्नाकनाल की भूखंड सं. 20/1 की 11.50 एकड़ क्षेत्रफल वाली भूमि से संबंधित दस्तावेजों की कूटरचना की । यह भी अभिकथन किया गया है कि अभियुक्त सं. 3 से 6 ने राज्य के साथ धोखाधड़ी करने के सामान्य आशय को अग्रसर करते हुए संपत्ति हड़पने के लिए अभियुक्त सं. 1 के पक्ष में मुख्तारनामा निष्पादित किया और उसे द्वितीय अभियुक्त अर्थात् मैसर्स एपोथियोसिस इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में दस्तावेज सं. 236/2009, 237/2009 और 238/2009 निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया ।

4. अपीलार्थियों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री दीपू थंकन ने इन सभी मामलों में यह दलील दी कि आवेदकों के विरुद्ध किए गए अभिकथनों में कोई भी गुणता नहीं है । विद्वान् काउंसेल के अनुसार, अभियुक्त सं. 6, मॉन्टफोर्ड का प्राचार्य है और उक्त स्कूल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रदर्स ऑफ सेन्ट गेब्रियल जो कि उपरोक्त अपराध में अभियुक्त सं. 3 है, के अधीन कार्यरत है । विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि भूमि समनुदेशन अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में राज्य ने विभिन्न भूखंडों के संबंध में अनेक व्यक्तियों को, जिनमें अभियुक्त सं. 4 भी है, पट्टे जारी किए हैं जैसाकि उपाबंध-ए2 से ए6 द्वारा उपदर्शित है । उपरोक्त पट्टे के अधीन आने वाली संपत्ति अभियुक्त सं. 3 द्वारा क्रय की गई । ऊपर कथित संपत्ति के क्रय किए जाने के पूर्व उपाबंध ए2 से ए6 की प्रामाणिकता तहसीलदार, उदुमपंचोला द्वारा सत्यापित कराई गई और विक्रय विलेख निष्पादित करने के लिए उससे अनुज्ञा प्राप्त की गई । अपनी दलील के समर्थन के लिए विद्वान् काउंसेल द्वारा उपाबंध ए7 से ए12 का अवलंब लिया गया है । इसके पश्चात्, ये संपत्तियां एस. आर. ओ. राजकुमारी के विक्रय विलेख सं. 236/2009, 237/2009 और 238/2009 के अनुसार अभियुक्त सं. 2 के

पक्ष में स्थानांतरित कर दी गई । क्योंकि ग्राम अधिकारी द्वारा नामांतरण नहीं किया गया था इसलिए अभियुक्त सं. 2 ने इस न्यायालय में आवेदन किया है और 2013 की सिविल रिट याचिका सं. 16390 में तारीख 21 मई, 2015 के निर्णय द्वारा इस न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने चिन्नाकनाल के ग्राम अधिकारी को इस निर्णय की प्रति की प्राप्ति की तारीख से दो सप्ताह की अवधि के भीतर विक्रय विलेख के अन्तर्गत आने वाली संपत्ति का स्थानांतरण करने हेतु आदेश किया । तथापि, यह स्पष्ट किया गया कि यदि राज्य यह सिद्ध कर देता है कि विक्रय विलेखों के अधीन आने वाली संपत्ति सरकारी पुरमबोक भूमि है, तब यह स्थानांतरण अभियुक्त सं. 2 के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के संबंध में राज्य के लिए रुकावट नहीं बनेगा । उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील की गई किन्तु इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने 2015 के रिट आवेदन सं. 1630 में तारीख 9 जनवरी, 2019 को पारित निर्णय द्वारा उपरोक्त निर्णय में, सरकार के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया । उदुमपंचोला के तहसीलदार को यह निदेश दिया गया कि वे यह सुनिश्चित करें कि विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए निदेशों का अनुपालन समय-सीमा के भीतर किया गया है या नहीं ।

5. श्री दीपू थंकन ने यह भी दलील दी है कि निदेशों का अनुपालन किए जाने के बावजूद सरकार द्वारा तारीख 31 मई, 2019 को आदेश पारित किया गया और अपराध दर्ज कराने के लिए आदेश किया गया । विद्वान् काउंसेल ने यह प्रतिवाद किया है कि भूमि समनुदेशन अधिनियम, 1964 के नियम 8 का अवलंब लेते हुए पट्टा रद्द कराने हेतु समुचित कार्रवाई किए बिना यह न्यायोचित नहीं होगा कि सरकार अपराध दर्ज कराने का आदेश करे । विद्वान् काउंसेल के अनुसार इस न्यायालय के समक्ष पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर बहस की गई है और रिट न्यायालय के समक्ष भी सरकार द्वारा वे प्रतिवाद नहीं किए गए जिनके आधार पर अपराध दर्ज किया जाता । विद्वान् काउंसेल के अनुसार यदि आवेदकों को गिरफ्तार किया जाता है और सारहीन

अभिकथनों के आधार पर उन्हें निरुद्ध किया जाता है तब ऐसा किए जाने से घोर अन्याय और अत्याचार होगा ।

6. राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् सरकारी प्लीडर श्री वाई. जाफर खान द्वारा गंभीर रूप से आक्षेप किया है । उन्होंने यह दलील दी है कि कुछ व्यक्ति, जिनमें अभियुक्त सं. 3 से 6 हैं, ने अपने अवैध फायदों के लिए जिला इडुक्की में मूल्यवान सरकारी भूमि का अतिक्रमण किया है । विद्वान् सरकारी प्लीडर के अनुसार रिट अपील में दिए गए इस न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में सरकार ने आदेश-उपाबंध आर-1(डी) जारी किया और कुटरचित पट्टे सहित मिथ्या दस्तावेजों के तैयार किए जाने और कतिपय प्रमाणपत्र जारी किए जाने में राजस्व पदाधिकारियों द्वारा कारित कतिपय कृत्यों से संबंधित अभिकथनों की जांच किए जाने के लिए देवीकुलम के उप-कलक्टर की अध्यक्षता में सात सदस्यों वाली समिति का गठन किया । उक्त समिति ने इस संबंध में विस्तृत जांच की और तारीख 20 मई, 2019 को सरकार के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । उक्त रिपोर्ट में इस समिति ने यह स्पष्ट किया कि ग्राम चिन्नाकनाल में भूमि से संबंधित बड़े पैमाने पर अवैधता और अनियमितता की गई है । कूटरचित दस्तावेज तैयार करके अनेक व्यक्तियों द्वारा भूमि का अत्यधिक अतिक्रमण किया गया है और वहां कई बहुमंजिला इमारतें बनाई गई हैं । दस्तावेज सं. 236/2009, 237/2009 और 238/2009 के निष्पादन की भी जांच की गई और यह पाया गया कि उक्त दस्तावेज कूटरचित हैं और जिस संपत्ति का उल्लेख उक्त दस्तावेजों में किया गया है, वह वास्तव में विद्यमान ही नहीं हैं । यह भी पाया गया है कि अभियुक्त सं. 1 के परिवार में ग्राम चिन्नाकनाल में थंडापर-रजिस्टर में भिन्न पते का उल्लेख करके हेरफेर की है । इस समिति ने अभियुक्त सं. 1 परिवार के अधिभोग में आई और स्थानांतरित की गई संपत्ति के संबंध में विस्तृत जांच किए जाने की सिफारिश की है । सिफारिश में यह स्पष्ट किया गया है कि सरकार ने उक्त रिपोर्ट को कार्यान्वित करने के लिए प्राथमिक कदम के रूप में तारीख 3 मई, 2019 का आदेश जारी किया

है । इन निदेशों के निबंधनों में तहसीलदार ने उन विक्रय विलेखों से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए अभियुक्त सं. 2 को नोटिस भी जारी किए हैं जिनके आधार पर उन्होंने कतिपय संपत्तियां क्रय की हैं । यह दलील दी गई है कि जब नोटिस जारी किए गए थे, तब अभियुक्त ने अलग से इस न्यायालय के समक्ष रिट आवेदन सं. 26516/2019, 26893/2019 और 24516/2019 फाइल किए और इस न्यायालय ने इन रिट आवेदनों में से दो आवेदनों में आगे कार्यवाही किए जाने पर अंतरिम रोक आदेश जारी किया ।

7. मैंने दी गई दलीलों पर विचार किया है और संपूर्ण अभिलेख का परिशीलन किया है । दोनों पक्षकारों की ओर से दी गई दलीलों से यह निष्कर्ष निकलता है कि कई दशक पूर्व भूमि समनुदेशन अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में कृषि और आवासीय प्रयोजन के लिए कई व्यक्तियों को सरकार द्वारा पट्टे जारी किए गए । अभियुक्त सं. 4 ने पट्टाधारकों से उक्त संपत्तियां क्रय कीं । प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों से यह भी उपदर्शित होता है कि सेवियों गॉनसल्विस नाम के व्यक्ति द्वारा अभियुक्त सं. 4 से एक संपत्ति क्रय की गई । इसके पश्चात्, अभियुक्त सं. 1 ने मुख्तारनामा धारक की हैसियत से अभियुक्त सं. 2 के पक्ष में तीन विक्रय विलेख निष्पादित किए । अभिलेख से यह भी दर्शित होता है कि विक्रय विलेखों की प्रामाणिकता और उन्हें निष्पादित करने की अनुज्ञा संबंधी प्रमाणपत्र भी राजस्व प्राधिकारियों द्वारा, विक्रय विलेख के निष्पादन के पूर्व, जारी किए गए । इसके पश्चात् अभियुक्त सं. 2 के पक्ष में संपत्तियों का स्थानांतरण कर दिया गया । 2013 की सिविल रिट याचिका सं. 16390 में दिए गए निर्णय (प्रदर्श पी-14) से यह निष्कर्ष निकलता है कि इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि राज्य ने इन संपत्तियों पर कोई प्रतिकूल दावा किया है, तब इसका न्यायनिर्णयन सक्षम कार्यवाहियों के दौरान किया जाना चाहिए । यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि विक्रय विलेख के अधीन अभियुक्त सं. 2 का अधिकार राज्य द्वारा किए गए तकनीकी आक्षेपों के आधार पर उपशमित नहीं किया जा सकता । विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा

निकाले गए उक्त निष्कर्ष का अनुमोदन खंड न्यायपीठ द्वारा भी किया गया है । यद्यपि भूमि समनुदेशन नियम, 1964 के अधीन राज्य का प्रतिकूल दावा करने या समुचित कार्यवाही आरंभ करने का अधिकार आरक्षित है, मेरा यह निष्कर्ष है कि राज्य को जांच समिति का गठन करना चाहिए जो मामले की जांच-पड़ताल के बाद अपनी राय प्रस्तुत करे । जांच समिति के निष्कर्ष के आधार पर राज्य इस संपत्ति पर दावा करने या उसकी रजिस्ट्री रद्द करने के लिए प्राधिकृत नहीं होगा । यदि यह पाया जाता है कि समनुदेशन पूर्णतया साम्यापूर्ण समनुदेशक प्राधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों के परे है या प्रक्रिया में कोई अनियमितता है या समनुदेशक संपत्ति सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित सरकारी संपत्ति है, तब सरकार से यह प्रत्याशा की जाती है कि वह विधि के सुसंगत उपबंधों का अवलंब लेते हुए ऐसे समनुदेशन को रद्द करे या विधि की प्रक्रिया के अधीन संपत्ति को स्पष्ट करने के लिए समुचित कार्यवाही करे । ऐसा करने के बजाय समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर आपराधिक कार्यवाही संस्थित की गई है । मेरा यह निष्कर्ष है कि अभियुक्त ने पहले ही इस न्यायालय में अलग से रिट याचिका फाइल की है कि जिसमें यह प्रतिवाद किया है कि अभियुक्तों के विरुद्ध रिट न्यायालय द्वारा पारित किए गए आदेश को अनदेखा करने के लिए चलाई गई दांडिक कार्यवाही कायम नहीं रखी जा सकती । कुछ रिट याचिकाओं में इस न्यायालय ने रोक आदेश भी प्रदान किए हैं । उपरोक्त पृष्ठभूमि में मेरा यह मत है कि गिरफ्तारी के पूर्व जमानत मंजूर किए जाने के लिए आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किया गया पक्षकथन न्यायोचित है । विद्वान् सरकारी प्लीडर श्री वाई. जाफर खान द्वारा दृढ़तापूर्वक दी गई दलीलों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इस मामले में अनेक संदिग्ध परिस्थितियां हैं । इन पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए जिसके लिए कड़ी शर्तें अधिरोपित की जा सकती हैं । अभिकथनों की प्रकृति और आवेदकों को समनुदेशित भूमिका और उससे संबंधित तथ्यों को दृष्टिगत करने पर मेरा यह मत है कि आवेदकों से अभिरक्षीय पूछताछ किया जाना अपेक्षित नहीं है ।

परिणामत: ये आवेदन मंजूर किए जाते हैं । आवेदक आज से 10 दिनों के भीतर अन्वेषण अधिकारी के समक्ष पेश होंगे और उनसे पूछताछ की जाएगी । इसके पश्चात्, यदि उन्हें गिरफ्तार करना हो तो उन्हें उनके तथा दो प्रतिभुओं द्वारा निष्पादित पचास-पचास हजार रुपए के बंधपत्र के आधार पर छोड़ दिया जाएगा । उपरोक्त आदेश निम्न शर्तों के अध्यधीन होगा :-

(i) आवेदक अन्वेषण अधिकारी के साथ सहयोग करेंगे और प्रत्येक शनिवार को तीन महीने तक या अंतिम रिपोर्ट फाइल किए जाने तक, जो भी पहले हो, पूर्वाह्न 9 बजे और 11 बजे के बीच उसके समक्ष पेश होंगे ।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से अवगत किसी भी व्यक्ति को इस आशय से किसी भी प्रकार से उत्प्रेरित नहीं करेंगे, न ही कोई धमकी देंगे और न ही किसी प्रकार का ऐसा कोई वचन देंगे कि वह व्यक्ति न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष सही तथ्य प्रकट न करे ।

(iii) आवेदक जमानत पर रहने के दौरान प्रश्नगत अपराध जैसा कोई अपराध कारित नहीं करेंगे ।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का अतिक्रमण किए जाने की स्थिति में अधिकारिता वाले न्यायालय को जमानत रद्द किए जाने के आवेदन पर, यदि कोई फाइल किया जाता है, विधि के अनुसरण में विचार करने और समुचित आदेश पारित करने की शक्ति होगी ।

आवेदन मंजूर किया गया ।

अस.

सतीश सिंह रमाशंकर

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

(2015 की दांडिक अपील सं. 576)

तारीख 8 मार्च, 2019

न्यायमूर्ति राजेन्द्र चंद्र सिंह सामंत

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 392 [सपठित आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 25] – लूट – अपराध में प्रयोग किए गए आयुध की बरामदगी – अभिग्रहण के समय पिस्तौल का चालू हालत में पाया जाना – यह साबित नहीं किया जा सका कि बरामद किए गए जिंदा कारतूस, बरामद की गई पिस्तौल में भरकर चलाए जा सकते हैं या नहीं और यह कि खाली कारतूस इसी पिस्तौल में भरकर चलाए गए थे या नहीं किंतु यह साबित हो गया है कि बरामद की गई पिस्तौल चालू हालत में पाई गई है और बरामद किए गए जिंदा कारतूस किसी न किसी पिस्तौल से चलाए जा सकते हैं, ऐसी स्थिति में आयुध अधिनियम की धारा 25 के अधीन अपीलार्थी की दोषसिद्धि न्यायोचित है ।

साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) – धारा 45 – चिकित्सीय साक्ष्य – क्षतियों पर बारूद न पाया जाना किंतु आहत के साक्ष्य द्वारा चिकित्सीय साक्ष्य की पुष्टि होना – चिकित्सा विशेषज्ञ कोई प्राक्षेपिकी विशेषज्ञ नहीं है, इसलिए चिकित्सक द्वारा यह साबित किया गया है कि आहत के शरीर पर अग्न्यायुध से प्रविष्टि घाव तथा निकास घाव कारित हुए हैं जिनकी पुष्टि आहत के साक्ष्य से भी होती है, अतः क्षतियों पर बारूद के न पाए जाने और उसके वस्त्रों में गोली का छेद न पाए जाने पर चिकित्सीय साक्ष्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं हो सकता, इसलिए अपीलार्थी की दोषसिद्धि उचित है ।

साक्ष्य अधिनियम, 1872 – धारा 9 – शनाख्त परेड – आवश्यकता और प्रभाव – अभियुक्त का घटनास्थल पर ही भीड़ द्वारा गिरफ्तार

किया जाना और तत्काल पुलिस को सौंपा जाना – साक्षियों के समक्ष यह अवसर उपलब्ध था कि उन्होंने अपराध कारित किए जाने के समय से लेकर लोगों की भीड़ द्वारा अपीलार्थी के पकड़े जाने तक उसको ठीक प्रकार से देख लिया था और उसे तत्काल ही पुलिस को सौंप दिया था, ऐसी स्थिति में शनाख्त परेड कराने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है, अतः अपीलार्थी की दोषसिद्धि में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता ।

संक्षेप में अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि तारीख 9 अक्तूबर, 2013 को अपराह्न लगभग 8.15 बजे शिकायतकर्ता मेघा गुप्ता (अभि. सा. 4) एक गली से होते हुए अपने घर जा रही थी और उसी समय अपीलार्थी मृतक गौरव सेठ के साथ मोटरसाइकिल पर आया और उसने मेघा गुप्ता (अभि. सा. 4) की सोने की जंजीर छीन ली जो शिकायतकर्ता ने उस समय अपने गले में पहने हुए थी और इसके पश्चात् वह वहां से भाग गया । मेघा गुप्ता (अभि. सा. 4) और अन्य व्यक्तियों ने शोर मचाया जिसे सुनकर विशाल गुप्ता (अभि. सा. 2) और रतन प्रसाद गुप्ता (अभि. सा. 3) ने अपीलार्थी का पीछा किया और उसे मोटरसाइकिल के साथ रोक लिया जो यातायात के कारण नीचे गिर गया । इसके पश्चात् अपीलार्थी जब घटनास्थल से भाग रहा था तब उसने अग्न्यायुध निकाल लिया था और विशाल **उर्फ** मिक्कू गुप्ता (अभि. सा. 2) पर गोली चलाई जिसके परिणामस्वरूप उसकी दाईं बांह में क्षति कारित हुई और जब रतन प्रसाद गुप्ता (अभि. सा. 3) ने अपीलार्थी को काबू करने का प्रयास किया, तब अपीलार्थी ने उस पर भी गोली चलाई जो उसकी टांग में लगी, इसके पश्चात् अपीलार्थी ने धनंजय बरियार (अभि. सा. 8) पर भी गोली चलाई । स्थानीय लोगों ने अपीलार्थी को घटनास्थल पर ही पकड़ लिया । विशाल गुप्ता (अभि. सा. 2) द्वारा दी गई सूचना के आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी-4) दर्ज कराई गई और अपीलार्थी को घटनास्थल पर ही गिरफ्तार कर लिया गया । अपीलार्थी का कथन (प्रदर्श पी-1) अभिलिखित किया गया जिसके आधार पर घटनास्थल से देशी अग्न्यायुध और कारतूस बरामद किए गए जिन्हें (प्रदर्श पी-2) के अनुसार अभिगृहीत किया गया । साक्षियों के कथन अभिलिखित किए गए । आहतों को चिकित्सा परीक्षा और उपचार के

लिए भेज दिया गया । अभिगृहीत किए गए अग्न्यायुध को जांच के लिए आयुध-विशेषज्ञ के पास भेज दिया गया । अन्वेषण पूरा होने के पश्चात् आरोप पत्र फाइल किया गया । अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 392 के साथ पठित धारा 120 तथा आयुध अधिनियम की धारा 25 के अधीन अपराध से आरोपित किया गया जिस पर अपीलार्थी ने अपराध किए जाने से इनकार किया तथा विचारण की मांग की । अभियोजन साक्ष्य पूरा होने के पश्चात् अपीलार्थी की परीक्षा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन कराई गई जिसके दौरान उसने अपने विरुद्ध सभी अपराधजन्य साक्ष्य से इनकार किया और निर्दोष होने तथा मिथ्या फंसाए जाने का अभिवाक् किया । अपीलार्थी की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी भी साक्षी की परीक्षा नहीं कराई गई । विचारण पूरा होने पर आक्षेपित निर्णय पारित किया गया है जिसमें अपीलार्थी को ऊपर उल्लिखित रूप में दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया है । इस आदेश से व्यथित होकर अभियुक्त-अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की । अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – पुलिस उपनिरीक्षक मनीष शर्मा (अभि. सा. 12) ने यह कथन किया है कि घटना के दिन और समय पर उसे यह सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ स्थानीय लोग दो लड़कों पर हमला कर रहे हैं और उनके साथ मार-पीट कर रहे हैं, इस सूचना के पश्चात् वह घटनास्थल पर पहुंचा और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी-4) विशाल गुप्ता (अभि. सा. 2) द्वारा दर्ज कराई गई । इस सूचना के आधार पर पुलिस थाने में औपचारिक रूप से प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी-14) दर्ज कराई गई और इसके पश्चात् इस साक्षी ने अपीलार्थी का प्रकटीकरण कथन (प्रदर्श पी-1) अभिलिखित किया और इसके आधार पर पांच जिंदा कारतूस और दो खाली कारतूस बरामद किए जिन्हें (प्रदर्श पी-1) के अनुसार अभिगृहीत किया गया और साथ ही एक देशी अग्न्यायुध (प्रदर्श पी-2) के अनुसार अभिगृहीत किया गया । इसके पश्चात्, इस साक्षी ने अन्वेषण संबंधी सभी प्रक्रियाएं पूरी कीं । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह कथन किया है कि उसने विशाल गुप्ता (अभि. सा. 2) और रतन प्रसाद गुप्ता (अभि. सा. 3) दोनों साक्षियों को क्षतिग्रस्त अवस्था में देखा था ।

इस साक्षी द्वारा उसकी प्रतिपरीक्षा के दौरान ऐसी कोई बात स्वीकार नहीं की गई है जिससे यह पता चलता हो कि यह साक्षी घटनास्थल पर की गई कार्यवाही के संबंध में किसी प्रकार का कोई मिथ्या कथन दे रहा है । हैड कांस्टेबल सुनील कुमार (अभि. सा. 7) ने अभिगृहीत की गई पिस्तौल, मैग्जीन, पांच जिंदा कारतूस और दो चले हुए कारतूसों की (तकनीकी) जांच (प्रदर्श पी-12) के अनुसार की है और इस साक्षी के अनुसार पिस्तौल चालू हालत में था और जिंदा कारतूस भी चलाने योग्य थे । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यद्यपि यह स्वीकार किया है कि उसने यह जांच नहीं की थी कि क्या ये जिंदा कारतूस उक्त पिस्तौल में भरे जा सकते हैं या नहीं और उसने यह भी जांच नहीं की थी कि चले हुए दो कारतूस वास्तव में इसी पिस्तौल से चलाए गए थे या नहीं । इस साक्षी द्वारा स्वीकार किया गया यह तथ्य, कोई भी प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है । यद्यपि उसके द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट (प्रदर्श पी-12) पूर्ण नहीं है जिसका यह कारण है कि इस साक्षी ने पिस्तौल, जिंदा कारतूसों और चले हुए कारतूसों के बोर की माप का उल्लेख नहीं किया है, फिर भी यह तथ्य शेष रहता है कि इस साक्षी ने इस पिस्तौल की जांच करके यह बताया है कि यह चालू हालत में थी और जिंदा कारतूस भले ही इस पिस्तौल में भरे जा सकते हों या नहीं, किसी न किसी पिस्तौल में भरकर चलाए जा सकते हैं और इतना साक्ष्य घटना की संपुष्टि के लिए पर्याप्त है । (पैरा 16 और 17)

डा. रोजलीन इक्का (अभि. सा. 5) प्राक्षेपिकी विशेषज्ञ नहीं है । वह एक चिकित्सा विशेषज्ञ है और इस साक्षी ने रतन प्रसाद गुप्ता (अभि. सा. 3) और विशाल गुप्ता (अभि. सा. 2) को कारित हुई क्षतियों से संबंधित रिपोर्ट तैयार की है । चूंकि विशाल गुप्ता (अभि. सा. 2) ने यह कथन किया है कि उसे अग्न्यायुध से क्षति कारित हुई है, अत: ऐसी क्षति का पता चलना जिसमें प्रविष्टि और निकास घाव दोनों हों, विशाल गुप्ता (अभि. सा. 2) द्वारा दिए गए कथन की संपुष्टि करता है और इस चिकित्सक साक्षी द्वारा दिए गए अन्य किसी भी कथन से भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है । विचारण न्यायालय के अभिलेख पर

उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य की सूक्ष्मता से संवीक्षा करने के पश्चात् मेरा यह मत है कि यह एक ऐसा विशेष मामला है जिसमें ऐसा साक्ष्य है जिससे यह साबित होता है कि अपीलार्थी ही वह व्यक्ति है जिसने मेघा गुप्ता (अभि. सा. 4) के कब्जे से जंजीर छीनी है और इसी व्यक्ति ने उस समय भागने का प्रयास किया था जब उसे स्थानीय लोगों ने पीछा करके पकड़ा था । यह साक्ष्य भी उपलब्ध है कि जब अपीलार्थी ने उक्त जंजीर छीनने का प्रयास किया था तब उसने देशी पिस्तौल भी निकाल ली थी और इससे गोली भी चलाई थी जो विशाल गुप्ता (अभि. सा. 2) को लगी । (पैरा 19 और 20)

अब अपीलार्थी की शनाख्त किए जाने के प्रश्न पर विचार करेंगे । अपीलार्थी घटना घटित होने के समय से लेकर घटनास्थल पर गिरफ्तार किए जाने तक वह अकेला नहीं रहा है, अत: साक्षियों के समक्ष अपीलार्थी को, अपराध कारित किए जाने के समय से लेकर लोगों की भीड़ द्वारा पकड़े जाने तक, ठीक प्रकार देखने का अवसर उपलब्ध था । यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें साक्षियों ने अपीलार्थी को केवल एक बार देखा हो और जिसमें यह संदेह भी बना रहता कि अपीलार्थी की शनाख्त ठीक प्रकार की गई है या नहीं । ऐसे मामले में जिसमें अपराधी को अपराध कारित करते हुए देखा गया हो और उसके पश्चात् उसे पकड़ कर पुलिस को सौंपा गया हो तब ऐसे मामले में शनाख्त परेड कराना मात्र एक औपचारिकता ही कहलाएगी । अत: इस मामले में शनाख्त परेड न कराया जाना अभियोजन पक्ष के लिए घातक नहीं कहा जा सकता । एक मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जब साक्षियों को यह अवसर प्राप्त हो जाता है कि वे अपराधी को एक बार से अधिक देख सकें, तब शनाख्त परेड न कराना अभियोजन पक्ष के लिए घातक नहीं हो सकता । ऐसा कोई नियम नहीं है कि न्यायालय में साक्षी कठघरे में की गई शनाख्त अविश्वसनीय होती है । इसी प्रकार, पुलिस थाने में साक्षियों द्वारा अपीलार्थी का देखा जाना और उसका फोटो समाचारपत्र में देखा जाना भी अपीलार्थी के लिए किसी भी प्रकार से महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि यह संदेह करने की कोई गुंजाइश नहीं है कि अपीलार्थी से अन्यथा किसी व्यक्ति ने यह अपराध कारित

किया हो । इसलिए विचारण न्यायालय के अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण सामग्री का सम्यक् रूप से परिशीलन करने के पश्चात् मेरा यह निष्कर्ष है कि इस अपील में कोई सार नहीं है । कारित किए गए अपराध की प्रकृति पर विचार करते हुए और यह देखते हुए कि अपीलार्थी इस अपराध को कारित करने के लिए पूरी तैयारी के साथ अर्थात् अग्न्यायुध लेकर घटनास्थल पर पहुंचा है और यह कि उसे साक्षियों द्वारा उक्त अग्न्यायुध का प्रयोग करते हुए भी देखा गया है, ऐसी स्थिति में यह ऐसा मामला बन जाता है जिसमें अपीलार्थी को अधिरोपित दंडादेश की मात्रा में रियायत किए जाने की कोई गुंजाइश दिखाई नहीं देनी चाहिए । अतः इस निष्कर्ष को दृष्टिगत करते हुए अपीलार्थी पर अधिरोपित कारावास की अवधि को कम कराने हेतु की गई प्रार्थना को मंजूर नहीं किया जा सकता । (पैरा 21, 22 और 23)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2004] (2004) 3 एस. सी. सी. 106 = ए. आई. आर. 2004 एस. सी. 2884 : **दस्तगीर साब और एक अन्य** बनाम **कर्नाटक राज्य** । 21

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2015 की दांडिक अपील सं. 576.

2014 के सेशन विचारण मामला सं. 12/2014 में द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश सुरगुजा, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ द्वारा तारीख 25 अप्रैल, 2015 को पारित निर्णय के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री शक्तिराज सिन्हा

प्रत्यर्थी की ओर से श्री लव शर्मा (पैनल वकील)

न्यायमूर्ति राजेन्द्र चंद्र सिंह सामंत – यह अपील 2014 के सेशन विचारण मामला सं. 12/2014 में द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश सुरगुजा, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ द्वारा तारीख 25 अप्रैल, 2015 को पारित उस निर्णय के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके द्वारा अपीलार्थी

को भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "दंड संहिता" निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 392 और धारा 307 तथा आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 25 और धारा 27 के अधीन दोषसिद्ध करते हुए क्रमश: 10-10 वर्ष के कठोर कारावास के साथ पांच-पांच सौ रुपए जुर्माने (कुल मिलाकर 1,500/- रुपए) तथा 4-4 वर्ष के कठोर कारावास के साथ पांच-पांच सौ रुपए जुर्माने (कुल मिलाकर 1,000/- रुपए) से दंडादिष्ट किया गया है और जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम किए जाने पर अतिरिक्त कारावास से दंडादिष्ट किया गया और सभी दंडादेशों को साथ-साथ चलाए जाने का आदेश किया गया ।

2. संक्षेप में अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि तारीख 9 अक्तूबर, 2013 को अपराह्न लगभग 8.15 बजे शिकायतकर्ता मेघा गुप्ता (अभि. सा. 4) एक गली से होते हुए अपने घर जा रही थी और उसी समय अपीलार्थी मृतक गौरव सेठ के साथ मोटरसाइकिल पर आया और उसने मेघा गुप्ता (अभि. सा. 4) की सोने की जंजीर छीन ली जो शिकायतकर्ता ने उस समय अपने गले में पहने हुए थी और इसके पश्चात् वह वहां से भाग गया । मेघा गुप्ता (अभि. सा. 4) और अन्य व्यक्तियों ने शोर मचाया जिसे सुनकर विशाल गुप्ता (अभि. सा. 2) और रतन प्रसाद गुप्ता (अभि. सा. 3) ने अपीलार्थी का पीछा किया और उसे मोटरसाइकिल के साथ रोक लिया जो यातायात के कारण नीचे गिर गया । इसके पश्चात् अपीलार्थी जब घटनास्थल से भाग रहा था तब उसने अग्न्यायुध निकाल लिया था और विशाल **उर्फ** मिक्कू गुप्ता (अभि. सा. 2) पर गोली चलाई जिसके परिणामस्वरूप उसकी दाईं बांह में क्षति कारित हुई और जब रतन प्रसाद गुप्ता (अभि. सा. 3) ने अपीलार्थी को काबू करने का प्रयास किया, तब अपीलार्थी ने उस पर भी गोली चलाई जो उसकी टांग में लगी, इसके पश्चात् अपीलार्थी ने धनंजय बरियार (अभि. सा. 8) पर भी गोली चलाई । स्थानीय लोगों ने अपीलार्थी को घटनास्थल पर ही पकड़ लिया । विशाल गुप्ता (अभि. सा. 2) द्वारा दी गई सूचना के आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी-4) दर्ज कराई गई और अपीलार्थी को घटनास्थल पर ही गिरफ्तार कर लिया गया । अपीलार्थी का कथन (प्रदर्श पी-1) अभिलिखित किया गया जिसके आधार पर घटनास्थल से देशी अग्न्यायुध और कारतूस बरामद किए गए जिन्हें

(प्रदर्श पी-2) के अनुसार अभिगृहीत किया गया । साक्षियों के कथन अभिलिखित किए गए । आहतों को चिकित्सा परीक्षा और उपचार के लिए भेज दिया गया । अभिगृहीत किए गए अग्न्यायुध को जांच के लिए आयुध-विशेषज्ञ के पास भेज दिया गया । अन्वेषण पूरा होने के पश्चात् आरोप पत्र फाइल किया गया ।

3. अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 392 के साथ पठित धारा 120 तथा आयुध अधिनियम की धारा 25 के अधीन अपराध से आरोपित किया गया जिस पर अपीलार्थी ने अपराध किए जाने से इनकार किया तथा विचारण की मांग की ।

4. अभियोजन साक्ष्य पूरा होने के पश्चात् अपीलार्थी की परीक्षा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन कराई गई जिसके दौरान उसने अपने विरुद्ध सभी अपराधजन्य साक्ष्य से इनकार किया और निर्दोष होने तथा मिथ्या फंसाए जाने का अभिवाक् किया । अपीलार्थी की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी भी साक्षी की परीक्षा नहीं कराई गई ।

5. विचारण पूरा होने पर आक्षेपित निर्णय पारित किया गया है जिसमें अपीलार्थी को ऊपर उल्लिखित रूप में दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया है ।

6. अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल द्वारा यह दलील दी गई है कि अपीलार्थी की शनाख्त को लेकर प्रश्न उठाया गया है क्योंकि अन्वेषण के दौरान कोई भी शनाख्त परेड नहीं कराई गई है । अपीलार्थी को घटनास्थल पर देखने के पश्चात् अपीलार्थी की शनाख्त न्यायालय में साक्षी कठघरे में सीधे ही की गई है । विशाल गुप्ता (अभि. सा. 2) आहतों में से एक ऐसा आहत है जो विश्वसनीय साक्षी नहीं है । घटनास्थल का एक अन्य साक्षी रतन प्रसाद गुप्ता (अभि. सा. 3) भी है जिसने स्पष्ट रूप से अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है और इस कारण उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया है । विशाल गुप्ता (अभि. सा. 2) द्वारा उसकी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह स्वीकार किया गया है कि उसने अपीलार्थी को पुलिस थाने में देखा था और उसने अपीलार्थी का फोटो समाचारपत्र में छपा हुआ देखा था और इसके पश्चात् उसने अपीलार्थी की शनाख्त न्यायालय में की है जिससे

अपीलार्थी की शनाख्त संदिग्ध हो जाती है । यह भी दलील दी गई है कि अन्वेषण के अनुसार सोने की जंजीर मेघा गुप्ता (अभि. सा. 4) के कब्जे से अभिगृहीत की गई थी जिससे यह दर्शित होता है कि लूटने का कोई प्रश्न ही दिखाई नहीं देता है । इसके अतिरिक्त, यह भी निवेदन किया गया है कि डा. रोजलीन आर. इक्का (अभि. सा. 5) द्वारा दिए गए कथन के अनुसार अग्न्यायुध की गोली से कारित प्रविष्टि घाव और निकास घाव का आकार समान पाया गया है जो कि गोली से कारित क्षति के मामले में संभव नहीं है क्योंकि निकास घाव का आकार सदैव प्रविष्टि घाव के आकार से बड़ा होता है । इस प्रकार इन कारणों से अपीलार्थी की दोषसिद्धि विधि की दृष्टि से अनुचित है । अनुकल्पत: यह प्रार्थना की गई है कि यदि अपीलार्थी को उसके विरुद्ध आरोपों से दोषमुक्त करने के लिए न्यायालय का समाधान नहीं होता है तब उस पर अधिरोपित कारावास की अवधि घटाकर उसके द्वारा पहले से भोगे गए कारावास जितनी कर दी जाए ।

7. दूसरी ओर राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने इस अपील में अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल द्वारा दिए गए आधारों और दलीलों का इस संबंध में विरोध किया है । राज्य के विद्वान् काउंसेल द्वारा यह दलील दी गई है कि अभियोजन पक्ष ने अपना पक्षकथन संदेह के परे साबित कर दिया है । विशाल गुप्ता (अभि. सा. 2) और मेघा गुप्ता (अभि. सा. 4) के कथन स्पष्ट और विश्वसनीय हैं तथा कैलाश गुप्ता (अभि. सा. 6) ने अपीलार्थी की शनाख्त से संबंधित कथन दिया है कि अपीलार्थी ही वह व्यक्ति है जो घटनास्थल पर मौजूद था और उसने लूट कारित की है तथा अग्न्यायुध का प्रयोग किया है जिसके परिणामस्वरूप आहतों को क्षतियां पहुंची हैं । इसके अतिरिक्त अपीलार्थी से अग्न्यायुध तथा कारतूस अभिगृहीत किए जाने का साक्ष्य मौजूद है जिससे स्पष्ट रूप से अभियोजन पक्षकथन का समर्थन होता है । अत:, इस मामले में दोषमुक्ति की कोई गुंजाइश नहीं है ।

8. पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों की सुनवाई की गई है और विचारण न्यायालय के अभिलेख का परिशीलन किया गया है ।

9. मेघा गुप्ता (अभि. सा. 4) ने यह कथन किया है कि घटना के दिन जब वह अन्य व्यक्तियों के साथ गली से गुजर रही थी, दो लड़के मोटरसाइकिल पर आए । मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे हुए लड़के ने उसकी जंजीर और लॉकेट उसकी गर्दन से खींचकर छीन लिए । इस साक्षी ने अपीलार्थी की शनाख्त ऐसे व्यक्ति के रूप में की है जिसने छीनने का कृत्य किया है । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि घटनास्थल से भागने का प्रयास करते समय अपीलार्थी और अन्य व्यक्ति नीचे गिर गए थे । अपीलार्थी को पकड़ लिया गया और अन्य व्यक्ति की मृत्यु हो गई है । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह स्वीकार किया है कि उसने अपीलार्थी को पुलिस थाने में बैठे हुए देखा था जहां पर उसने उसे पहचानकर बताया था कि यह वही व्यक्ति है जिसने उसकी जंजीर लूटी थी । इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने स्वयं सोने की जंजीर पुलिस थाने में जमा कराई थी । न्यायालय द्वारा इस साक्षी से यह प्रश्न पूछा गया है कि उसे अपनी लूटी हुई जंजीर वापस कैसे मिली जिस पर उसने यह उत्तर दिया कि जंजीर नीचे गिर गई थी जो उठा ली गई थी और उसकी देवरानी आरती गुप्ता को दे दी गई थी जो आरती गुप्ता ने इस साक्षी को वापस की है । जंजीर को अभिगृहीत किए जाने का मुद्दा महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि इस मामले में यह महत्वपूर्ण है कि साक्षी ने यह कथन दिया है कि वह (घटना के समय) जंजीर पहने हुए थी जिसे अपीलार्थी द्वारा उसके कब्जे से छीना गया था । अपीलार्थी की शनाख्त किए जाने से संबंधित प्रश्न पर बाद में विचार किया जाएगा ।

10. विशाल गुप्ता (अभि. सा. 2) एक अन्य महत्वपूर्ण साक्षी है । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि घटना के दिन और समय पर उसने एक व्यक्ति को जो मोटरसाइकिल चला रहा था, गिरते हुए देखा और लोग उसे पकड़ने के लिए शोर भी मचा रहे थे । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि जब वह घटनास्थल पर पहुंचा था तब उसके दाएं हाथ में एक गोली लगी और दूसरी गोली उसकी दायीं टांग में लगी, उसके पश्चात् उसने देखा कि अपीलार्थी ही वह व्यक्ति है जो गोली चला रहा है । इस साक्षी ने तत्काल प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी-4) दर्ज कराए जाने के बारे में कथन किया है । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान

यह स्वीकार किया है कि जब उसे गोली लगी थी तब उसने देखा कि अपीलार्थी ही गोली चला रहा था । इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि कोई भी शनाख्त संबंधी कार्यवाही इस मामले में नहीं कराई गई है किंतु पुलिस कर्मियों द्वारा अपीलार्थी का नाम उसे बताया गया था । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि उसे दो से तीन फिट की दूरी से गोली लगी थी और उसने गोली चलाने वाले व्यक्ति को देख लिया था । इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने अपीलार्थी को पुलिस थाने में देखा था और समाचारपत्र में छपा हुआ उसका फोटो भी देखा था इसके पश्चात् उसने अपीलार्थी की शनाख्त न्यायालय में की है । इस साक्षी द्वारा उसकी प्रतिपरीक्षा के दौरान ऐसी कोई बात स्वीकार नहीं की गई है जिससे यह पता चलता हो कि उस पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा गोली चलाई गई थी और यह कि उसे यह क्षति अन्य किसी व्यक्ति द्वारा कारित की गई है । अतः, इस साक्षी के इस कथन का खंडन नहीं किया गया है कि उसे गोली लगने से ही क्षति कारित हुई है ।

11. सोनू गुप्ता (अभि. सा. 1) ने यह कथन किया है कि घटनास्थल पर पहुंचने के बाद उसने विशाल गुप्ता (अभि. सा. 2) को क्षतिग्रस्त अवस्था में देखा था और उसे अस्पताल भेज दिया गया था । इस साक्षी ने अन्वेषण की अन्य प्रक्रिया के संबंध में अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है ।

12. रतन प्रसाद गुप्ता (अभि. सा. 3) ने भी अपीलार्थी की शनाख्त नहीं की है और अभियोजन पक्षकथन का समर्थन भी नहीं किया है ।

13. कैलाश गुप्ता (अभि. सा. 6) ने यह कथन किया है कि उसने घटना घटित हुए देखी है और अपीलार्थी ही वह व्यक्ति है जिसने उसकी पत्नी मेघा गुप्ता (अभि. सा. 4) की जंजीर छीनी है और इस व्यक्ति ने विशाल गुप्ता (अभि. सा. 2) और रतन प्रसाद गुप्ता (अभि. सा. 3) पर गोली चलाते हुए भागने का प्रयास किया था और इसके पश्चात् उसे पुलिसकर्मियों द्वारा पकड़ लिया गया था । इस साक्षी को उसकी प्रतिपरीक्षा के दौरान उसका वह कथन (प्रदर्श डी/1) दिखाया गया जो उसने पूर्व में पुलिस को दिया था और इस कथन के अनुसार वह प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है ।

14. धनंजय बरिहार (अभि. सा. 8) एक होमगार्ड है जिसने यह कथन किया है कि घटना के दिन और समय पर वह घटनास्थल पर अपनी ड्यूटी पर तैनात था । जब उसने अपीलार्थी को, जो उस समय गोली चला रहा था, अपनी ओर दौड़ते हुए देखा तब उसने अपीलार्थी को रोकने और पकड़ने का प्रयास किया, अपीलार्थी ने इस साक्षी पर दो गोलियां चलाईं लेकिन वह अक्षत रहा । इसके पश्चात् अपीलार्थी ने इस साक्षी पर अपनी पिस्तौल फेंक कर उसे क्षति पहुंचाने का प्रयास किया । अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान इस साक्षी ने अपीलार्थी को देखने, उसके द्वारा गोली चलाए जाने और उसका पीछा किए जाने के संबंध में जो साक्ष्य दिया है उसका खंडन नहीं किया गया है ।

15. अधिक गुप्ता (अभि. सा. 9) प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है । इस साक्षी ने ज्ञापन तैयार किए जाने और बरामद किए गए सामान को अभिगृहीत किए जाने से संबंधित कार्यवाही का समर्थन नहीं किया है ।

16. पुलिस उपनिरीक्षक मनीष शर्मा (अभि. सा. 12) ने यह कथन किया है कि घटना के दिन और समय पर उसे यह सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ स्थानीय लोग दो लड़कों पर हमला कर रहे हैं और उनके साथ मार-पीट कर रहे हैं, इस सूचना के पश्चात् वह घटनास्थल पर पहुंचा और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी-4) विशाल गुप्ता (अभि. सा. 2) द्वारा दर्ज कराई गई । इस सूचना के आधार पर पुलिस थाने में औपचारिक रूप से प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी-14) दर्ज कराई गई और इसके पश्चात् इस साक्षी ने अपीलार्थी का प्रकटीकरण कथन (प्रदर्श पी-1) अभिलिखित किया और इसके आधार पर पांच जिंदा कारतूस और दो खाली कारतूस बरामद किए जिन्हें (प्रदर्श पी-1) के अनुसार अभिगृहीत किया गया और साथ ही एक देशी अग्न्यायुध (प्रदर्श पी-2) के अनुसार अभिगृहीत किया गया । इसके पश्चात्, इस साक्षी ने अन्वेषण संबंधी सभी प्रक्रियाएं पूरी कीं । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह कथन किया है कि उसने विशाल गुप्ता (अभि. सा. 2) और रतन प्रसाद गुप्ता (अभि. सा. 3) दोनों साक्षियों को क्षतिग्रस्त अवस्था में देखा था । इस साक्षी द्वारा उसकी प्रतिपरीक्षा के दौरान ऐसी कोई बात स्वीकार नहीं की गई है जिससे यह पता चलता हो कि यह साक्षी घटनास्थल पर की गई कार्यवाही के संबंध में किसी प्रकार का कोई मिथ्या कथन दे रहा है ।

17. हैड कांस्टेबल सुनील कुमार (अभि. सा. 7) ने अभिगृहीत की गई पिस्तौल, मैग्जीन, पांच जिंदा कारतूस और दो चले हुए कारतूसों की (तकनीकी) जांच (प्रदर्श पी-12) के अनुसार की है और इस साक्षी के अनुसार पिस्तौल चालू हालत में था और जिंदा कारतूस भी चलाने योग्य थे । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यद्यपि यह स्वीकार किया है कि उसने यह जांच नहीं की थी कि क्या ये जिंदा कारतूस उक्त पिस्तौल में भरे जा सकते हैं या नहीं और उसने यह भी जांच नहीं की थी कि चले हुए दो कारतूस वास्तव में इसी पिस्तौल से चलाए गए थे या नहीं । इस साक्षी द्वारा स्वीकार किया गया यह तथ्य, कोई भी प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है । यद्यपि उसके द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट (प्रदर्श पी-12) पूर्ण नहीं है जिसका यह कारण है कि इस साक्षी ने पिस्तौल, जिंदा कारतूसों और चले हुए कारतूसों के बोर की माप का उल्लेख नहीं किया है, फिर भी यह तथ्य शेष रहता है कि इस साक्षी ने इस पिस्तौल की जांच करके यह बताया है कि यह चालू हालत में थी और जिंदा कारतूस भले ही इस पिस्तौल में भरे जा सकते हों या नहीं, किसी न किसी पिस्तौल में भरकर चलाए जा सकते हैं और इतना साक्ष्य घटना की संपुष्टि के लिए पर्याप्त है ।

18. डा. रोजलीन आर. इक्का (अभि. सा. 5) ने आहत रतन प्रसाद गुप्ता (अभि. सा. 3) की परीक्षा की है और उन्होंने इस साक्षी के दाएं पैर पर विदीर्ण घाव देखा है जिसके संबंध में रिपोर्ट (प्रदर्श पी-7) तैयार की गई है । इस साक्षी ने विशाल गुप्ता (अभि. सा. 2) की भी परीक्षा की है और उसके दाएं प्रबाहु में क्षति पाई है जो गोलाकार है तथा उसकी माप 1 से. मी. × 1 से. मी. पाई गई है और इसी आकार की अर्थात् 1 से. मी. × 1 से. मी. माप की क्षति उसके पार्श्व में पाई गई है जो कि निकास घाव है । इस चिकित्सक ने आहत की दाईं जंघा पर 1 से. मी. × 1 से. मी. माप की गोलाकार क्षति देखी है और 1 से. मी. × 1 से. मी. माप का एक प्रविष्टि घाव भी इसके पार्श्व में पाया गया है और इससे संबंधित रिपोर्ट (प्रदर्श पी/9) है । इस साक्षी ने यह राय व्यक्त नहीं की है कि ये क्षतियां किस प्रकार कारित हुई हैं । अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने किसी भी क्षति पर कार्बन या बारूद के कण नहीं पाए हैं और इस साक्षी ने आहत के ऐसे वस्त्र भी नहीं देखे हैं जिनमें गोली चलाए जाने से छिद्र बने हों ।

19. डा. रोजलीन इक्का (अभि. सा. 5) प्राक्षेपिकी विशेषज्ञ नहीं है । वह एक चिकित्सा विशेषज्ञ है और इस साक्षी ने रतन प्रसाद गुप्ता (अभि. सा. 3) और विशाल गुप्ता (अभि. सा. 2) को कारित हुई क्षतियों से संबंधित रिपोर्ट तैयार की है । चूंकि विशाल गुप्ता (अभि. सा. 2) ने यह कथन किया है कि उसे अग्न्यायुध से क्षति कारित हुई है, अत: ऐसी क्षति का पता चलना जिसमें प्रविष्टि और निकास घाव दोनों हों, विशाल गुप्ता (अभि. सा. 2) द्वारा दिए गए कथन की संपुष्टि करता है और इस चिकित्सक साक्षी द्वारा दिए गए अन्य किसी भी कथन से भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है ।

20. विचारण न्यायालय के अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य की सूक्ष्मता से संवीक्षा करने के पश्चात् मेरा यह मत है कि यह एक ऐसा विशेष मामला है जिसमें ऐसा साक्ष्य है जिससे यह साबित होता है कि अपीलार्थी ही वह व्यक्ति है जिसने मेघा गुप्ता (अभि. सा. 4) के कब्जे से जंजीर छीनी है और इसी व्यक्ति ने उस समय भागने का प्रयास किया था जब उसे स्थानीय लोगों ने पीछा करके पकड़ा था । यह साक्ष्य भी उपलब्ध है कि जब अपीलार्थी ने उक्त जंजीर छीनने का प्रयास किया था तब उसने देशी पिस्तौल भी निकाल ली थी और इससे गोली भी चलाई थी जो विशाल गुप्ता (अभि. सा. 2) को लगी ।

21. अब अपीलार्थी की शनाख्त किए जाने के प्रश्न पर विचार करेंगे । अपीलार्थी घटना घटित होने के समय से लेकर घटनास्थल पर गिरफ्तार किए जाने तक वह अकेला नहीं रहा है, अत: साक्षियों के समक्ष अपीलार्थी को, अपराध कारित किए जाने के समय से लेकर लोगों की भीड़ द्वारा पकड़े जाने तक, ठीक प्रकार देखने का अवसर उपलब्ध था । यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें साक्षियों ने अपीलार्थी को केवल एक बार देखा हो और जिसमें यह संदेह भी बना रहता कि अपीलार्थी की शनाख्त ठीक प्रकार की गई है या नहीं । ऐसे मामले में जिसमें अपराधी को अपराध कारित करते हुए देखा गया हो और उसके पश्चात् उसे पकड़ कर पुलिस को सौंपा गया हो तब ऐसे मामले में शनाख्त परेड कराना मात्र एक औपचारिकता ही कहलाएगी । अत: इस मामले में शनाख्त परेड न कराया जाना अभियोजन पक्ष के लिए घातक नहीं कहा जा

सकता । **दस्तगीर साब और एक अन्य** बनाम **कर्नाटक राज्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जब साक्षियों को यह अवसर प्राप्त हो जाता है कि वे अपराधी को एक बार से अधिक देख सकें, तब शनाख्त परेड न कराना अभियोजन पक्ष के लिए घातक नहीं हो सकता । ऐसा कोई नियम नहीं है कि न्यायालय में साक्षी कठघरे में की गई शनाख्त अविश्वसनीय होती है ।

22. इसी प्रकार, पुलिस थाने में साक्षियों द्वारा अपीलार्थी का देखा जाना और उसका फोटो समाचारपत्र में देखा जाना भी अपीलार्थी के लिए किसी भी प्रकार से महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि यह संदेह करने की कोई गुंजाइश नहीं है कि अपीलार्थी से अन्यथा किसी व्यक्ति ने यह अपराध कारित किया हो । इसलिए विचारण न्यायालय के अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण सामग्री का सम्यक् रूप से परिशीलन करने के पश्चात् मेरा यह निष्कर्ष है कि इस अपील में कोई सार नहीं है ।

23. कारित किए गए अपराध की प्रकृति पर विचार करते हुए और यह देखते हुए कि अपीलार्थी इस अपराध को कारित करने के लिए पूरी तैयारी के साथ अर्थात् अग्न्यायुध लेकर घटनास्थल पर पहुंचा है और यह कि उसे साक्षियों द्वारा उक्त अग्न्यायुध का प्रयोग करते हुए भी देखा गया है, ऐसी स्थिति में यह ऐसा मामला बन जाता है जिसमें अपीलार्थी को अधिरोपित दंडादेश की मात्रा में रियायत किए जाने की कोई गुंजाइश दिखाई नहीं देनी चाहिए । अत: इस निष्कर्ष को दृष्टिगत करते हुए अपीलार्थी पर अधिरोपित कारावास की अवधि को कम कराने हेतु की गई प्रार्थना को मंजूर नहीं किया जा सकता ।

24. परिणामत: अपीलार्थी द्वारा फाइल की गई अपील खारिज की जाती है ।

अपील खारिज की गई ।

अस.

---

[1] (2004) 3 एस. सी. सी. 106 = ए. आई. आर. 2004 एस. सी. 2884.

दुर्गेश और एक अन्य

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य

(2010 की दांडिक अपील सं. 1434)

तारीख 13 जनवरी, 2020

न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति शैलेन्द्र शुक्ला

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3, 8 और 27] – हत्या – साक्ष्य की बरामदगी – चाकू मारकर हत्या करना – प्रत्यक्षदर्शियों साक्षियों के साक्ष्य से अन्य साक्षियों के साक्ष्य की संपुष्टि होना – अभियुक्त-अपीलार्थियों की निशानदेही पर अपराध में प्रयोग आयुध और मोटरसाइकिल की बरामदगी – प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य द्वारा अन्य साक्षियों के साक्ष्य की संपुष्टि हुई है तथा अपराध में प्रयोग किए गए आयुध और मोटरसाइकिल अपीलार्थियों के प्रकटीकरण के आधार पर बरामद की गई है साथ ही कारित क्षतियों की प्रकृति अपराध में प्रयोग किए गए आयुधों से मेल खाती है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थियों की दोषसिद्धि न्यायोचित है ।

संक्षेप में अभियोजन वृत्तांत इस प्रकार है कि तारीख 20 मई, 2007 को अपराह्न लगभग 11.00 बजे से 11.45 बजे के बीच जब मृतक अनिल अपने भाई सचिन (अभि. सा. 4) से अम्बे स्कवायर, इन्दौर में बात कर रहा था तब उस समय अपीलार्थी दुर्गेश दो अन्य अभियुक्तों के साथ वहां आया और अनिल को गालियां देने लगा । जब अनिल ने आपत्ति की तब उनमें से एक अभियुक्त ने अनिल को दबोच लिया और अपीलार्थी दुर्गेश तथा मनिष ने अनिल को चाकू से क्षतियां पहुंचाईं । जब अनिल चिल्लाया तो सोनू (अभि. सा. 9), राजकुमार (अभि. सा. 18), मनोज (अभि. सा. 9) और नरेश (अभि. सा. 13)

घटनास्थल पर पहुंचे । आहत अनिल को एम. वाई. अस्पताल इन्दौर ले जाया गया जहां पर उसकी मृत्यु हो गई और एम. वाई. अस्पताल के टेलीफोन ऑपरेटर द्वारा इस संबंध में सूचना दी गई । प्राप्त की गई सूचना के आधार पर मर्ग संस्थित की गई । इसके पश्चात् सचिन द्वारा दुर्गेश और दो अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट कराई गई और इसके पश्चात् अन्वेषण पूरा होने पर अभियुक्त मनीष, दुर्गेश और रितेश के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया गया । विचारण न्यायालय ने तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 294 और धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के अधीन आरोप विरचित किए । अभियुक्त मनीष और दुर्गेश के विरुद्ध आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 25(1)(ख)(ख) के अधीन भी आरोप विरचित किया गया । अभियुक्तों ने दोषी होने से इनकार किया और अभियोजन पक्ष ने अपने साक्षियों की परीक्षा कराई । अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन के समर्थन में कुल मिलाकर 20 साक्षियों की परीक्षा कराई । अपीलार्थियों ने अपनी प्रतिरक्षा में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया । विचारण न्यायालय ने तारीख 11 नवंबर, 2010 को अपना निर्णय दिया जिसके द्वारा अभियुक्त रितेश को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया और अपीलार्थी दुर्गेश और मनीष को दंड संहिता की धारा 294 के अधीन आरोप से दोषमुक्त कर दिया । तथापि, अपीलार्थियों को इस निर्णय के पैरा 1 के अनुसार दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया । दोषसिद्धि के इस आदेश से व्यथित होकर अभियुक्त-अपीलार्थियों ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की । अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – सचिन (अभि. सा. 4) प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है जिसने यह कथन किया है कि तारीख 20 मई, 2007 को अपराह्न लगभग 11.00 से 11.30 बजे जब वह अपने मृतक भाई के साथ रात्रिभोज के पश्चात् अम्बे स्कवायर के निकट टहल रहा था, तब दुर्गेश अन्य दो साथियों के साथ वहां आया और गालियां देने लगा और कहने लगा कि अनिल उसके अर्थात् दुर्गेश के आदमियों को धमकी देता है । मृतक ने इस अभियोग

से इनकार किया और उसे गालियां न देने को कहा । इसके पश्चात् अभियुक्त ने मृतक को धक्का दिया और उसे अपार्टमेंट के निकट ले गया और दुर्गेश के एक साथी ने अनिल को पकड़ लिया और दुर्गेश तथा एक अन्य सह-अभियुक्त ने अनिल पर चाकू से वार किए । मृतक को उसके पेट के दाईं ओर बाईं ओर क्षतियां पहुंचीं साथ ही उसकी जंघाओं में भी क्षति कारित हुई । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि अपराध कारित करने के पश्चात् तीनों अभियुक्त मोटरसाइकिल (रजिस्ट्रेशन सं. एम पी 08 एल 2911) पर सवार होकर भाग गए । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन नं. उसे सतीश द्वारा दिया गया था और सतीश ही वह व्यक्ति है जिसने मनीष और गुड्डा **उर्फ** रितेश के नाम साक्षियों के रूप में बताए थे । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि इसके पश्चात् वह रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस थाना एम. आई. जी. गया था और सतीश कुशवाह और अन्य व्यक्ति उसके भाई को एम. वाई. अस्पताल ले गए । साक्षी द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट (प्रदर्श पी-9) है जिस पर उसके 'ए' बिन्दु पर हस्ताक्षर हैं । अगले दिन पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और स्थल नक्शा (प्रदर्श पी-10) तैयार किया । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि तारीख 4 अगस्त, 2007 को उसने शनाख्त परेड में भाग लिया था और दो अभियुक्तों की शनाख्त की । शनाख्त संबंधी रिपोर्ट (प्रदर्श पी-11) है जिस पर इस साक्षी के हस्ताक्षर 'ए' और 'बी' बिन्दु पर हैं । जैसा कि सचिन (अभि. सा. 4) द्वारा पहले ही कथन किया गया है कि तीनों अभियुक्त मोटरसाइकिल सं. एम पी 08 एल 2911 पर सवार होकर घटनास्थल से फरार हो गए थे और मोटरसाइकिल का नं. उसे सतीश द्वारा बताया गया था । सतीश कुशवाह (अभि. सा. 5) ने यह कथन किया है कि घटना की रात्रि में उसने तीनों अभियुक्तों को मोटरसाइकिल सं. एम पी 08 एल 2911 द्वारा घटनास्थल से भागते हुए देखा था । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि उसने अभियुक्तों को उस समय देखा था जब वह अनिल के घर से वापस आया था । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि वह तीनों अभियुक्तों को 20 वर्षों से जानता है । उसने यही बात सचिन को बताई थी जो आहत-अनिल के साथ था । इस साक्षी ने यह कथन

किया है कि वह अनिल को एम. वाई. अस्पताल लेकर गया था और उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई । सचिन ने उसे बताया कि तीन अभियुक्तों ने उसके भाई को गालियां दीं और उस पर चाकू से वार किए । सचिन (अभि. सा. 4) ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 11 में यह कथन किया है कि उसके और उसके भाई के मंदिर पहुंचने के दो मिनट के भीतर ही अभियुक्त वहां आ गए थे और तुरंत ही दुर्गेश गालियां देने लगा था । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि घटना के समय उसका भाई अनिल अम्बे मंदिर के निकट बैठा हुआ था और यह साक्षी उसके लिए किराने की दुकान से पुड़िया लेने गया था और जैसे ही यह साक्षी पुड़िया लेकर अपने भाई के निकट पहुंचा उसने अभियुक्तों को देखा कि वे उसके भाई को गालियां दे रहे हैं और उस पर हमला कर रहे हैं । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि वह अपने भाई को बचाने के लिए नहीं दौड़ा था । उसने यह कथन किया है कि अपने भाई के निकट पहुंचने के ठीक पूर्व अभियुक्त उसके भाई को हाउसिंग-बोर्ड की ओर ले गए थे । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि हाउसिंग-बोर्ड के निकट तीनों अभियुक्तों, उसके और उसके भाई के सिवाय कोई व्यक्ति नहीं था । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि उसके भाई पर हमला किया गया था, वह चिल्लाया और इसके पश्चात् अभियुक्त घटनास्थल से फरार हो गए । जब सतीश वहां पहुंचा और उसने बताया कि तीनों अभियुक्त घटनास्थल से मोटरसाइकिल पर सवार होकर भाग गए हैं तब वह रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस थाने की ओर रवाना हुआ और रिपोर्ट दर्ज कराने के पश्चात् वह एम. वाई. अस्पताल गया और उसने वहां अपने भाई को देखा जिसकी पहले ही मृत्यु हो चुकी थी । सतीश कुशवाह (अभि. सा. 5) ने यह कथन किया है कि उसने अनिल को क्षतिग्रस्त अवस्था में सचिन के साथ देखा था और इसके पश्चात् उसने सचिन को अभियुक्तों के बारे में बताया था । इस कथन से यह भी दर्शित होता है कि सचिन घटनास्थल के निकट था और उसने घटना के तत्काल पश्चात् प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें उसने यह कथन किया है कि उसने यह घटना देखी है और यह कि राजेश उसके भाई को एम. वाई. अस्पताल लेकर गया है, इस प्रकार इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है कि सचिन

(अभि. सा. 4) उस समय अपने भाई अनिल के साथ था जब घटना घटित हुई थी । सचिन (अभि. सा. 4) के साक्ष्य की संपुष्टि सतीश कुशवाह (अभि. सा. 5) के साक्ष्य से होती है । घटना के तत्काल पश्चात् अपीलार्थियों को देखे जाने के संबंध में सतीश कुशवाह का साक्ष्य, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 8 के अधीन एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है जिससे अपीलार्थियों का पश्चात्वर्ती आचरण दर्शित होता है । इसके अतिरिक्त सचिन (अभि. सा. 4) की प्रतिपरीक्षा में ऐसे विरोधाभास और लोप नहीं हैं जिनके आधार पर उसके साक्ष्य को अविश्वसनीय ठहराया जा सके । जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है, सचिन की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट उसी दिन अभिलिखित की गई है जिस दिन घटना घटित हुई थी । घटना के ठीक अगले दिन अर्थात् 21 मई, 2007 को उसका कथन पुलिस द्वारा अभिलिखित किया गया था । इस प्रकार, इस साक्षी का कथन अभिलिखित किए जाने में कोई विलंब नहीं है । सतीश कुशवाह का कथन 21 जुलाई, 2007 को अर्थात् घटना के दो महीने बाद अभिलिखित किया गया है । तथापि, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में सचिन द्वारा उसे निर्दिष्ट किया गया है और यह प्रथम इत्तिला रिपोर्ट उसी दिन अभिलिखित की गई थी जिस दिन घटना घटित हुई थी । अतः, पुलिस द्वारा उसका कथन विलंब से अभिलिखित किया जाना अभियोजन पक्षकथन के लिए घातक नहीं हो सकता । इस प्रकार इस साक्षी के साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट समय पूर्व दर्ज नहीं कराई गई है । यह प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अपराह्न 11.45 बजे सम्यक् रूप से अभिलिखित की गई है और इसी दौरान मृतक को अस्पताल में भर्ती किया गया था जहां तत्काल पश्चात् उसकी मृत्यु हो गई और इसके पश्चात् अस्पताल से उसकी मृत्यु के संबंध में सूचना भेजी गई और मर्ग रजिस्ट्रीकृत की गई । यदि मृतक को पुलिसकर्मी द्वारा अस्पताल लाया जाता और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अभिलिखित नहीं कराई जाती, तब मृतक की मृत्यु के पश्चात् प्रथम इत्तिला रिपोर्ट मर्ग दर्ज किए जाने के पश्चात् अभिलिखित की जा सकती थी, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सचिन (अभि. सा. 4) द्वारा तत्काल दर्ज कराई गई है जिसके पश्चात् मृतक की मृत्यु हुई है और इस संबंध में मर्ग रिपोर्ट संस्थित की

गई है । इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट समय पूर्व की है । वर्तमान मामले में घटना तारीख 20 मई, 2007 को अपराह्न लगभग 11.00 से 11.15 बजे के बीच घटित हुई है और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अपराह्न 11.45 बजे दर्ज कराई गई है, इस प्रकार इसमें कोई विलंब नहीं है । यह पूर्णतया स्पष्ट है कि दोनों क्षेत्र अर्थात् 'अम्बेडकर गार्डन' और 'सोमनाथ की जूनी छाल' खुले क्षेत्र हैं जहां से कोई भी गुजर सकता है । यदि अभियुक्त पुलिस अधिकारी श्री बी. आर. सिसोदिया को किसी विशेष स्थान पर लेकर जा सकते थे जहां पर आयुध पड़ा हुआ पाया गया था, तब यह स्पष्ट हो जाता कि अभियुक्त को ही उस विशेष स्थान की जानकारी थी जहां पर आयुध पड़ा हुआ पाया गया था । प्रश्न यह है कि क्या ये आयुध अन्य लोगों को भी पड़े हुए दिखाई दे रहे थे या नहीं ? श्री बी. आर. सिसोदिया (अभि. सा. 14) के समक्ष ऐसा कोई सुझाव नहीं रखा गया है कि ये आयुध अन्य लोगों को भी आसानी से दिखाई दे रहे थे । एक मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं है कि वह स्थान सभी के आने-जाने के लिए खुला हुआ था या नहीं बल्कि महत्वपूर्ण बात यह है कि बरामद की गई वस्तु अन्य लोगों के लिए दृश्यमान थी या नहीं ? यदि बरामद की गई वस्तु आसानी से किसी को दिखाई नहीं दे रही थी तब यह महत्वपूर्ण नहीं है कि वह स्थान सभी आने-जाने के लिए खुला हुआ था । इस प्रकार, यह पाया गया है कि अभियुक्त द्वारा दी गई सूचना के अनुसरण में अन्वेषण के दौरान आयुध बरामद किया गया है । बरामद किए गए आयुधों को डा. ए. के. लंझेवार (अभि. सा. 11) को भेज दिया गया जिन्होंने अपनी रिपोर्ट (प्रदर्श पी-33) में यह स्वीकार किया है कि इन आयुधों से क्षतियां कारित हो सकती हैं । निस्संदेह, अभियोजन पक्षकथन में खामी है क्योंकि इन आयुधों पर लगे हुए मानव रक्त के संबंध में न्यायालयिक प्रयोगशाला से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई है । यह दलील दी गई है कि श्री बी. आर. सिसोदिया (अभि. सा. 14) जिन्होंने अन्वेषण किया है, ने इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि आयुधों को न्यायालियक प्रयोगशाला क्यों नहीं भेजा गया था । इससे अन्वेषण अधिकारी द्वारा अन्वेषण में बरती गई लापरवाही दिखाई

देती है । तथापि, प्रत्यक्षदर्शी साक्षी सचिन (अभि. सा. 4) और राजेश (अभि. सा. 5) का साक्ष्य जो अधिनियम, 1872 की धारा 8 के अधीन सुसंगत है, शनाख्त परेड की कार्यवाही (प्रदर्श पी-11) और अभियुक्तों द्वारा दिए गए प्रकटीकरण कथन के आधार पर की गई आयुधों की बरामदगी तथा डा. लंझेवार (अभि. सा. 11) द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट और अपीलार्थी दुर्गेश की निशानदेही पर उस मोटरसाइकिल की बरामदगी जिस पर सवार होकर वे घटनास्थल से फरार हुए थे । ऐसी परिस्थितियां हैं जिनसे साक्ष्य की श्रृंखला पूर्ण हो जाती है और उससे निश्चायक रूप से यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियुक्त दोषी हैं और ये परिस्थितियां उनके विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह के परे मामला साबित करने के लिए पर्याप्त हैं । इस प्रकार यह साबित हो गया है कि मृतक अनिल को अपीलार्थी दुर्गेश और मनीष द्वारा चाकू घोंपे गए हैं जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई है । तीसरे हमलावर की शनाख्त नहीं हुई है और इस प्रकार यह साबित हो गया है कि इन अभियुक्तों ने मृतक अनिल का मानव वध किया है । डा. लंझेवार (अभि. सा. 11) ने यह निष्कर्ष निकाला है कि मृतक को कारित क्षतियां प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हैं और इससे दंड संहिता की धारा 300 का तीसरा भाग लागू होता है और ये क्षतियां मृतक अनिल के नाजुक अंगों पर कारित की गई हैं और उसे चाकू घोंपकर कई क्षतियां कारित की गई हैं जिनसे स्पष्ट रूप से हत्या कारित किए जाने का आशय स्पष्ट होता है । इस प्रकार, अपीलार्थियों को विचारण न्यायालय द्वारा दंड संहिता की धारा 302 के अधीन ठीक ही दोषसिद्ध किया गया है । इस प्रकार दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन दोषसिद्धि की पुष्टि की जाती है । (पैरा 12, 13, 14, 15, 19, 26 और 31)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2018]	2018 क्रिमिनल ला रिपोर्ट (एस. सी.) 152 = ए. आई. आर. 2018 एस. सी. 570 : **अतुल ठाकुर** बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** ;	29

[2009] (2009) एस. ए. आर. क्रिमिनल 1045 = 2010 क्रिमिनल ला जर्नल 444 (एस. सी.) : **प्रबीर मॉन्डल और एक अन्य** बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य** ; 19

[2009] (2009) एस. ए. आर. (क्रिमिनल) 1038 = 2010 क्रिमिनल ला जर्नल 428 (एस. सी.) : **अरूण कुमार शर्मा** बनाम **बिहार राज्य** ; 15

[2006] 2006 क्रिमिनल ला जर्नल 267 : **जरपाला दीपाला और अन्य** बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य** ; 20

[1999] (1999) 4 एस. सी. सी. 370 : **हिमाचल प्रदेश राज्य** बनाम **जीत सिंह** ; 26

[1995] (1995) जे. एल. जे. 639 : **लक्ष्मण और अन्य** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ; 15

[1995] 1995 क्रिमिनल ला जर्नल 457 (एस. सी.) : **मेहराज सिंह** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** ; 17

[1988] (1988) जे. एल. जे. 321 : **कृष्ण सेवक** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** । 15

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2010 की दांडिक अपील सं. 1434.

2007 के सेशन विचारण मामला सं. 333 में अपर सेशन न्यायाधीश (विशेष विद्युत अधिनियम, 2003), इन्दौर द्वारा तारीख 11 नवंबर, 2010 को पारित निर्णय के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री अविनाश सिरपुरकर (ज्येष्ठ अधिवक्ता) और सुश्री सीमा शर्मा

प्रत्यर्थी की ओर से श्री अनिल ओझा (लोक अभियोजक)

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति शैलेन्द्र शुक्ला ने दिया ।

न्या. शुक्ला – यह दांडिक अपील दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374(2) के अधीन 2007 के सेशन विचारण मामला सं. 333 में अपर सेशन न्यायाधीश (विशेष विद्युत अधिनियम, 2003), इन्दौर द्वारा तारीख 11 नवंबर, 2010 को पारित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है जिसमें अपीलार्थी दुर्गेश और मनीष को निम्न रूप में दोषसिद्ध किया गया है :–

क्रम सं.	धारा जिसके अधीन प्रत्येक को दोषसिद्ध किया गया है	दंडादेश		
		कारावास	जुर्माने की राशि	जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम किए जाने पर कारावास की अवधि
1.	302/34	आजीवन कारावास	प्रत्येक को 500/- रुपए का जुर्माना	प्रत्येक को अतिरिक्त तीन मास का कठोर कारावास
2.	आयुध अधिनियम की धारा 25(1)(ख)(ख)	एक वर्ष का कठोर कारावास	प्रत्येक को 1,000/- रुपए का जुर्माना	प्रत्येक को पांच मास का अतिरिक्त कठोर कारावास

2. संक्षेप में अभियोजन वृत्तांत इस प्रकार है कि तारीख 20 मई, 2007 को अपराह्न लगभग 11.00 बजे से 11.45 बजे के बीच जब मृतक अनिल अपने भाई सचिन (अभि. सा. 4) से अम्बे स्कवायर,

इन्दौर में बात कर रहा था तब उस समय अपीलार्थी दुर्गेश दो अन्य अभियुक्तों के साथ वहां आया और अनिल को गालियां देने लगा । जब अनिल ने आपत्ति की तब उनमें से एक अभियुक्त ने अनिल को दबोच लिया और अपीलार्थी दुर्गेश तथा मनिष ने अनिल को चाकू से क्षतियां पहुंचाईं । जब अनिल चिल्लाया तो सोनू (अभि. सा. 9), राजकुमार (अभि. सा. 18), मनोज (अभि. सा. 9) और नरेश (अभि. सा. 13) घटनास्थल पर पहुंचे । आहत अनिल को एम. वाई. अस्पताल इन्दौर ले जाया गया जहां पर उसकी मृत्यु हो गई और एम. वाई. अस्पताल के टेलीफोन ऑपरेटर द्वारा इस संबंध में सूचना दी गई । प्राप्त की गई सूचना के आधार पर मर्ग संस्थित की गई । इसके पश्चात् सचिन द्वारा दुर्गेश और दो अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट कराई गई और इसके पश्चात् अन्वेषण पूरा होने पर अभियुक्त मनीष, दुर्गेश और रितेश के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया गया । विचारण न्यायालय ने तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 294 और धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के अधीन आरोप विरचित किए । अभियुक्त मनीष और दुर्गेश के विरुद्ध आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 25(1)(ख)(ख) के अधीन भी आरोप विरचित किया गया । अभियुक्तों ने दोषी होने से इनकार किया और अभियोजन पक्ष ने अपने साक्षियों की परीक्षा कराई । अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन के समर्थन में कुल मिलाकर 20 साक्षियों की परीक्षा कराई ।

3. अपीलार्थियों ने अपनी प्रतिरक्षा में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया । विचारण न्यायालय ने तारीख 11 नवंबर, 2010 को अपना निर्णय दिया जिसके द्वारा अभियुक्त रितेश को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया और अपीलार्थी दुर्गेश और मनीष को दंड संहिता की धारा 294 के अधीन आरोप से दोषमुक्त कर दिया । तथापि, अपीलार्थियों को इस निर्णय के पैरा 1 के अनुसार दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया ।

4. इस अपील में लिए गए आधार इस प्रकार हैं कि विचारण

न्यायालय ने सचिन (अभि. सा. 4), सतीश कुशवाह (अभि. सा. 5) और मनोज (अभि. सा. 6) के साक्ष्य का अवलंब लेकर गलती की है । यद्यपि इन साक्षियों के अभिसाक्ष्यों तथा शनाख्त परेड से संबंधित साक्ष्य में कई विरोधाभास और लोप हैं अर्थात् शिकायतकर्ता ने केवल एक अभियुक्त की शनाख्त की है फिर भी दोनों अभियुक्तों को दोषसिद्ध किया गया है ; प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अज्ञात व्यक्तियों के नाम में दर्ज कराई गई है और शनाख्त परेड से संबंधित साक्ष्य को अधिक महत्व दिया गया है ; प्रथम इत्तिला रिपोर्ट समय पूर्व की है जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया है ; विचारण न्यायालय इस पर भी विचार करने में असफल रहा है कि अपराध से संबंधित वस्तुएं खुले स्थान से बरामद की गई हैं और जिन साक्षियों की परीक्षा कराई गई है वे संयोगी साक्षी हैं और विश्वसनीय नहीं हैं । यह घटना रात्रि में घटित हुई है और घटना के समय पूर्ण अंधकार था और तब ही अचानक झगड़ा हुआ । अत: यह निवेदन किया गया है कि अपील मंजूर की जाए और अपीलार्थियों पर अधिरोपित दोषसिद्धि और दंडादेश को अपास्त किया जाए ।

5. अपीलार्थियों ने अपने कथनों में यह उल्लेख किया है कि उन्हें इस अपराध में मिथ्या फंसाया गया है ।

6. इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए यह प्रश्न है कि क्या अपील में लिए गए आधारों को दृष्टिगत करते हुए विचारण न्यायालय ने अपीलार्थियों को गलत तरीके से दोषसिद्ध किया है और यह कि क्या अपीलार्थी दोषमुक्त किए जाने योग्य हैं ।

7. इस अपील में तय किए जाने के लिए निम्न प्रश्न हैं :-

(1) क्या अनिल की मृत्यु मानव वध का परिणाम है ?

(2) क्या अनिल की मृत्यु अपीलार्थियों द्वारा कारित क्षतियों का परिणाम है ?

(3) क्या अनिल का मानव वध हत्या की कोटि में आता है ?

(4) क्या निष्कर्षों को दृष्टिगत करते हुए अपीलार्थियों को अधिरोपित दंड की मात्रा उचित है ?

8. प्रश्न सं. 1 के संबंध में :-

डा. ए. के. लंजेवाल (अभि. सा. 11) ने यह कथन किया है कि तारीख 21 मई, 2007 को वह एम. वाई. अस्पताल, इन्दौर में कार्यरत था और उस दिन अनिल पुत्र ताराचंद नाम के व्यक्ति का शव शवपरीक्षण के लिए कांस्टेबल द्वारा लाया गया था और उस शव की शनाख्त मृतक के भाई नरेश द्वारा की गई थी । पूरे शव में शव काठिन्य पाया गया था और पूरे शरीर पर रक्ताधिक्य पाया गया था । शव पर वेधकर कारित की गई स्पष्ट 6 क्षतियां दिखाई दी गईं जो निम्न प्रकार हैं :-

(क) बाईं उरोस्थि के नीचे 10 से. मी. की दूरी पर 2 से. मी. × 1 से. मी. × 8 से. मी. माप का वेधित घाव जिसके द्वारा बायां फेफड़ा क्षतिग्रस्त हुआ है और वक्षीय गुहा में 1 लीटर थक्केदार रक्त पाया गया है ।

(ख) 2 से. मी. × 1 से. मी. × 9 से. मी. माप का वेधित घाव जो दाईं इलियक मेरु के ऊपरी सिरे के अग्र भाग में 7 से. मी. की दूरी पर स्थित है । विच्छेदन करने पर दीर्घ रेट्रो-पेरिटोनियल गुमटा दिखाई देता है और छोटी आंत के साथ रक्त वाहिनी भी क्षतिग्रस्त हुई है तथा उदरीय गुहा में 2 लीटर अर्ध-थक्केदार रक्त मौजूद है । त्वचा में रंग विकृति पाई गई है ।

(ग) 3 से. मी. × 0.5 से. मी. × 0.2 से. मी. माप का वेधित घाव जो बाएं कंधे के शीर्ष पर स्थित है । त्वचा में रंग विकृति मौजूद है ।

(घ) बाईं जंघा के सुपीरियर इलियक क्रस्ट से 23 से. मी. नीचे की ओर वेधित घाव मौजूद है । यह घाव मध्य अग्र भाग में मांसपेशियों और रक्त वाहिनियों को क्षतिग्रस्त करता हुआ निकास घाव के साथ पार दिखाई दे रहा है । प्रविष्टि घाव का आकार 5 से.

मी. × 1. 5 से. मी. × 4 से. मी. है और निकास घाव का आकार 5.5 से. मी. × 2 से. मी. × 4 से. मी. है ।

(ड़) मेरुदंड के बाईं ओर 4 से. मी. × 1.5 से. मी. × 9 से. मी. माप का वेधित तिरछा घाव है जो कशेरुक (सी-7) से 15 से. मी. की दूरी पर है । यह क्षति आठवीं और नवीं पसली के बीच स्थित है जिसके कारण बाएं फेफड़े के समवर्ती मांसपेशियां क्षतिग्रस्त हुई हैं ।

(च) दाईं सुपीरियर इलियक मेरुदंड पर 1.5 से. मी. × 1.5 से. मी. माप का वेधित घाव है जिसके परिणामस्वरूप मांसपेशियां क्षतिग्रस्त हुई हैं । अमाशय में अधपचा भोजन मौजूद है और मृत्यु अत्यधिक रक्तस्राव और आघात के कारण हुई है ।

9. ये क्षतियां कठोर धारदार नुकीली वस्तु से कारित की गई थी जो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थीं और मृत्यु शरीर पर शवपरीक्षण किए जाने के समय से पहले 24 घंटे के भीतर हुई है जो मानव वध प्रकृति की है । शवपरीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श पी-5) है जिस पर बी बिन्दु पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं । यह शव परीक्षा तारीख 21 मई, 2007 को पूर्वाह्न 11.25 बजे की गई है जिससे यह दर्शित होता है कि मृत्यु 24 घंटे के भीतर हुई है । इसी साक्षी को अभिगृहीत किया गया चाकू भेजा गया था और उसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी/33 है, इस साक्षी ने यह कथन किया है कि ऐसे चाकू से ऐसी क्षति कारित की जा सकती है । इस रिपोर्ट से स्पष्ट रूप से यह निष्कर्ष निकलता है कि अनिल की मृत्यु का कारण मानव वध है जो किसी धारदार नुकीली वस्तु से किया गया है और यह मृत्यु तारीख 21 मई, 2007 को शव-परीक्षा किए जाने के समय के पूर्व से 24 घंटे के भीतर हुई है ।

10. प्रश्न सं. 2 के संबंध में :–

अभियोजन वृत्तांत प्रत्यक्षदर्शियों साक्षियों के साक्ष्य तथा पारिस्थितिक साक्ष्य पर टिका हुआ है । अभियोजन पक्ष ने सचिन (अभि. सा. 4), विनोद (अभि. सा. 6), सोनू (अभि. सा. 9), नरेश (अभि.

सा. 13), विजय (अभि. सा. 17) और राजकुमार (अभि. सा. 18) की परीक्षा प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के रूप में कराई है । तथापि, सचिन (अभि. सा. 4) को छोड़कर अन्य सभी साक्षियों को विचारण न्यायालय द्वारा अविश्वसनीय ठहराया गया है । मनोज (अभि. सा. 6) को पैरा 13 में और सोनू (अभि. सा. 9) को पैरा 31 में, नरेश (अभि. सा. 13) को पैरा 32 में, विजय (अभि. सा. 17) को पैरा 33 में और राजकुमार (अभि. सा. 18) को आक्षेपित निर्णय के पैरा 34 में अविश्वसनीय ठहराया गया है । तथापि, सचिन (अभि. सा. 4) के साक्ष्य का अवलंब अपीलार्थियों को दोषसिद्ध करने में लिया गया है ।

11. अभियोजन पक्ष ने उपरोक्त साक्षियों को अविश्वसनीय ठहराने से संबंधित विचारण न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्षों पर कोई भी संविवाद नहीं किया है, अत: अन्य साक्षियों के साक्ष्य पर चर्चा करना व्यर्थ होगा । इस पर विचार करना महत्वपूर्ण होगा कि क्या विचारण न्यायालय द्वारा सचिन (अभि. सा. 4) के साक्ष्य का अवलंब लिया जाना उचित था या नहीं ।

12. सचिन (अभि. सा. 4) प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है जिसने यह कथन किया है कि तारीख 20 मई, 2007 को अपराह्न लगभग 11.00 से 11.30 बजे जब वह अपने मृतक भाई के साथ रात्रिभोज के पश्चात् अम्बे स्कवायर के निकट टहल रहा था, तब दुर्गेश अन्य दो साथियों के साथ वहां आया और गालियां देने लगा और कहने लगा कि अनिल उसके अर्थात् दुर्गेश के आदमियों को धमकी देता है । मृतक ने इस अभियोग से इनकार किया और उसे गालियां न देने को कहा । इसके पश्चात् अभियुक्त ने मृतक को धक्का दिया और उसे अपार्टमेंट के निकट ले गया और दुर्गेश के एक साथी ने अनिल को पकड़ लिया और दुर्गेश तथा एक अन्य सह-अभियुक्त ने अनिल पर चाकू से वार किए । मृतक को उसके पेट के दाईं ओर बाईं ओर क्षतियां पहुंचीं साथ ही उसकी जंघाओं में भी क्षति कारित हुई । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि अपराध कारित करने के पश्चात् तीनों अभियुक्त मोटरसाइकिल (रजिस्ट्रेशन सं. एम पी 08 एल 2911) पर सवार होकर भाग गए । इस साक्षी ने यह

कथन किया है कि मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन नं. उसे सतीश द्वारा दिया गया था और सतीश ही वह व्यक्ति है जिसने मनीष और गुड्डा **उर्फ** रितेश के नाम साक्षियों के रूप में बताए थे । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि इसके पश्चात् वह रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस थाना एम. आई. जी. गया था और सतीश कुशवाह और अन्य व्यक्ति उसके भाई को एम. वाई. अस्पताल ले गए । साक्षी द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट प्रदर्श पी-9 है जिस पर उसके 'ए' बिन्दु पर हस्ताक्षर हैं । अगले दिन पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और स्थल नक्शा (प्रदर्श पी-10) तैयार किया । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि तारीख 4 अगस्त, 2007 को उसने शनाख्त परेड में भाग लिया था और दो अभियुक्तों की शनाख्त की । शनाख्त संबंधी रिपोर्ट प्रदर्श पी-11 है जिस पर इस साक्षी के हस्ताक्षर 'ए' और 'बी' बिन्दु पर हैं ।

13. जैसा कि सचिन (अभि. सा. 4) द्वारा पहले ही कथन किया गया है कि तीनों अभियुक्त मोटरसाइकिल सं. एम पी 08 एल 2911 पर सवार होकर घटनास्थल से फरार हो गए थे और मोटरसाइकिल का नं. उसे सतीश द्वारा बताया गया था । सतीश कुशवाह (अभि. सा. 5) ने यह कथन किया है कि घटना की रात्रि में उसने तीनों अभियुक्तों को मोटरसाइकिल सं. एम पी 08 एल 2911 द्वारा घटनास्थल से भागते हुए देखा था । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि उसने अभियुक्तों को उस समय देखा था जब वह अनिल के घर से वापस आया था । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि वह तीनों अभियुक्तों को 20 वर्षों से जानता है । उसने यही बात सचिन को बताई थी जो आहत-अनिल के साथ था । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि वह अनिल को एम. वाई. अस्पताल लेकर गया था और उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई । सचिन ने उसे बताया कि तीन अभियुक्तों ने उसके भाई को गालियां दीं और उस पर चाकू से वार किए । सचिन (अभि. सा. 4) ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 11 में यह कथन किया है कि उसके और उसके भाई के मंदिर पहुंचने के दो मिनट के भीतर ही अभियुक्त वहां आ गए थे और तुरंत ही दुर्गेश गालियां देने लगा था । इस साक्षी ने यह कथन

किया है कि घटना के समय उसका भाई अनिल अम्बे मंदिर के निकट बैठा हुआ था और यह साक्षी उसके लिए किराने की दुकान से पुड़िया लेने गया था और जैसे ही यह साक्षी पुड़िया लेकर अपने भाई के निकट पहुंचा उसने अभियुक्तों को देखा कि वे उसके भाई को गालियां दे रहे हैं और उस पर हमला कर रहे हैं । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि वह अपने भाई को बचाने के लिए नहीं दौड़ा था । उसने यह कथन किया है कि अपने भाई के निकट पहुंचने के ठीक पूर्व अभियुक्त उसके भाई को हाउसिंग-बोर्ड की ओर ले गए थे । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि हाउसिंग-बोर्ड के निकट तीनों अभियुक्तों, उसके और उसके भाई के सिवाय कोई व्यक्ति नहीं था । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि उसके भाई पर हमला किया गया था, वह चिल्लाया और इसके पश्चात् अभियुक्त घटनास्थल से फरार हो गए । जब सतीश वहां पहुंचा और उसने बताया कि तीनों अभियुक्त घटनास्थल से मोटरसाइकिल पर सवार होकर भाग गए हैं तब वह रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस थाने की ओर रवाना हुआ और रिपोर्ट दर्ज कराने के पश्चात् वह एम. वाई. अस्पताल गया और उसने वहां अपने भाई को देखा जिसकी पहले ही मृत्यु हो चुकी थी ।

14. सतीश कुशवाह (अभि. सा. 5) ने यह कथन किया है कि उसने अनिल को क्षतिग्रस्त अवस्था में सचिन के साथ देखा था और इसके पश्चात् उसने सचिन को अभियुक्तों के बारे में बताया था । इस कथन से यह भी दर्शित होता है कि सचिन घटनास्थल के निकट था और उसने घटना के तत्काल पश्चात् प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें उसने यह कथन किया है कि उसने यह घटना देखी है और यह कि राजेश उसके भाई को एम. वाई. अस्पताल लेकर गया है, इस प्रकार इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है कि सचिन (अभि. सा. 4) उस समय अपने भाई अनिल के साथ था जब घटना घटित हुई थी ।

15. सचिन (अभि. सा. 4) के साक्ष्य की संपुष्टि सतीश कुशवाह (अभि. सा. 5) के साक्ष्य से होती है । घटना के तत्काल पश्चात् अपीलार्थियों को देखे जाने के संबंध में सतीश कुशवाह का साक्ष्य,

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 8 के अधीन एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है जिससे अपीलार्थियों का पश्चात्वर्ती आचरण दर्शित होता है । इसके अतिरिक्त सचिन (अभि. सा. 4) की प्रतिपरीक्षा में ऐसे विरोधाभास और लोप नहीं हैं जिनके आधार पर उसके साक्ष्य को अविश्वसनीय ठहराया जा सके ।

विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि पुलिस द्वारा साक्षियों के कथन विलंब से अभिलिखित किए गए हैं और इस संबंध में उन्होंने **लक्ष्मण और अन्य** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य राज्य**[1] और **अरूण कुमार शर्मा** बनाम **बिहार राज्य**[2] तथा **कृष्ण सेवक** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[3] वाले मामलों को निर्दिष्ट किया है जिनमें यह अधिकथित किया गया है कि पुलिस द्वारा विलंब से कथन अभिलिखित किए गए थे और ऐसे विलंब से अभियोजन पक्षकथन निर्बल हो जाता है ।

जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है, सचिन की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट उसी दिन अभिलिखित की गई है जिस दिन घटना घटित हुई थी । घटना के ठीक अगले दिन अर्थात् 21 मई, 2007 को उसका कथन पुलिस द्वारा अभिलिखित किया गया था । इस प्रकार, इस साक्षी का कथन अभिलिखित किए जाने में कोई विलंब नहीं है । सतीश कुशवाह का कथन 21 जुलाई, 2007 को अर्थात् घटना के दो महीने बाद अभिलिखित किया गया है । तथापि, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में सचिन द्वारा उसे निर्दिष्ट किया गया है और यह प्रथम इत्तिला रिपोर्ट उसी दिन अभिलिखित की गई थी जिस दिन घटना घटित हुई थी । अतः, पुलिस द्वारा उसका कथन विलंब से अभिलिखित किया जाना अभियोजन पक्षकथन के लिए घातक नहीं हो सकता ।

16. प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी-9) सचिन (अभि. सा. 4) द्वारा दर्ज कराई गई है जिससे यह दर्शित होता है कि यह रिपोर्ट तारीख 20 मई, 2007 को अपराह्न 11.45 बजे दर्ज कराई गई थी और अभियुक्त

---

[1] (1995) जे. एल. जे. 639.

[2] (2009) एस. ए. आर. (क्रिमिनल) 1038 = 2010 क्रिमिनल ला जर्नल 428 (एस. सी.).

[3] (1988) जे. एल. जे. 321.

दुर्गेश को इस रिपोर्ट में नामित किया गया है किन्तु दो सह-अभियुक्तों को नामित नहीं किया गया है और यह कथन किया गया है कि अनिल को दुर्गेश और एक अन्य अभियुक्त द्वारा चाकू घोंपे गए हैं । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट एस. डी. तिवारी (अभि. सा. 15) द्वारा अभिलिखित की गई है । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि तारीख 20 मई, 2007 को वह सहायक उप-निरीक्षक के पद पर पुलिस थाना एम. आई. जी. में तैनात था और सचिन पुलिस थाने आया था जहां उसने रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1) दर्ज कराई जिसका उसने हस्ताक्षर किए हैं और सचिन (अभि. सा. 4) ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को प्रदर्श पी-9 के रूप में प्रदर्शित किया है तथा अभि. सा. 15 ने अपने अभिसाक्ष्य में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को प्रदर्श पी-1 के रूप में दर्शाया है, तथापि, दोनों प्रदर्श एक ही दस्तावेज से संबंधित हैं और यह पीठासीन अधिकारी द्वारा अनाशयित भूल प्रतीत होती है ।

17. अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट वास्तव में समय पूर्व की है और उन्होंने **मेहराज सिंह** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले को निर्दिष्ट किया है जिसमें यह अभिकथित किया गया है कि यदि यह पाया जाता है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट समय पूर्व की है तब इसे अभियोजन की गंभीर त्रुटि माना जा सकता है । विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि सहायक पुलिस उपनिरीक्षक बी. आर. सिसोदिया (अभि. सा. 14) ने यह कथन किया है कि तारीख 21 मई, 2007 को एम. वाई. अस्पताल से एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसके आधार पर मर्ग दर्ज कराई गई । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि यह मर्ग तारीख 21 मई, 2007 को दर्ज की गई थी और जिसके आधार पर आगे अन्वेषण किया गया, अत: स्पष्ट रूप से यह कहा जा सकता है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट जानबूझकर समय पूर्व की अर्थात् 20 मई, 2007 को अपराह्न 11.45 बजे अभिलिखित की गई दिखाई गई है, अभियोजन पक्ष द्वारा जानबूझकर ऐसा दिखाया गया है जबकि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट मर्ग दर्ज

---

[1] 1995 क्रिमिनल ला जर्नल 457 (एस. सी.).

किए जाने के पश्चात् अर्थात् अगले दिन 21 मई, 2007 को ही दर्ज की जानी चाहिए थी ।

18. बी. आर. सिसोदिया (अभि. सा. 14) की प्रतिपरीक्षा इस बिन्दु पर की गई है । इस साक्षी ने पैरा 7 में यह स्वीकार किया है कि मर्ग तारीख 21 मई, 2007 को पूर्वाह्न 1.40 बजे संस्थित की गई थी । तथापि, इस साक्षी ने यह स्पष्ट किया है कि मर्ग संसूचना प्राप्त करने के पूर्व ही पुलिस थाना एम. आई. जी. को सूचना दी जा चुकी थी । इस साक्षी से यह प्रश्न पूछा गया है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट यदि अपराह्न 11.45 बजे प्राप्त की गई है, तब मृतक के पते-ठिकाने और उसकी दशा को सुनिश्चित करने के लिए तत्काल क्या प्रयास किए गए थे ? इस साक्षी ने यह उत्तर दिया कि यह पता चला था कि मृतक को एम. वाई. अस्पताल में भर्ती कराया गया है और चिकित्सकों से मौखिक रूप से मृतक की दशा के बारे में पूछा गया था जिन्होंने यह बताया कि उसकी हालत गंभीर है और इस पूछताछ के पश्चात् अन्वेषण की आगे कार्यवाही की गई । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 8 में यह भी कथन किया है कि मर्ग के दर्ज किए जाने के पूर्व भी साक्षी को यह बात मालूम थी कि वे व्यक्ति कौन हैं जिन्होंने अपराध कारित किया है और उसने यह कथन किया है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1) में केवल अभियुक्त दुर्गेश को नामित किया गया है किन्तु उस रिपोर्ट में अन्य दो अभियुक्तों के नाम दिखाई नहीं देते हैं ।

19. इस प्रकार इस साक्षी के साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट समय पूर्व दर्ज नहीं कराई गई है । यह प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अपराह्न 11.45 बजे सम्यक् रूप से अभिलिखित की गई है और इसी दौरान मृतक को अस्पताल में भर्ती किया गया था जहां तत्काल पश्चात् उसकी मृत्यु हो गई और इसके पश्चात् अस्पताल से उसकी मृत्यु के संबंध में सूचना भेजी गई और मर्ग रजिस्ट्रीकृत की गई । यदि मृतक को पुलिसकर्मी द्वारा अस्पताल लाया जाता और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अभिलिखित नहीं कराई जाती, तब मृतक की मृत्यु के पश्चात् प्रथम इत्तिला रिपोर्ट मर्ग दर्ज किए जाने के पश्चात् अभिलिखित की जा सकती थी, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सचिन (अभि. सा. 4) द्वारा तत्काल दर्ज कराई गई है जिसके पश्चात् मृतक की मृत्यु हुई है और इस संबंध

में मर्ग रिपोर्ट संस्थित की गई है । इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट समय पूर्व की है । विद्वान् काउंसेल ने यह कथन किया है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने में विलंब हुआ है और उन्होंने **प्रबीर मॉन्डल और एक अन्य** बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य**[1] वाले मामले को निर्दिष्ट किया है जिसमें यह अधिकथित किया गया है कि जब प्रथम इत्तिला रिपोर्ट विलंब से दर्ज कराई जाती है और आहत चिकित्सक को यह नहीं बता पाता है कि घटना किस प्रकार घटित हुई थी, तब ऐसी स्थिति में अभियुक्त दोषमुक्त किए जाने योग्य है ।

वर्तमान मामले में घटना तारीख 20 मई, 2007 को अपराह्न लगभग 11.00 से 11.15 बजे के बीच घटित हुई है और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अपराह्न 11.45 बजे दर्ज कराई गई है, इस प्रकार इसमें कोई विलंब नहीं है ।

20. विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी है कि शनाख्त परेड की कार्यवाही संदिग्ध और अविश्वसनीय है क्योंकि यह कार्यवाही अत्यंत विलंब से की गई है । उन्होंने **जरपाला दीपाला और अन्य** बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य**[2] वाले मामले को निर्दिष्ट किया है । नायब तहसीलदार संजय शर्मा (अभि. सा. 7) द्वारा शनाख्त परेड (प्रदर्श पी-11) कराई गई है । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि तारीख 4 जुलाई, 2007 को उसने अभियुक्त की शनाख्त परेड कराई थी जिसमें सचिन ने अभियुक्त मनीष को उसके सिर पर हाथ रखकर पहचान कर बताया था । शनाख्त परेड की कार्यवाही प्रदर्श पी-11 है । यह कार्यवाही जेल परिसर में की गई थी । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि शनाख्त परेड कराए जाने के समय उस स्थान पर उसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति नहीं था । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 6 में इस सुझाव से इनकार किया है कि सचिन ने उसे यह बताया था कि वह अभियुक्त की शनाख्त किस प्रकार करेगा । प्रदर्श पी-11 से यह दर्शित होता है कि अभियुक्त के साथ कई व्यक्ति शनाख्त किए जाने के समय पर खड़े किए गए थे और उन व्यक्तियों की संख्या 10 थी । इस साक्षी के साक्ष्य का खंडन उसकी

---

[1] (2009) एस. ए. आर. क्रिमिनल 1045 = 2010 क्रिमिनल ला जर्नल 444 (एस. सी.).

[2] 2006 क्रिमिनल ला जर्नल 267.

प्रतिपरीक्षा के दौरान नहीं किया गया है । प्रदर्श पी-11 से यह दर्शित होता है कि अभियुक्त मनीष को सचिन (अभि. सा. 4) द्वारा ठीक प्रकार पहचान लिया गया था किन्तु अन्य सह-अभियुक्त रितेश की शनाख्त सचिन द्वारा नहीं की जा सकी है ।

21. विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि शनाख्त परेड की कार्यवाही के पूर्व और अभियुक्तों को गिरफ्तार किए जाने के पश्चात् उनके चेहरों को बापर्दा नहीं रखा गया था । विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि गिरफ्तारी के पश्चात् ज्ञापन तैयार किए जाने और अभिग्रहण की कार्यवाही की गई और इस अवधि के दौरान अभियुक्त बेनकाब थे, अत: शिकायतकर्ता को अभियुक्तों के चेहरे देखने का पूरा अवसर प्राप्त था, अत: इस कार्यवाही के पश्चात् अभियुक्तों की शनाख्त परेड की कार्यवाही अर्थहीन हो जाती है । विद्वान् काउंसेल ने बी. आर. सिसोदिया (अभि. सा. 4) के साक्ष्य को निर्दिष्ट किया है जिसने अपने साक्ष्य के पैरा 21 में यह स्वीकार किया है कि गिरफ्तारी ज्ञापन प्रदर्श पी-31 और प्रदर्श पी-32 में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि अभियुक्तों को बापर्दा रखा गया था । तथापि, इस साक्षी ने पैरा 20 में दिए गए इस सुझाव से इनकार किया है कि तारीख 23 मई, 2007 अर्थात् गिरफ्तारी की तारीख से शनाख्त परेड कराए जाने तक अर्थात् तारीख 4 जुलाई, 2007 तक अभियुक्तों को बेनकाब रखा गया था ताकि उन्हें शनाख्त परेड के दौरान आसानी से पहचाना जा सके । साक्ष्य द्वारा इस सुझाव से इनकार किया गया है ।

22. यद्यपि विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि यह पूर्णतया स्पष्ट है कि अभियुक्तों को उनकी गिरफ्तारी की तारीख 23 मई, 2007 से उनकी शनाख्त परेड कराए जाने की तारीख 4 जुलाई, 2007 तक बापर्दा नहीं रखा गया था, फिर भी ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह दर्शित होता हो कि शिकायतकर्ता ने शनाख्त परेड की कार्यवाही के पूर्व अभियुक्तों को देख लिया था । गिरफ्तारी ज्ञापन और अभिग्रहण संबंधी दस्तावेज से यह पता नहीं चलता है कि शिकायतकर्ता भी एक साक्षी है । इसके अतिरिक्त यदि शिकायतकर्ता ने शनाख्त परेड की कार्यवाही के पूर्व दोनों अभियुक्तों को देख लिया था, तब वह मनीष और रितेश अर्थात् दोनों अभियुक्तों को पहचान सकता था, तथापि, स्थिति से यह पता

चलता है कि सचिन (अभि. सा. 4) ने अभियुक्त मनीष को तो पहचाना है परंतु रितेश को नहीं । इससे पूरी तरह यह दर्शित होता है कि इस संबंध में कोई संदेह नहीं किया जा सकता । इस प्रकार, प्रत्यक्षदर्शी साक्षी सचिन (अभि. सा. 4) के साक्ष्य अनधिकक्षेपनीय और उसका समर्थन शनाख्त परेड की कार्यवाही द्वारा किया गया है जो कि समुचित रूप से कराई गई है ।

शनाख्त परेड की कार्यवाही तारीख 4 जुलाई, 2007 को कराई गई थी जबकि यह घटना तारीख 20 मई, 2007 को घटित हुई थी । इस प्रकार, इन दोनों घटनाओं के बीच अधिक समयांतराल नहीं है । **जरपाला दीपाला** (उपरोक्त) वाले मामले में शनाख्त परेड ढाई वर्ष पश्चात् कराई गई थी । इस प्रकार अपीलार्थियों को विलंब के आधार पर कोई लाभ नहीं दिया जा सकता ।

23. जहां तक पारिस्थितिक साक्ष्य का संबंध है, श्री बी. आर. सिसोदिया (अभि. सा. 14) ने यह कथन किया है कि तारीख 20 मई, 2007 को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने के पश्चात् उसने तारीख 21 मई, 2007 को शव का निरीक्षण किया था और 23 मई, 2007 को अभियुक्तों से संबंधित गोपनीय सूचना प्राप्त होने पर उन्होंने तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था जिनसे बाद में पूछताछ की गई थी और इन अभियुक्तों ने अपराध कारित करने में प्रयोग किए गए आयुधों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई और इन अभियुक्तों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर उनके द्वारा दर्शाए गए स्थान से चाकू बरामद किए गए । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि दुर्गेश का प्रकटीकरण कथन प्रदर्श पी-24 है जिसके आधार पर 'सोमनाथ की जूनी छाल' के निकट पुलिया से चाकू बरामद कराया था । इस संबंध में अभिग्रहण ज्ञापन प्रदर्श पी-26 है । इसी स्थान से मोटरसाइकिल सं. एम पी 08 एल 2911 अभिगृहीत की गई । यह वही मोटरसाइकिल थी जिस पर बैठकर तीनों अभियुक्त घटनास्थल से फरार हुए थे और इसी प्रकार मनीष के प्रकटीकरण कथन (प्रदर्श पी-25) के आधार पर अम्बेडकर स्कवायर से एक चाकू बरामद किया गया जिसके संबंध में अभिग्रहण ज्ञापन पी-27 तैयार किया गया ।

24. अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि जहां से चाकू बरामद किए गए थे वह ऐसा खुला स्थान है जहां पर कोई भी आम आदमी पहुंच सकता है, अत: यह नहीं कहा जा सकता है कि इन चाकूओं को प्रकटीकरण के आधार पर बरामद किया गया है । अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने श्री बी. आर. सिसोदिया (अभि. सा. 14) के कथन के पैरा 22 को इंगित किया है जिसमें इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि अम्बेडकर गार्डन एक खुला स्थान है जहां कोई भी आसानी से पहुंच सकता है । इसके अतिरिक्त इस साक्षी ने पैरा 24 में यह कथन किया है कि 'सोमनाथ की जूनी छाल' एक बड़ा क्षेत्र है और पैरा 25 में इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि यह स्थान सभी के आने-जाने के लिए खुला है ।

25. इन दलीलों पर विचार किया गया है ।

26. यह पूर्णतया स्पष्ट है कि दोनों क्षेत्र अर्थात् 'अम्बेडकर गार्डन' और 'सोमनाथ की जूनी छाल' खुले क्षेत्र हैं जहां से कोई भी गुजर सकता है । यदि अभियुक्त पुलिस अधिकारी श्री बी. आर. सिसोदिया को किसी विशेष स्थान पर लेकर जा सकते थे जहां पर आयुध पड़ा हुआ पाया गया था, तब यह स्पष्ट हो जाता कि अभियुक्त को ही उस विशेष स्थान की जानकारी थी जहां पर आयुध पड़ा हुआ पाया गया था । प्रश्न यह है कि क्या ये आयुध अन्य लोगों को भी पड़े हुए दिखाई दे रहे थे या नहीं ? श्री बी. आर. सिसोदिया (अभि. सा. 14) के समक्ष ऐसा कोई सुझाव नहीं रखा गया है कि ये आयुध अन्य लोगों को भी आसानी से दिखाई दे रहे थे । **हिमाचल प्रदेश राज्य** बनाम **जीत सिंह**[1] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं है कि वह स्थान सभी के आने-जाने के लिए खुला हुआ था या नहीं बल्कि महत्वपूर्ण बात यह है कि बरामद की गई वस्तु अन्य लोगों के लिए दृश्यमान थी या नहीं ? यदि बरामद की गई वस्तु आसानी से किसी को दिखाई नहीं दे रही थी तब यह महत्वपूर्ण नहीं है कि वह स्थान सभी आने-जाने के लिए खुला हुआ था । इस प्रकार, यह पाया गया है कि

[1] (1999) 4 एस. सी. सी. 370.

अभियुक्त द्वारा दी गई सूचना के अनुसरण में अन्वेषण के दौरान आयुध बरामद किया गया है । बरामद किए गए आयुधों को डा. ए. के. लंझेवार (अभि. सा. 11) को भेज दिया गया जिन्होंने अपनी रिपोर्ट (प्रदर्श पी-33) में यह स्वीकार किया है कि इन आयुधों से क्षतियां कारित हो सकती हैं । निस्संदेह, अभियोजन पक्षकथन में खामी है क्योंकि इन आयुधों पर लगे हुए मानव रक्त के संबंध में न्यायालयिक प्रयोगशाला से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई है । यह दलील दी गई है कि श्री बी. आर. सिसोदिया (अभि. सा. 14) जिन्होंने अन्वेषण किया है, ने इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि आयुधों को न्यायालियक प्रयोगशाला क्यों नहीं भेजा गया था । इससे अन्वेषण अधिकारी द्वारा अन्वेषण में बरती गई लापरवाही दिखाई देती है । तथापि, प्रत्यक्षदर्शी साक्षी सचिन (अभि. सा. 4) और राजेश (अभि. सा. 5) का साक्ष्य जो अधिनियम, 1872 की धारा 8 के अधीन सुसंगत है, शनाख्त परेड की कार्यवाही (प्रदर्श पी-11) और अभियुक्तों द्वारा दिए गए प्रकटीकरण कथन के आधार पर की गई आयुधों की बरामदगी तथा डा. लंझेवार (अभि. सा. 11) द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट और अपीलार्थी दुर्गेश की निशानदेही पर उस मोटरसाइकिल की बरामदगी जिस पर सवार होकर वे घटनास्थल से फरार हुए थे । ऐसी परिस्थितियां हैं जिनसे साक्ष्य की श्रृंखला पूर्ण हो जाती है और उससे निश्चायक रूप से यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियुक्त दोषी हैं और ये परिस्थितियां उनके विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह के परे मामला साबित करने के लिए पर्याप्त हैं । इस प्रकार यह साबित हो गया है कि मृतक अनिल को अपीलार्थी दुर्गेश और मनीष द्वारा चाकू घोंपे गए हैं जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई है । तीसरे हमलावर की शनाख्त नहीं हुई है और इस प्रकार यह साबित हो गया है कि इन अभियुक्तों ने मृतक अनिल का मानव वध किया है ।

27. प्रश्न सं. 2 का भी सकारात्मक उत्तर दिया गया है ।

28. प्रश्न सं. 3 के संबंध में निम्न उल्लेख किया गया है :-

विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि यह लड़ाई अचानक हुई

थी और **जीत सिंह** (उपरोक्त) वाले मामले को दृष्टिगत करते हुए यह मामला बहुत से बहुत दंड संहिता की धारा 304, भाग II के अधीन माना जा सकता है और यह कि अभियुक्त-अपीलार्थियों को 10 वर्ष से अधिक कारावास से दंडादिष्ट नहीं किया जा सकता था और अपीलार्थियों ने पहले ही 12 वर्ष का कारावास भोग लिया है । इस प्रकार, उन्हें उन्मुक्त किया जाना चाहिए ।

29. विद्वान् काउंसेल ने **अतुल ठाकुर** बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले को अपनी दलील के समर्थन में प्रस्तुत करते हुए इस न्यायालय के समक्ष दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 के अधीन तर्क दिया है । दंड संहिता की धारा 300 का अपवाद 4 निम्न प्रकार निर्दिष्ट किया जा रहा है :-

> अपवाद 4 - आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है, यदि वह मानव वध अचानक झगड़ा जनित आवेश की तीव्रता में हुई अचानक लड़ाई में पूर्वचिंतन बिना और अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूरतापूर्ण या अप्रायिक रीति से कार्य किए बिना किया गया हो ।

30. सम्यक् रूप से विचार करने पर, यह पाया गया है कि अभियुक्त हथियारों से लैस होकर मृतक अनिल से बदला लेने के लिए घटनास्थल पर पहुंचे थे और अभियुक्तों को यह आपत्ति थी कि मृतक अनिल उनके आदमियों को धमकी देता है । मृतक अनिल को घसीटकर अलग ऐसे स्थान पर लाया गया जहां पर अंधकार था । इससे अभियुक्तों का आशय दर्शित होता है कि अनिल पर ऐसी जगह हमला किया जाए जहां कोई भी व्यक्ति इस घटना को देख न सके । ऐसी परिस्थितियों में यह नहीं कहा जा सकता है कि अपराध कारित करने के लिए पूर्वचिंतन नहीं किया गया था । अचानक लड़ाई के लिए यह आवश्यक है कि दोनों पक्षकार एक-दूसरे पर हमला करें जो कि इस

---

[1] 2018 क्रिमिनल ला रिपोर्ट (एस. सी.) 152 = ए. आई. आर. 2018 एस. सी. 570.

मामले में नहीं पाया गया है, अत: अभियुक्त-अपीलार्थियों को दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 का लाभ नहीं दिया जा सकता ।

31. डा. लंझेवार (अभि. सा. 11) ने यह निष्कर्ष निकाला है कि मृतक को कारित क्षतियां प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हैं और इससे दंड संहिता की धारा 300 का तीसरा भाग लागू होता है और ये क्षतियां मृतक अनिल के नाजुक अंगों पर कारित की गई हैं और उसे चाकू से घोंपकर कई क्षतियां कारित की गई हैं जिनसे स्पष्ट रूप से हत्या कारित किए जाने का आशय स्पष्ट होता है । इस प्रकार, अपीलार्थियों को विचारण न्यायालय द्वारा दंड संहिता की धारा 302 के अधीन ठीक ही दोषसिद्ध किया गया है । इस प्रकार दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन दोषसिद्धि की पुष्टि की जाती है ।

32. दी गई परिस्थितियों और प्रस्तुत किए गए साक्ष्य को दृष्टिगत करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थियों को अधिरोपित दंडादेश को अनुचित नहीं कहा जा सकता है । इस प्रकार दंड की मात्रा की भी पुष्टि की जाती है । परिणामत: यह दांडिक अपील खारिज की जाती है । इस निर्णय की एक प्रति मामले के मूल अभिलेख के साथ विचारण न्यायालय को भेजी जाए ।

अपील खारिज की गई ।

अस.

महिन्द्र शंकर उर्फ **बिश्वकर्मा**

बनाम

सिक्किम राज्य

(2018 की दांडिक अपील सं. 26)

तारीख 8 नवंबर, 2019

मुख्य न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी और न्यायमूर्ति भास्कर राज प्रधान

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 376(2) (वर्ष 2013 के संशोधन के पश्चात्) [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – बलात्संग – अपीलार्थी द्वारा शारीरिक रूप से असशक्त महिला (आयु 51 वर्ष) के साथ बलात्संग किए जाने का अभिकथन – रक्त, वीर्य और अन्य शारीरिक पदार्थ की पुष्टि न होना – चिकित्सीय साक्ष्य से आहत द्वारा बताई गई क्षतियों की पुष्टि न होना – प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का साक्ष्य संदिग्ध पाया जाना – आहत के शरीर से लिए गए नमूने से रक्त, वीर्य या अन्य किसी शारीरिक पदार्थ का पता नहीं लगाया जा सका, साथ ही आहत की चिकित्सा रिपोर्ट से यह साबित होता है कि उसके जननांग पर कोई भी बाह्य क्षति कारित नहीं हुई है, अत: आहत के कथन की संपुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से नहीं होती है, इसलिए अपीलार्थी की दोषसिद्धि न्यायोचित नहीं है ।

प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श-1) तारीख 20 अगस्त, 2016 को अपराह्न 3.30 बजे पुलिस थाना पाक्योंग में वार्ड-पंचायत की 'क' नाम की एक सदस्या (जिसका वास्तविक नाम गुप्त रखा गया है) द्वारा दर्ज कराई गई जिसमें यह कथन किया गया कि उसे 'य' नाम के एक व्यक्ति (जिसका वास्तविक नाम गुप्त रखा गया है) द्वारा पूर्वाह्न लगभग 10 बजे टेलीफोन पर सूचना प्राप्त हुई कि पिछली रात्रि अपराह्न लगभग 7 बजे अपीलार्थी द्वारा 'ग' नाम की महिला (जिसका वास्तविक नाम गुप्त रखा गया है) के साथ उसी के निवास स्थान पर बलात्संग

किया गया है । सूचना प्राप्त होने पर पुलिस थाना पाक्योंग में दंड संहिता की धारा 376 के अधीन मामला सं. 18/2016 दर्ज कराया गया । तत्पश्चात्, अन्वेषण पूरा होने पर तारीख 5 जनवरी, 2017 को दंड संहिता की धारा 376 के अधीन आरोप पत्र सं. 13 प्रस्तुत की गई । मामला विशिष्ट रूप से सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के कारण, विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पूर्वी गंगटोक के तारीख 13 जनवरी, 2017 के आदेशानुसार विद्वान् सेशन न्यायाधीश, पूर्वी सिक्किम, गंगटोक को सुपुर्द कर दिया गया जिन्होंने उस मामले को 'त्वरित न्यायालय पूर्वी और उत्तरी सिक्किम' के लिए स्थानांतरित कर दिया और इस न्यायालय में सेशन विचारण मामला संख्या 2/2017 के रूप में दर्ज किया गया । पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों को सुनने के पश्चात् विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने अपीलार्थियों के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 376(2)(ञ), 376(2)(1) तथा 451 के अधीन आरोप विरचित किए । अपीलार्थी को समझ आने वाली उसकी अपनी नेपाली भाषा में आरोप पढ़कर सुनाए और समझाए गए, अपीलार्थी ने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने की मांग की । विद्वान् सेशन न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय, पूर्वी और उत्तरी सिक्किम, गंगटोक द्वारा क्रमश: पारित दोषसिद्धि के उस निर्णय और दंडादेश के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 376(2)(जे), 376(2)(1) और 451 के अधीन दोषसिद्ध किया गया है और दंड संहिता की धारा 376(2)(जे) के अधीन 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 3,000/- रुपए के जुर्माने से जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर अतिरिक्त तीन मास के साधारण कारावास से दंडादिष्ट किया गया ; और दंड संहिता की धारा 376(2)(1) के अधीन अपराध के लिए 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 3,000/- रुपए के जुर्माने से जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर अतिरिक्त तीन मास के साधारण कारावास से दंडादिष्ट किया गया ; और दंड संहिता की धारा 451 के अधीन अपराध के लिए एक वर्ष के साधारण कारावास और 1,000/- रुपए के जुर्माने से जिसका व्यतिक्रम किए जाने

पर अतिरिक्त एक मास के साधारण कारावास से दंडादिष्ट किया गया । इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की । अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभि. सा. 7 के साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि आहत की योनि से कांच की छोटी सी नली में ली गई योनिक धोवन अर्थात् बायो 232ए (तात्विक वस्तु-III) से रक्त, वीर्य या मानव शरीर से निकले अन्य किसी पदार्थ का पता नहीं लगाया जा सका । इस साक्षी के साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि आहत का रक्त ग्रुप 'ए-पाजिटिव' है । अपीलार्थी के अभिकथित हरे रंग के बाक्सर (तात्विक वस्तु-IV) पर, जिस पर काली और सफेद पट्टियां हैं, पाए गए रक्त का ग्रुप 'एबी' पता चला है । आहत की नीले और बैंगनी रंग की लुंगी (तात्विक वस्तु-1) पर से प्रयोगशाला में लिए गए नमूने बायो 232सी में 'ए-ग्रुप' वाला मानव रक्त पाया गया है । उपरोक्त से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रयोगशाला में किए गए परीक्षण से अभियोजन पक्षकथन प्रबलित नहीं होता है । तारीख 20 अगस्त, 2016 को अपराह्न लगभग 7.12 बजे अर्थात् इस घटना के लगभग 2 दिन बाद अभि. सा. 5 द्वारा अभि. सा. 1 से पूछताछ की गई थी । अभि. सा. 5 ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि जननांग के निकट कोई भी क्षति नहीं पाई गई है और न ही उसकी योनि से किसी प्रकार का ताजा रक्त निकल रहा था । इस साक्षी ने आहत की चिकित्सा रिपोर्ट (प्रदर्श-2) साबित की है जिससे यह उपदर्शित होता है कि आहत के शरीर पर कोई भी बाह्य क्षति नहीं पाई गई है । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह कथन किया है कि जननांग के निकट क्षति कारित किए जाने की संभावना हो सकती है यदि हाल ही में बलपूर्वक मैथुन किया गया हो । यह दोहराना महत्वपूर्ण होगा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन आहत ने अपने कथन में यह उल्लेख किया है कि उसके सिर में क्षति कारित हुई थी और उसके पेट पर भी दांत से काटा गया था । चिकित्सीय साक्ष्य से उपरोक्त प्रकथन पूरी तरह अविश्वसनीय साबित होता है । वर्तमान मामले में, न तो आहत और न ही उसके परिवार के सदस्यों ने प्रथम

इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई है । निःसंदेह, अभि. सा. 1 ने यह कथन किया है कि अपीलार्थी ने उसके साथ बलात्संग किया है । तथापि, ऊपर चर्चा किए गए साक्ष्य से संबंधित सम्पूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों को दृष्टिगत करने पर हमारी यह सुविचारित राय है कि अभियोजन पक्ष अपीलार्थी का दोष संदेह के परे साबित करने में असफल रहा है । न्यायालय की यह राय है कि अपीलार्थी संदेह का लाभ पाने का हकदार है । (पैरा 23, 29 और 35)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[1990]	(1990) 1 एस. सी. सी. 550 = ए. आई. आर. 1990 एस. सी. 658 : **महाराष्ट्र राज्य** बनाम **चन्द्रप्रकाश केवलचन्द जैन ।**	10, 34

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2018 की दांडिक अपील सं. 26.

2017 के सेशन विचारण मामला सं. 2 में तारीख 11 जुलाई, 2018 और तारीख 12 जुलाई, 2018 को विद्वान् सेशन न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय, पूर्वी और उत्तरी सिक्किम, गंगटोक द्वारा क्रमशः पारित दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सुश्री गीता बिस्ता

प्रत्यर्थी की ओर से श्री एस. के. चेत्री (सहायक लोक अभियोजक)

न्यायालय का निर्णय मुख्य न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी ने दिया ।

मुख्य न्या. गोस्वामी – विद्वान् विधिक सेवा काउंसेल सुश्री गीता बिस्ता और विद्वान् सहायक लोक अभियोजक श्री एस. के. चेत्री की सुनवाई की गई है ।

2. यह अपील 2017 के सेशन विचारण मामला सं. 2 में तारीख 11 जुलाई, 2018 और तारीख 12 जुलाई, 2018 को विद्वान् सेशन न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय, पूर्वी और उत्तरी सिक्किम, गंगटोक द्वारा क्रमश: पारित दोषसिद्धि के उस निर्णय और दंडादेश के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 376(2)(जे), 376(2)(1) और 451 के अधीन दोषसिद्ध किया गया है और दंड संहिता की धारा 376(2)(जे) के अधीन 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 3,000/- रुपए के जुर्माने से जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर अतिरिक्त तीन मास के साधारण कारावास से दंडादिष्ट किया गया ; और दंड संहिता की धारा 376(2)(1) के अधीन अपराध के लिए 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 3,000/- रुपए के जुर्माने से जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर अतिरिक्त तीन मास के साधारण कारावास से दंडादिष्ट किया गया ; और दंड संहिता की धारा 451 के अधीन अपराध के लिए एक वर्ष के साधारण कारावास और 1,000/- रुपए के जुर्माने से जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर अतिरिक्त एक मास के साधारण कारावास से दंडादिष्ट किया गया । सभी दंडादेशों को साथ-साथ चलाने का आदेश किया गया ।

3. प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श-1) तारीख 20 अगस्त, 2016 को अपराह्न 3.30 बजे पुलिस थाना पाक्योंग में वार्ड पंचायत की 'क' नाम की एक सदस्या (जिसका वास्तविक नाम गुप्त रखा गया है) द्वारा दर्ज कराई गई जिसमें यह कथन किया गया कि उसे 'य' नाम के एक व्यक्ति (जिसका वास्तविक नाम गुप्त रखा गया है) द्वारा पूर्वाह्न लगभग 10 बजे टेलीफोन पर सूचना प्राप्त हुई कि पिछली रात्रि अपराह्न लगभग 7 बजे अपीलार्थी द्वारा 'ग' नाम की महिला (जिसका वास्तविक नाम गुप्त रखा गया है) के साथ उसी के निवास स्थान पर बलात्संग किया गया है ।

4. सूचना प्राप्त होने पर पुलिस थाना पाक्योंग में दंड संहिता की धारा 376 के अधीन मामला सं. 18/2016 दर्ज कराया गया ।

तत्पश्चात्, अन्वेषण पूरा होने पर तारीख 5 जनवरी, 2017 को दंड संहिता की धारा 376 के अधीन आरोप पत्र सं. 13 प्रस्तुत की गई ।

5. मामला विशिष्ट रूप से सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के कारण, विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पूर्वी गंगटोक के तारीख 13 जनवरी, 2017 के आदेशानुसार विद्वान् सेशन न्यायाधीश, पूर्वी सिक्किम, गंगटोक को सुपुर्द कर दिया गया जिन्होंने उस मामले को 'त्वरित न्यायालय पूर्वी और उत्तरी सिक्किम' के लिए स्थानांतरित कर दिया और इस न्यायालय में सेशन विचारण मामला संख्या 2/2017 के रूप में दर्ज किया गया ।

6. पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों को सुनने के पश्चात् विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने अपीलार्थियों के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 376(2)(ञ), 376(2)(1) तथा 451 के अधीन आरोप विरचित किए । अपीलार्थी को समझ आने वाली उसकी अपनी नेपाली भाषा में आरोप पढ़कर सुनाए और समझाए गए, अपीलार्थी ने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने की मांग की ।

7. विचारण के दौरान, अभियोजन पक्ष ने 17 साक्षियों की परीक्षा कराई । प्रतिरक्षा पक्ष ने कोई भी साक्षी प्रस्तुत नहीं किया । अपीलार्थी का कथन दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन अभिलिखित किया गया जिसमें अपीलार्थी द्वारा केवल इनकार किया गया है ।

8. आहत की परीक्षा अभि. सा. 1 के रूप में कराई गई है । इत्तिलाकर्ता की परीक्षा अभि. सा. 2 के रूप में कराई गई है । आहत के पति और पुत्र की परीक्षा क्रमशः अभि. सा. 8 और अभि. सा. 9 के रूप में कराई गई है । अभि. सा. 'य' जिसने अभि. सा. 2 को सूचना दी थी, की परीक्षा अभि. सा. 11 के रूप में कराई गई है । अभि. सा. 5 वह चिकित्सक है जिसने तारीख 20 अगस्त, 2016 को आहत की चिकित्सा परीक्षा की थी और अभि. सा. 6 वह चिकित्सक है जिसने तारीख 22 अगस्त, 2016 को अपीलार्थी की चिकित्सा परीक्षा की । अभि. सा. 14 वह चिकित्सा अधिकारी है जिसने तारीख 20 अगस्त, 2016 को

अपीलार्थी की चिकित्सा परीक्षा की थी । अभि. सा. 4 एक बाल साक्षी है जिसकी आयु लगभग 13 वर्ष है और अभि. सा. 3 इस बालक की माता है जो प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है । अभि. सा. 7 क्षेत्रीय न्यायालयिक प्रयोगशाला, सरमसा में एक वैज्ञानिक (अधिकारी) है । अभि. सा. 10 वह साक्षी है जिसने घटनास्थल का कच्चा नक्शा (प्रदर्श-6) और अपीलार्थी की पेंट (बाक्सर) का अभिग्रहण ज्ञापन (प्रदर्श-7) तैयार किया है । अभि. सा. 12 न्यायिक अधिकारी है जिसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन आहत का कथन (प्रदर्श-11) अभिलिखित किया है । अभि. सा. 13 पाक्योंग पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी है जिसने मामला सं. 18/2016 दर्ज किया है । अभि. सा. 15 आहत का पड़ोसी है जो घटना के तत्काल पश्चात् अभि. सा. 3 से मिला था । अभि. सा. 16 आहत द्वारा पहनी गई लुंगी (तात्विक वस्तु 1) और अपीलार्थी की बाक्सर-पेंट के अभिग्रहण का साक्षी है । अभि. सा. 17 इस मामले का अन्वेषण अधिकारी है ।

9. सुश्री बिस्ता ने यह दलील दी है कि अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिसके आधार पर यह अभिनिर्धारित किया जा सके कि अपीलार्थी ने अभिकथित अपराध कारित किया है और अभियोजन पक्ष अपीलार्थी का दोष संदेह के परे साबित करने में असफल रहा है । विद्वान् काउंसेल ने यह भी प्रतिवाद किया है कि यदि थोड़ी देर के लिए यह मान लिया जाए कि अपीलार्थी ने अभि. सा. 1 के साथ मैथुन किया था, तब मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को दृष्टिगत करते हुए इसे बलात्संग नहीं कहा जा सकता बल्कि यह सहमति से किया गया कार्य है ।

10. इसके प्रतिकूल राज्य की ओर से विद्वान् सहायक लोक अभियोजक श्री एस. के. चेत्री ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया है और **महाराष्ट्र राज्य** बनाम **चन्द्रप्रकाश केवलचन्द जैन**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के पैरा 16 को निर्दिष्ट किया है ।

---

[1] (1990) 1 एस. सी. सी. 550 = ए. आई. आर. 1990 एस. सी. 658.

11. हमने पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों द्वारा दी गई दलीलों और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य और सामग्री का परिशीलन किया है ।

12. आहत (अभि. सा. 1) आंशिक रूप से मूक और बधिर है जिसकी आयु उस समय लगभग 51 वर्ष थी जब इस साक्षी ने अप्रैल, 2017 में अपना कथन दिया था । विद्वान् विचारण न्यायालय ने यह अभिलिखित किया है कि अभि. सा. 1 आंशिक रूप से बोलने और सुनने में अशक्त थी किन्तु वह शब्दों और हाव-भाव द्वारा संसूचित करने में सक्षम थी । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि घटना के दिन वह घर पर अकेली थी क्योंकि उसका पति (अभि. सा. 8) बुखार से पीड़ित होने के कारण अस्पताल में था । अपीलार्थी उसके घर आया और उसने उसके पति के बारे में पूछा । साक्षी द्वारा यह बताए जाने पर कि उसका पति अस्पताल गया हुआ है, अपीलार्थी ने बलपूर्वक उसके हाथ पकड़ लिए और उसके साथ बलात्संग किया । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि जब अपीलार्थी ने उसके हाथ पकड़ रखे थे तब उसने उसके हाथ में दांत से काटा था । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि उसने इस घटना के बारे में अपने पति को भी बताया था ।

13. आहत ने अपनी प्रतिपरीक्षा तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन दिए गए कथन में अपीलार्थी के हाथों में दांत से काटने का उल्लेख किया है । उसने अपने कथन में यह भी उल्लेख किया है कि अपीलार्थी ने भी उसके पेट पर दांत से काटा था और जब अपीलार्थी ने उसे धक्का दिया था तब उसके सिर में क्षति कारित हुई थी । आहत ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन किया है कि अपीलार्थी पूरी तरह शराब के नशे में था और खड़े रहने की स्थिति में नहीं था और इसलिए आहत ने अपनी सहायता के लिए शोर नहीं किया ।

14. आहत (अभि. सा. 1) का अभिसाक्ष्य अभिलिखित करते समय विद्वान् विचारण न्यायालय ने यह देखा कि उसने अपने हाथों द्वारा इशारा करके दर्शाया कि अपीलार्थी ने उसके साथ किस प्रकार कृत्य किया है ।

15. अभि. सा. 14 के साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि जब तारीख

20 अगस्त, 2016 को अपराह्न लगभग 6 बजे अपीलार्थी की चिकित्सा परीक्षा कराई गई तब वह शराब के नशे में पाया गया और उसके मुंह से शराब की गंध भी आ रही थी ।

16. इत्तिलाकर्ता अर्थात् अभि. सा. 2 के साक्ष्य से यह पता चलता है कि उसे इस घटना के बारे में अभि. सा. 11 से फोन द्वारा पता चला था । इस घटना की जानकारी प्राप्त करने पर उसने अभि. सा. 11 को बुलाया और माता और पुत्री जिन्होंने यह घटना देखी है, के बताए जाने पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई गई है । इस साक्षी के साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट शिवजी गुप्ता द्वारा लिखी गई है जिसकी परीक्षा नहीं कराई गई है । अभि. सा. 2 ने यह पूर्णतया स्पष्ट किया है कि उसे माता और पुत्री अर्थात् दोनों ही साक्षियों के नाम मालूम नहीं हैं ।

17. अभि. सा. 3 के साक्ष्य पर विचार करने के पूर्व अभि. सा. 4 के साक्ष्य पर विचार करना समुचित होगा । अभि. सा. 4 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन किया है कि वह आहत के घर गई थी और जब वह उसके घर पहुंची तब उसने अपीलार्थी को रसोई में देखा जो आहत को बिस्तर की ओर ले जा रहा था जो रसोई में ही था । यद्यपि आहत चीख रही थी, फिर भी वह यह नहीं समझ सकी कि आहत क्या कह रही है और यह सब देखकर वह अभि. सा. 4 के निकट आई और उसने अभि. सा. 4 को इस घटना के बारे में बताया । अभि. सा. 3 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह कथन किया है कि अंधेरा होने के कारण आहत के मकान में मिट्टी के तेल का लेम्प जल रहा था । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि वह आहत के घर किसी विशेष कारण से नहीं गई थी ।

18. अभि. सा. 4 की माता अर्थात् अभि. सा. 3 ने यह कथन किया है कि उसके मकान से अगला मकान अभि. सा. 1 का है । इस साक्षी के साक्ष्य से अभि. सा. 4 द्वारा दिए गए कथन की पुष्टि इस संबंध में होती है कि अभि. सा. 4 ने उसे यह बताया था कि उसने अपीलार्थी को, आहत को धक्का देते हुए देखा था । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि आवाज सुनकर वह आहत के घर की ओर दौड़ी और

उसने अपीलार्थी को रसोई में आहत के साथ बलात्संग करते हुए देखा और जब अपीलार्थी ने इस साक्षी को देखा तो वह अपनी पेंट ऊपर चढ़ाता हुआ भाग गया । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि आहत के चीखने की आवाज कमल की पत्नी द्वारा भी सुनी गई थी और उसने इस साक्षी को घटना के बारे में बताया था ।

19. कमल की पत्नी की परीक्षा अभि. सा. 15 के रूप में कराई गई है जिसे अभि. सा. 3 द्वारा निर्दिष्ट किया गया है । अभि. सा. 15 ने यह कथन किया है कि वह आहत की पड़ोसी है और आहत के घर से चीख-पुकार की आवाज सुनकर वह देखने गई कि क्या हुआ है । इस साक्षी ने अभि. सा. 3 को बोलते हुए सुना जो कह रही थी 'महेन्द्र' 'महेन्द्र' (अपीलार्थी) और अभि. सा. 3 ने उसे बताया कि अपीलार्थी जंगल की ओर चला गया है । इस साक्षी के अभिसाक्ष्य से यह स्पष्ट हुआ है कि वह अभि. सा. 3 और अन्य व्यक्तियों के साथ अपीलार्थी के चाचा के घर गई थी और उन्हें बताया कि अपीलार्थी ने दुष्कर्म किया है ।

20. अभि. सा. 11 ने यह कथन किया है कि ग्राम की एक महिला ने उसे यह बताया कि अपीलार्थी ने आहत के साथ बलात्संग किया है और इसलिए उसने आहत से इस घटना के बारे में मालूम किया था और आहत ने अपने हाथों से इशारा करके वार्ड-पंचायत को इसके बारे में बताया । वह महिला कौन है जिससे उसे सूचना प्राप्त हुई थी, इस साक्षी की मुख्य परीक्षा से स्पष्ट नहीं हुआ है । तथापि, इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा से प्रतीत होता है कि उसे जनुका शंकर नाम के एक व्यक्ति द्वारा इस घटना के बारे में पता चला था जो आहत का गृह-स्वामी (मकान मालिक) है ।

21. अभि. सा. 10 ने तात्विक वस्तु-4 के अभिग्रहण की पुष्टि की है और कच्चे नक्शे (प्रदर्श-6) पर किए गए अपने हस्ताक्षरों की शनाख्त की है । अभि. सा. 16 के साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि आहत की लुंगी उसकी मौजूदगी में प्रदर्श-8 के रूप में अभिगृहीत की गई है । अपनी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने यह कथन किया है कि उसने एक या

दो दिन के पश्चात् पुलिस थाने में अन्य दस्तावेज पर भी हस्ताक्षर किए थे । इस साक्षी ने प्रदर्श-7 पर अपने हस्ताक्षर साबित किए हैं जिसके अनुसार तात्विक वस्तु-4 को अभिगृहीत किया गया है । यह प्रतीत होता है कि इस साक्षी की मौजूदगी में बाक्सर-पेंट अभिगृहीत नहीं की गई है ।

22. प्रदर्श-6 से यह दर्शित होता है कि आहत और अभि. सा. 3 के घरों के बीच की दूरी लगभग 300 फुट है । अभि. सा. 15 के मकान का उल्लेख प्रदर्श-6 में नहीं किया गया है ।

23. अभि. सा. 7 के साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि आहत की योनि से कांच की छोटी सी नली में ली गई योनिक धोवन अर्थात् बायो 232ए (तात्विक वस्तु-III) से रक्त, वीर्य या मानव शरीर से निकले अन्य किसी पदार्थ का पता नहीं लगाया जा सका । इस साक्षी के साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि आहत का रक्त ग्रुप 'ए-पाजिटिव' है । अपीलार्थी के अभिकथित हरे रंग के बाक्सर (तात्विक वस्तु-IV) पर, जिस पर काली और सफेद पट्टियां हैं, पाए गए रक्त का ग्रुप 'एबी' पता चला है । आहत की नीले और बैंगनी रंग की लुंगी (तात्विक वस्तु-1) पर से प्रयोगशाला में लिए गए नमूने बायो 232सी में 'ए-ग्रुप' वाला मानव रक्त पाया गया है । उपरोक्त से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रयोगशाला में किए गए परीक्षण से अभियोजन पक्षकथन प्रबलित नहीं होता है ।

24. यह उल्लेख करना सुसंगत होगा कि इस संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है कि अपीलार्थी घटना के समय बाक्सर-पेंट (तात्विक वस्तु-IV) पहने हुए था । आहत ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन दिए गए अपने कथन में यह बताया है कि वह साड़ी पहने हुए थी । यह बात समझ नहीं आती है कि जो वस्त्र अभिगृहीत किया गया है वह लुंगी क्यों है जो कि साड़ी से पूर्णतया भिन्न है ।

25. अभि. सा. 8 की आयु नवम्बर, 2017 में कथन दिए जाने के समय लगभग 81 वर्ष थी जिसने यह बताया है कि उसके पुत्र अभि. सा. 9 ने उसे अपनी पत्नी के साथ किए गए बलात्संग के संबंध में जानकारी दी थी ।

26. अभि. सा. 9 की आयु लगभग 43 वर्ष है और इस साक्षी ने यह कथन किया है कि वह अपने पिता (अभि. सा. 8) के साथ अस्पताल गया था और जब वह प्रातःकाल वापस आया तब उसके सह-ग्रामवासी हीरा लाल शंकर ने उसे आहत, जो उसकी सौतेली माता है, के साथ किए गए बलात्संग के बारे में बताया ।

27. अभि. सा. 17 के साक्ष्य में अभि. सा. 16 के साक्ष्य का कुछ भाग गलत प्रतिबिम्बित होता है । इस साक्षी के साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि वर्ष 2001 में अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 304, भाग-II के अधीन दो अन्य अभियुक्तों के साथ दोषसिद्ध किया गया था और उसने दस्तावेज-बी के रूप में न्यायालय से जारी निपटारा-फार्म भी प्रस्तुत किया है ।

28. अभि. सा. 1, अभि. सा. 8 और अभि. सा. 9 के साक्ष्य पर विचार करने से यह दर्शित होता है कि अभि. सा. 1 के प्रकथन से इस संबंध में कोई संपुष्टि नहीं होती है कि उसने अपीलार्थी द्वारा किए गए बलात्संग के संबंध में अभि. सा. 8 को बताया था । जबकि अभि. सा. 8 ने यह कथन किया है कि उसे इस घटना के बारे में उसके पुत्र (अभि. सा. 9) से पता चला था । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह स्वीकार किया है कि उसने पुलिस को यह नहीं बताया था कि उसे इस घटना के बारे में हीरा लाल शंकर से जानकारी मिली थी । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि उसने पुलिस को यह नहीं बताया था कि उसने अभि. सा. 8 को इस घटना के संबंध में सूचित किया था । यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अभि. सा. 8 या अभि. सा. 9 को इस घटना की जानकारी किस प्रकार हुई । अभियोजन पक्ष ने हीरा लाल शंकर की भी परीक्षा नहीं कराई है ।

29. तारीख 20 अगस्त, 2016 को अपराह्न लगभग 7.12 बजे अर्थात् इस घटना के लगभग 2 दिन बाद अभि. सा. 5 द्वारा अभि. सा. 1 से पूछताछ की गई थी । अभि. सा. 5 ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि जननांग के निकट कोई भी क्षति नहीं पाई गई है और न ही उसकी योनि से किसी प्रकार का ताजा रक्त निकल रहा था । इस साक्षी ने

आहत की चिकित्सा रिपोर्ट (प्रदर्श-2) साबित की है जिससे यह उपदर्शित होता है कि आहत के शरीर पर कोई भी बाह्य क्षति नहीं पाई गई है । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह कथन किया है कि जननांग के निकट क्षति कारित किए जाने की संभावना हो सकती है यदि हाल ही में बलपूर्वक मैथुन किया गया हो । यह दोहराना महत्वपूर्ण होगा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन आहत ने अपने कथन में यह उल्लेख किया है कि उसके सिर में क्षति कारित हुई थी और उसके पेट पर भी दांत से काटा गया था । चिकित्सीय साक्ष्य से उपरोक्त प्रकथन पूरी तरह अविश्वसनीय साबित होता है ।

30. तारीख 21 अगस्त, 2016 को अपीलार्थी की चिकित्सा परीक्षा करने वाले चिकित्सक (अभि. सा. 6) ने चिकित्सा रिपोर्ट (प्रदर्श-3) साबित की है जिससे यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी के शरीर पर कोई भी क्षति नहीं पाई गई थी यद्यपि अभि. सा. 1 ने यह कथन किया है कि उसने अपीलार्थी के हाथ में दांत से काटा था ।

31. अभि. सा. 3 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि उसने पुलिस को यह नहीं बताया था कि वह सहायता के लिए चिल्लाई थी । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि चूंकि कमरे का दरवाजा खुला हुआ था इसलिए वह घटना देख सकी थी । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि मैथुन के दौरान आहत ने चीख-पुकार नहीं की थी । इस साक्षी ने यह भी उल्लेख किया है कि उसने किसी भी व्यक्ति को इस घटना के बारे में नहीं बताया था । अभि. सा. 15 के साक्ष्य से यह भी उपदर्शित होता है कि अभि. सा. 3 ने उसे यह नहीं बताया था कि उसने अपीलार्थी को किसी भी तरह बलात्संग कारित करते हुए देखा था जैसा कि अभि. सा. 3 द्वारा अभिसाक्ष्य दिया गया है । यह उल्लेखनीय है कि अभि. सा. 3 के साक्ष्य के निबंधनों में अभि. सा. 15 वह पहली साक्षी है जिससे उसकी मुलाकात हुई थी । यह स्वीकार करना कठिन होगा कि यदि अभि. सा. 3 ने बलात्संग होते देखा होता तो वह इसके बारे में अभि. सा. 15 को न बताती जिससे अभि. सा. 3 की मुलाकात अभिकथित घटना के लगभग तत्काल पश्चात् ही हो गई थी । यह

उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है कि अपीलार्थी के चाचा को बलात्संग के बारे में नहीं बताया गया था बल्कि अपीलार्थी द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने के संबंध में ही जानकारी दी गई थी । इन परिस्थितियों में हमारे लिए अभि. सा. 3 के परिसाक्ष्य को स्वीकार करना कठिन होगा कि उसने अपीलार्थी द्वारा कारित किए गए बलात्संग की घटना को देखा है ।

32. जनुका शंकर ने अभि. सा. 11 से इस घटना के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और इस साक्षी की परीक्षा भी अभियोजन पक्ष द्वारा नहीं कराई गई है । अभि. सा. 1 के साक्ष्य से यह उपदर्शित नहीं होता है कि उसने इस घटना के बारे में अभि. सा. 11 को बताया था । अभि. सा. 11 ने यह भी नहीं कहा है कि उसने अभि. सा. 2 को सूचित करने से पहले कभी अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 से घटना के संबंध में बात की थी । अभि. सा. 3 ने यह भी नहीं कहा है कि उसने अभि. सा. 11 को घटना के बारे में बताया था ।

33. अभि. सा. 13 ने, जिसने पुलिस मामला दर्ज कराया था, अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह कथन किया है कि आहत अभि. सा. 2 के साथ प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने आई थी । यह उल्लेखनीय है कि अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 ने अपने साक्ष्य में यह प्रकट नहीं किया है कि अभि. सा. 1, अभि. सा. 2 के साथ पुलिस थाने आई थी ।

34. **चन्द्रप्रकाश केवलचन्द जैन** (उपरोक्त) वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिकथित किया है कि लैंगिक अपराध के संबंध में अभियोक्त्री को सह-अपराधी के समतुल्य नहीं माना जा सकता । यदि कोई अभियोक्त्री वयस्क होने के नाते पूरी समझ-बूझ रखती है, तब न्यायालय उसके साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि अभिनिर्धारित कर सकता है परन्तु ऐसा तब हो सकता है जब अभियोक्त्री का साक्ष्य शिथिल और अविश्वसनीय न हो । यदि अभिलेख पर उपलब्ध परिस्थितियों की सम्पूर्णता से यह प्रकट होता है कि अभियोक्त्री का हेतु आरोपित व्यक्ति को मिथ्या फंसाने का नहीं है, तब न्यायालय को उसके साक्ष्य को स्वीकार करते समय संकोच नहीं करना चाहिए ।

35. वर्तमान मामले में, न तो आहत और न ही उसके परिवार के सदस्यों ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई है । निःसंदेह, अभि. सा. 1 ने यह कथन किया है कि अपीलार्थी ने उसके साथ बलात्संग किया है । तथापि, ऊपर चर्चा किए गए साक्ष्य से संबंधित सम्पूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों को दृष्टिगत करने पर हमारी यह सुविचारित राय है कि अभियोजन पक्ष अपीलार्थी का दोष संदेह के परे साबित करने में असफल रहा है । हमारी यह राय है कि अपीलार्थी संदेह का लाभ पाने का हकदार है ।

36. मामले को इस प्रकार दृष्टिगत करते हुए, हम आक्षेपित निर्णय अपास्त करते हैं । परिणामतः, अपील मंजूर की जाती है । यदि अपीलार्थी अन्य किसी मामले में वांछित नहीं है तो उसे तत्काल उन्मुक्त किया जाए ।

37. निचले न्यायालय का अभिलेख वापस भेजा जाता है । इस निर्णय की एक प्रति विद्वान् विचारण न्यायालय को भेजी जाए ।

अपील मंजूर की गई ।

अस.

संसद् के अधिनियम

रेल संरक्षण बल अधिनियम, 1957

(1957 का अधिनियम संख्यांक 23)

[29 अगस्त, 1957]

[1][[2]रेल संपत्ति, यात्री क्षेत्र और यात्रियों] के बेहतर संरक्षण और सुरक्षा के लिए संघ के सशस्त्र बल का गठन और विनियमन करने का तथा उसे संबद्ध विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम]

भारत गणराज्य के आठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ – (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम रेल संरक्षण बल अधिनियम, 1957 है ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है ।

(3) यह उस तारीख[3] को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

---

[1] 2003 के अधिनियम सं. 52 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] 1985 के अधिनियम सं. 60 की धारा 2 द्वारा (20-9-1985 से) बृहत नाम के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] 10 सितंबर, 1959 देखिए अधिसूचना सं. 58-सुरक्षा/16/9, तारीख 10-9-1959, भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 1, पृष्ठ 291 ; 1962 के विनियम सं. 12 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा, उपांतरणों सहित, गोवा, दमण और दीव पर विस्तारित ; 1963 के विनियम सं. 7 की धारा 3 और अनुसूची 1 द्वारा 1-10-1963 को यह अधिनियम पांडिचेरी पर प्रवृत्त हुआ ।

1963 के अधिनियम सं. 6 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा (1-7-1965 से) दादरा और नागर हवेली पर विस्तारित और प्रवृत्त ।

2. परिभाषाएं – [1][(1)] इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) "बल" से धारा 3 के अधीन गठित रेल संरक्षण बल अभिप्रेत है ;

[2][(ख)] "महानिदेशक" से धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त बल का महानिदेशक अभिप्रेत है ;

(खक) "भर्ती किया गया बल-सदस्य" से बल का कोई अधीनस्थ अधिकारी, अवर अधिकारी या किसी अवर अधिकारी के रैंक से निम्नतर रैंक का कोई अन्य सदस्य अभिप्रेत है ;

(खख) "बल अभिरक्षा" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार किसी बल-सदस्य की गिरफ्तारी या उसका परिरोध अभिप्रेत है ;]

(ग) "बल-सदस्य" से इस अधिनियम के अधीन बल में नियुक्त किया [3]* * * व्यक्ति अभिप्रेत है ;

[4][(गक) "यात्री" का वही अर्थ होगा जो रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) में है ;

(गख) "यात्री क्षेत्र" में रेल प्लेटफार्म, रेलगाड़ी, यार्ड और ऐसा अन्य क्षेत्र, जहां बहुधा यात्री आते हैं, सम्मिलित होगा ;]

(घ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ङ) "रेल-संपत्ति" के अंतर्गत ऐसा कोई माल, धन या

---

[1] 1985 के अधिनियम सं. 60 की धारा 3 द्वारा (20-9-1985 से) उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित ।

[2] 1985 के अधिनियम सं. 60 की धारा 3 द्वारा (20-9-1985 से) खंड (ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] 1985 के अधिनियम सं. 60 की धारा 3 द्वारा (20-9-1985 से) कतिपय शब्दों का लोप किया गया ।

[4] 2003 के अधिनियम सं. 52 की धारा 3 द्वारा अन्तःस्थापित ।

मूल्यवान प्रतिभूति या जीव-जन्तु है जो या तो रेल प्रशासन का है या उसके प्रभार या कब्जे में है ;

[1][(डक) "अधीनस्थ अधिकारी" से निरीक्षक, उप-निरीक्षक, या सहायक उप-निरीक्षक के रूप में बल में नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;]

(च) "वरिष्ठ अधिकारी" से धारा 4 के अधीन नियुक्त किए गए अधिकारियों में से कोई अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत कोई अन्य ऐसा अधिकारी भी है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा बल के वरिष्ठ अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाए ;

[1][(चक) "अवर अधिकारी" से हैड कांस्टेबल या नायक के रूप में बल में नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;]

(छ) जो शब्द और पद इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं हैं और भारतीय रेल अधिनियम, 1890 (1890 का 9) में परिभाषित हैं, उनके क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम के अधीन दिए गए हैं ।

[1][(2) इस अधिनियम में ऐसी किसी विधि के प्रति, जो किसी क्षेत्र में प्रवृत्त नहीं है, किसी निर्देश का, उस क्षेत्र के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस क्षेत्र में प्रवृत्त किसी तत्स्थानी विधि के, यदि कोई हो, प्रति निर्देश है ।]

3. बल का गठन – (1) रेल संपत्ति के बेहतर संरक्षण और सुरक्षा के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा [2][संघ का एक सशस्त्र बल] गठित किया जाएगा और बनाए रखा जाएगा, जो रेल संरक्षण बल कहलाएगा ।

(2) वह बल उस रीति से गठित किया जाएगा, उसमें उतने [3][वरिष्ठ अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी, अवर अधिकारी और अन्य भर्ती

---

[1] 1985 के अधिनियम सं. 60 की धारा 3 द्वारा (20-9-1985 से) अन्तःस्थापित ।

[2] 1985 के अधिनियम सं. 60 की धारा 4 द्वारा (20-9-1985 से) "एक बल" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] 1985 के अधिनियम सं. 60 की धारा 4 द्वारा (20-9-1985 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

किए गए बल सदस्य] होंगे तथा उन्हें ऐसा वेतन और अन्य पारिश्रमिक मिलेगा, जो विहित किया जाए ।

4. वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति और शक्तियां – [1][(1) केंद्रीय सरकार किसी व्यक्ति को बल का महानिदेशक नियुक्त कर सकेगी और अन्य व्यक्तियों को बल का महानिरीक्षक, अपर महानिरीक्षक, उप-महानिरीक्षक, सहायक महानिरीक्षक, ज्येष्ठ कमांडेंट, कमांडेंट या सहायक कमांडेंट नियुक्त कर सकेगी ।]

(2) इस प्रकार नियुक्त किए [2][महानिदेशक] और प्रत्येक अन्य वरिष्ठ अधिकारी को अपने-अपने समादेशाधीन बल-सदस्यों के ऊपर ऐसी शक्तियां और ऐसे प्राधिकार प्राप्त होंगे और वे उनका प्रयोग करेंगे जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उपबंधित हों ।

5. [3][बल-सदस्यों की श्रेणियां और रैंक ।] – रेल संरक्षण बल (संशोधन) अधिनियम, 1985 (1985 का 60) की धारा 6 द्वारा (20-9-1985 से) लोप किया गया ।

[3][**6. बल-सदस्यों की नियुक्ति** – भर्ती किए गए बल-सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति महानिरीक्षक, अपर महानिरीक्षक या उप-महानिरीक्षक में निहित होगी, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार उस शक्ति का प्रयोग करेगा :

परंतु इस धारा के अधीन नियुक्ति करने की शक्ति का प्रयोग ऐसे अन्य वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा जिसे संबद्ध महानिरीक्षक, अपर महानिरीक्षक या उप-महानिरीक्षक आदेश द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे ।]

7. बल-सदस्यों को प्रमाणपत्र – (1) प्रत्येक बल-सदस्य को उसकी नियुक्ति पर अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रमाणपत्र मिलेगा जिस पर,

---

[1] 1985 के अधिनियम सं. 60 की धारा 5 द्वारा (20-9-1985 से) उपधारा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1985 के अधिनियम सं. 60 की धारा 5 द्वारा (20-9-1985 से) "महानिरीक्षक" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] 1985 के अधिनियम सं. 60 की धारा 6 द्वारा (20-9-1985 से) धारा 6 का लोप किया गया ।

[1][महानिरीक्षक, अपर महानिरीक्षक या उप-महानिरीक्षक] या अन्य ऐसे वरिष्ठ अधिकारी की मुद्रा होगी जिसे [1][महानिरीक्षक, अपर महानिरीक्षक या उप-महानिरीक्षक] इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे और ऐसा प्रमाणपत्र धारण करने वाले व्यक्ति में उसके आधार पर बल-सदस्य की शक्तियां निहित होंगी ।

(2) जब प्रमाणपत्र में नामित व्यक्ति किसी भी कारण से बल-सदस्य न रह जाए तो वह प्रमाणपत्र निष्प्रभाव हो जाएगा [2]***।

[3][**8. बल का अधीक्षण और प्रशासन** – (1) बल का अधीक्षण केंद्रीय सरकार में निहित होगा और उसके तथा इस अधिनियम के और उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए बल का समादेशन, पर्यवेक्षण और प्रशासन महानिदेशक में निहित होगा ।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी रेल के संबंध में ऐसी स्थानीय सीमाओं के भीतर, जो विहित की जाए, बल का प्रशासन इस अधिनियम के और उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के उपबन्धों के अनुसार महानिरीक्षक, अपर महानिरीक्षक या उप-महानिरीक्षक द्वारा किया जाएगा और वे ऐसे किसी निदेशक के अधीन रहते हुए, जो केंद्रीय सरकार या महानिदेशक द्वारा, इस निमित्त, दिया जाए, रेल के महाप्रबंधक के साधारण पर्यवेक्षण के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करेंगे।]

9. बल-सदस्यों का पदच्युत किया जाना, हटाया जाना, आदि – (1) संविधान के अनुच्छेद 311 के उपबंधों के तथा ऐसे नियमों के जो केंद्रीय सरकार इस निमित्त बनाए, अधीन रहते हुए कोई वरिष्ठ अधिकारी –

---

[1] 1985 के अधिनियम सं. 60 की धारा 8 द्वारा (20-9-1985 से) "मुख्य सुरक्षा अधिकारी" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1985 के अधिनियम सं. 60 की धारा 8 द्वारा (20-9-1985 से) कतिपय शब्दों का लोप किया गया ।

[3] 1985 के अधिनियम सं. 60 की धारा 9 द्वारा (20-9-1985 से) धारा 8 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(i) किसी ऐसे [1][भर्ती किया गया बल-सदस्य] को पदच्युत, निलंबित या पंक्तिच्युत कर सकेगा जिसके बारे में उसका विचार हो कि वह अपने कर्तव्य के निर्वहन में असावधानी या उपेक्षा करता है या उसके लिए अयोग्य है ; अथवा

(ii) निम्नलिखित दंडों में से कोई एक या अधिक दंड किसी ऐसे [1][भर्ती किया गया बल-सदस्य] को दे सकेगा जो अपने कर्तव्य का निर्वहन असावधानी या उपेक्षा के साथ करता है या जो स्वयं अपने कार्य द्वारा अपने को उसके निर्वहन के लिए अयोग्य बना लेता है, अर्थात् :–

(क) सात दिन के वेतन से अनधिक रकम का जुर्माना अथवा वेतनमान में अवगत करना ;

(ख) चौदह दिन से अनधिक की कालावधि के लिए क्वार्टरों में परिरोध, चाहे उसके साथ में दण्डस्वरूप कवायद, अतिरिक्त गारद, फटीग या अन्य ड्यूटी हो या नहीं ;

(ग) विशिष्टता के किसी पद से हटाना या किसी विशेष उपलब्धि से वंचित करना ।

[2][(2) उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई भर्ती किया गया बल-सदस्य उस तारीख से, जिसको उसे आदेश संसूचित किया जाता है, तीस दिन के भीतर उस आदेश के विरुद्ध अपील ऐसे प्राधिकारी को कर सकेगा जो विहित किया जाए :

परंतु यदि विहित प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय के भीतर अपील फाइल करने में पर्याप्त कारण से निवारित हो गया था तो वह तीस दिन की उक्त अवधि के अवसान के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा ।

---

[1] 1985 के अधिनियम सं. 60 की धारा 10 द्वारा (20-9-1985 से) "सदस्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1985 के अधिनियम सं. 60 की धारा 10 द्वारा (20-9-1985 से) उपधारा (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(3) विहित प्राधिकारी अपील निपटाने में ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो विहित की जाए :

परंतु उपधारा (2) के अधीन कोई वर्धित शास्ति अधिरोपित करने वाला आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक उस आदेश से प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो ।]

10. बल के अधिकारियों और बल-सदस्यों का रेल सेवक समझा जाना – [1][महानिदेशक और प्रत्येक बल-सदस्य] भारतीय रेल अधिनियम, 1890 (1890 का 9), (उसके अध्याय 6क को छोड़कर), के अंतर्गत रेल सेवक समझा जाएगा और उस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन रेल सेवकों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने का हकदार होगा ।

[2][**11. बल के सदस्यों के कर्तव्य** – प्रत्येक वरिष्ठ अधिकारी और बल के सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वह –

(क) अपने वरिष्ठ प्राधिकारी द्वारा विधिपूर्णतः उसे दिए गए सभी आदेशों का तत्परता से निष्पादन करे ;

(ख) रेल संपत्ति, यात्री क्षेत्र और यात्रियों का संरक्षण और सुरक्षा करे ;

(ग) रेल संपत्ति या यात्री क्षेत्र के संचलन में पड़ने वाली किसी बाधा को दूर करे ; और

(घ) कोई अन्य ऐसा कार्य करे जो रेल संपत्ति, यात्री क्षेत्र और यात्रियों के बेहतर संरक्षण और सुरक्षा का साधक हो ।]

[3][**12. वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति** – कोई बल-सदस्य किसी मजिस्ट्रेट के किसी आदेश के बिना और वारंट के बिना –

---

[1] 1985 के अधिनियम सं. 60 की धारा 18 और अनुसूची द्वारा (20-9-1985 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 2003 के अधिनियम सं. 52 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[3] 1985 के अधिनियम सं. 60 की धारा 11 द्वारा (20-9-1985 से) धारा 12 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(i) ऐसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा, जो उसको या किसी अन्य बल-सदस्य को, ऐसे सदस्य के रूप में अपना कर्तव्य करने में, या उसको ऐसे सदस्य के रूप में अपना कर्तव्य करने से निवारित करने या भयोपरत करने के आशय से या ऐसे सदस्य के रूप में उसके द्वारा अपने कर्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन में की गई या किए जाने के लिए प्रयतित किसी बात के परिणामस्वरूप स्वेच्छया उपहति कारित करता है या स्वेच्छया उपहति कारित करने का प्रयत्न करता है अथवा सदोष अवरुद्ध करता है या सदोष अवरुद्ध करने का प्रयत्न करता है अथवा हमला करता है या हमला करने की धमकी देता है अथवा आपराधिक बल का प्रयोग करता है या प्रयोग करने की धमकी देता है या प्रयोग का प्रयत्न करता है ; या

(ii) ऐसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा, जो किसी ऐसे संज्ञेय अपराध से संबद्ध रहा है या जिसके विरुद्ध उसके ऐसे अपराध से संबद्ध रहने का समुचित संदेह है या जो अपनी उपस्थिति को छिपाने के लिए पूर्वावधानियां ऐसी परिस्थितियों में बरतता पाया जाता है जिनसे यह विश्वास करने का कारण उत्पन्न होता है कि वह ऐसी पूर्वावधानियां ऐसा संज्ञेय अपराध करने के लिए बरत रहा है जो [1][रेल संपत्ति, यात्री क्षेत्र और यात्रियों] से संबंधित है ; या

(iii) ऐसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा जो रेल की सीमाओं में अपनी उपस्थिति को छिपाने के लिए पूर्वावधानियां ऐसी परिस्थितियों में बरतता पाया जाता है जिनसे यह विश्वास करने का कारण उत्पन्न होता कि वह ऐसी पूर्वावधानियां [1][रेल संपत्ति, यात्री क्षेत्र और यात्रियों] की चोरी करने या उसे नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से बरत रहा है ; या

(iv) ऐसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा, जो ऐसा संज्ञेय अपराध करता है या करने का प्रयत्न करता है, जिसमें [1][रेल

---

[1] 2003 के अधिनियम सं. 52 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित ।

संपत्ति, यात्री क्षेत्र और यात्रियों] से संबंधित किसी कार्य को करने में लगे हुए किसी व्यक्ति के जीवन के लिए आसन्न खतरा अंतर्वलित है या अंतर्वलित होने की संभावना है ।]

13. वारंट के बिना तलाशी लेने की शक्ति – (1) जब भी किसी [1]*** ज्येष्ठ रक्षक से अनिम्न रैंक के बल-सदस्य के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि धारा 12 में निर्दिष्ट प्रकार का कोई अपराध किया गया है या किया जा रहा है, और अपराधी को भाग जाने अथवा अपराध का साक्ष्य छिपा देने का अवसर दिए बिना तलाशी वारंट अभिप्राप्त नहीं किया जा सकता, तब वह उसे रोक सकेगा और उसके शरीर तथा उसकी वस्तुओं की तुरंत तलाशी ले सकेगा और यदि वह उचित समझे तो किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि उसने वह अपराध किया है ।

(2) [2][दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)] के अधीन तलाशी से संबंधित उस संहिता के उपबंध इस धारा के अधीन की गई तलाशी को यथाशक्य लागू होंगे ।

14. गिरफ्तारी के बाद अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया – इस अधिनियम के अधीन गिरफ्तारी करने वाला [2]*** बल-सदस्य इस प्रकार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अनावश्यक विलंब के बिना [3][पुलिस अधिकारी को उन परिस्थितियों की, जिनके कारण ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, ब्यौरेवार रिपोर्ट सहित] सौंप देगा और यदि पुलिस अधिकारी न हो तो उसे निकटतम पुलिस थाने ले जाएगा या भिजवाएगा ।

15. अधिकारियों और बल-सदस्यों का सदा कर्तव्यारूढ़ समझा जाना

---

[1] 1985 के अधिनियम सं. 60 की धारा 18 और अनुसूची द्वारा (20-9-1985 से) कतिपय शब्दों का लोप किया गया ।

[2] 1985 के अधिनियम सं. 60 की धारा 18 और अनुसूची द्वारा (20-9-1985 से) "दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5)" के स्थान पर प्रतिस्थपित ।

[3] 2003 के अधिनियम सं. 52 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित ।

और रेलों के किसी भी भाग में नियोजनों का दायी होना – [1][(1) प्रत्येक बल-सदस्य को, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सदैव कर्तव्यारूढ़ समझा जाएगा और वह भारत के भीतर किसी भी स्थान पर, किसी भी समय, नियोजित किए जाने के दायित्व के अधीन होगा।]

(2) [2]*** बल-सदस्य इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों से भिन्न किसी नियोजन या पद पर अपने को नहीं लगाएगा ।

[3][**15क. संगम आदि बनाने के अधिकार की बाबत निर्बंधन** – (1) कोई बल-सदस्य केंद्रीय सरकार या विहित प्राधिकारी की लिखित पूर्व मंजूरी के बिना, –

(क) किसी व्यवसाय संघ, श्रम संघ, राजनीतिक संगम का या व्यवसाय संघों, या राजनीतिक संगमों के किसी वर्ग का सदस्य नहीं होगा या उसके साथ किसी भी रूप में सहयुक्त नहीं होगा ; या

(ख) किसी ऐसी अन्य सोसाइटी, संस्था संगम या संगठन का, जिसे बल के भागरूप में मान्यता प्राप्त नहीं है अथवा जो बिल्कुल सामाजिक, आमोद-प्रमोदात्मक या धार्मिक प्रकृति का नहीं है, सदस्य नहीं होगा या उसके साथ किसी भी रूप में सहयुक्त नहीं होगा ; या

(ग) प्रेस से सम्पर्क नहीं करेगा या किसी पुस्तक, पत्र या अन्य दस्तावेज का प्रकाशन नहीं करेगा या प्रकाशन नहीं कराएगा । किंतु जहां ऐसा सम्पर्क या प्रकाशन उसके कर्तव्यों के सद्भाविक निर्वहन में है अथवा यह बिल्कुल साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक प्रकृति का अथवा विहित प्रकार का है वहां ऐसा कर सकेगा ।

---

[1] 1985 के अधिनियम सं. 60 की धारा 12 द्वारा (20-9-1985 से) उपधारा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1985 के अधिनियम सं. 60 की धारा 18 और अनुसूची द्वारा (20-9-1985 से) कतिपय शब्दों का लोप किया गया ।

[3] 1985 के अधिनियम सं. 60 की धारा 13 द्वारा (20-9-1985 से) अंतःस्थापित ।

स्पष्टीकरण – यदि इस बारे में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि कोई सोसाइटी, संस्था, संगम या संगठन इस उपधारा के खंड (ख) के अधीन बिल्कुल सामाजिक, आमोद-प्रमोदात्मक या धार्मिक प्रकृति का है या नहीं तो उस पर केंद्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा ।

(2) कोई बल-सदस्य किन्हीं राजनीतिक प्रयोजनों के लिए या ऐसे किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए, जो विहित किए जाएं व्यक्तियों के किसी निकाय द्वारा संगठित किसी प्रदर्शन में भाग नहीं लेगा या उसकी किसी बैठक को संबोधित नहीं करेगा या उसमें सम्मिलित नहीं होगा ।]

16. निलंबन के दौरान बल-सदस्यों का उत्तरदायित्व – किसी बल-सदस्य का बल-सदस्य होना उसके पद से निलंबित होने के कारण ही समाप्त नहीं हो जाएगा, और उस कालावधि के दौरान वह उन्हीं उत्तरदायित्वों, अनुशासन और शास्तियों के अधीन होगा जिनके अधीन वह कर्तव्यारूढ़ होने पर होता ।

[1][**16क. बल-सदस्य न रह गए व्यक्तियों द्वारा प्रमाणपत्र, आयुध आदि का अभ्यर्पण** – (1) प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी कारण बल-सदस्य नहीं रह जाता है, अपना नियुक्ति-प्रमाणपत्र, आयुध, साजसज्जा, वस्त्र और अन्य वस्तुएं, जो उसे बल-सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए दी गई हों, ऐसे किसी वरिष्ठ अधिकारी को तत्काल अभ्यर्पित कर देगा जो उन्हें प्राप्त करने के लिए सशक्त हो ।

(2) कोई व्यक्ति, जो उसको दिए गए नियुक्ति-प्रमाणपत्र, आयुध, साजसज्जा, वस्त्र और अन्य वस्तुओं को उपधारा (1) की अपेक्षानुसार अभ्यर्पित करने में जानबूझकर उपेक्षा करेगा या अभ्यर्पित करने से इनकार करेगा, दोषसिद्धि पर, कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

(3) इस धारा की कोई बात ऐसी किसी वस्तु को लागू नहीं समझी जाएगी, जो महानिदेशक के आदेशों के अधीन, उस व्यक्ति की सम्पत्ति हो गई जिसे वह दी गई थी ।]

---

[1] 1985 के अधिनियम सं. 60 की धारा 14 द्वारा (20-9-1985 से) अन्त:स्थापित ।

[1][**17. कर्तव्य की उपेक्षा आदि के लिए शास्तियां** – (1) धारा 9 में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे प्रत्येक भर्ती किए गए बल-सदस्यों को, जो कर्तव्य के किसी अतिक्रमण का अथवा किसी नियम को या किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किए गए किसी विधिपूर्ण आदेश को जानबूझकर भंग करने या उसकी जानबूझकर उपेक्षा करने का दोषी होगा, अथवा जो अपने पद के कर्तव्यों से अपने को अनुज्ञा के बिना हटा लेगा या जो छुट्टी पर अनुपस्थित रहने पर, उस छुट्टी की समाप्ति पर उचित कारण के बिना अपनी ड्यूटी पर नहीं आएगा अथवा जो भर्ती किए गए बल-सदस्य के रूप में अपने कर्तव्य से भिन्न किसी नियोजन के लिए अपने को, प्राधिकार के बिना लगाएगा, या जो कायरता का दोषी होगा, बल की अभिरक्षा में लिया जा सकेगा और दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा ।

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन दंडनीय कोई अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होगा ।

(3) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, भर्ती किए गए किसी बल-सदस्य द्वारा किए गए और इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध की अथवा भर्ती किए गए किसी बल-सदस्य द्वारा किसी अन्य बल-सदस्य के शरीर या संपत्ति के विरुद्ध किए गए किसी अपराध की जांच करने या उसका विचारण करने के प्रयोजन के लिए किसी भी वर्ग के मजिस्ट्रेट की शक्तियां सहायक महानिरीक्षक, ज्येष्ठ कमांडेंट या कमांडेंट में विनिहित कर सकेगी :

परंतु –

(i) जब अपराधी छुट्टी पर हो या ड्यूटी से अनुपस्थित हो ; या

(ii) जब अपराध भर्ती किए गए बल-सदस्य के रूप में अपराधी के कर्तव्यों से संबंधित न हो ; या

---

[1] 1985 के अधिनियम सं. 60 की धारा 15 द्वारा (20-9-1985 से) धारा 17 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(iii) जब वह अपराध छोटा हो, भले ही वह अपराध भर्ती किए गए बल-सदस्य के रूप में अपराधी के कर्तव्यों से संबंधित हो ; या

(iv) जब ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, ऐसे कमांडेंट के लिए, जिसमें मजिस्ट्रेट की शक्तियां विनिहित हैं, अपराध की जांच या उसका विचारण करना साध्य न हो,

तब उस अपराध की, यदि वह विहित प्राधिकारी जिसकी अधिकारिता की सीमाओं के भीतर अपराध किया गया है ऐसी अपेक्षा करे, जांच या उसका विचारण उस मामले में अधिकारिता रखने वाले मामूली दंड न्यायालय द्वारा किया जा सकेगा ।

(4) इस धारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह भर्ती किए गए किसी बल-सदस्य को किसी विधि द्वारा दंडनीय बनाए गए किसी अपराध के लिए उस विधि के अधीन अभियोजित किए जाने से अथवा ऐसी किसी विधि के अधीन ऐसी किसी शास्ति या दंड का, जो ऐसे अपराध के लिए इस धारा द्वारा उपबंधित शास्ति या दंड से भिन्न या कठोरतर है, भागी होने से निवारित करती है :

परंतु कोई व्यक्ति एक ही अपराध के लिए दो बार दंडित नहीं किया जाएगा।]

18. 1922 के अधिनियम 22 का बल-सदस्यों को लागू होना – पुलिस (द्रोह उद्दीपन) अधिनियम, 1922 बल-सदस्यों को उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह पुलिस बल के सदस्यों को लागू होता है ।

[1][**19. कुछ अधिनियमों का बल-सदस्यों को लागू न होना** – मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4) या औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) या कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) या औद्योगिक विवादों के अन्वेषण और परिनिर्धारण के संबंध में किसी राज्य में प्रवृत्त किसी तत्स्थानी विधि की कोई बात बल-सदस्यों को लागू नहीं होगी ।]

---

[1] 1985 के अधिनियम सं. 60 की धारा 16 द्वारा (20-9-1985 से) धारा 19 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

20. बल-सदस्यों के कार्यों का संरक्षण – (1) किसी [1]*** बल-सदस्यों द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी कार्य की बाबत उसके विरुद्ध किए गए वाद या कार्यवाही में उसके लिए यह अभिवचन करना विधिपूर्ण होगा कि वह कार्य उसके द्वारा सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के अधीन किया गया था ।

(2) ऐसा कोई अभिवाक् उस कार्य का निदेश देने वाले आदेश को पेश करके साबित किया जा सकेगा और उसके इस प्रकार साबित किए जाने पर वह [1]*** बल सदस्य उसके द्वारा उस प्रकार किए गए कार्य की बाबत दायित्व से उन्मोचित कर दिया जाएगा, भले ही ऐसा आदेश जारी करने वाले प्राधिकारी की अधिकारिता में कोई त्रुटि रही हो ।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई सिविल या दांडिक कार्यवाही, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी उपबंध द्वारा या उसके अनुसरण में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके की गई या की जाने के लिए, आशयित किसी बात के लिए किसी [1]***बल-सदस्य के विरुद्ध हो, परिवादित कार्य के किए जाने के पश्चात् तीन मास के अंदर प्रारंभ की जाएगी, अन्यथा नहीं, और ऐसी कार्यवाही तथा उसके कारण की सूचना संबद्ध व्यक्ति को और उसके वरिष्ठ अधिकारी को ऐसी कार्यवाही के प्रारम्भ से कम से कम एक मास पूर्व दी जाएगी ।

21. नियम बनाने की शक्ति – (1) केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी ।

(2) विशिष्टत: और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेंगे :–

(क) [2]*** बल-सदस्यों के वर्गों और श्रेणियों तथा वेतन और पारिश्रमिक का और बल में सेवा की शर्तों का विनियमन ;

---

[1] 1985 के अधिनियम सं. 60 की धारा 18 और अनुसूची द्वारा (20-9-1985 से) "वरिष्ठ अधिकारी या" शब्दों का लोप किया गया ।

[2] 1985 के अधिनियम सं. 60 की धारा 17 द्वारा (20-9-1985 से) "वरिष्ठ अधिकारियों और" शब्दों का लोप किया गया ।

(ख) इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन किन्हीं कृत्यों को करने के लिए प्राधिकृत [1]*** बल-सदस्यों की शक्तियों और कर्तव्यों का विनियमन ;

(ग) [1]*** बल-सदस्यों के लिए सेवा की कालावधि नियत करना ;

[2][(घ) बल-सदस्यों को दिए जाने वाले आयुध, साजसज्जा, वस्त्र और अन्य आवश्यक वस्तुओं का प्रकार और उनकी मात्रा विहित करना ;

(ङ) बल-सदस्यों के निवास-स्थान विहित करना ;

(च) बल के प्रशासन से संबंधित किसी प्रयोजन के लिए किसी निधि की संस्थापना तथा उसका प्रबंध और विनियमन ;

(छ) दंडों का विनियमन और ऐसे प्राधिकारी विहित करना, जिन्हें दंड के अथवा जुर्माने के परिहार के या अन्य दंड के आदेशों से अपीलें की जाएंगी और ऐसी अपीलों को निपटाने के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(ज) इस अधिनियम के अधीन बल-अभिरक्षा से संबंधित विषयों का, जिनके अंतर्गत व्यक्तियों को ऐसी अभिरक्षा में लेने के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया है, विनियमन करना ;

(झ) इस अधिनियम के अधीन अपराधों से संबंधित मामलों के निपटाने से संबंधित विषयों का विनियमन करना और उन स्थानों को, जिनमें इस अधिनियम के अधीन दोषसिद्ध व्यक्तियों को परिरुद्ध किया जा सकेगा, विनिर्दिष्ट करना ;

(ञ) ऐसा कोई अन्य विषय जो अधिरोपित किया जाना है या

---

[1] 1985 के अधिनियम सं. 60 की धारा 17 द्वारा (20-9-1985 से) "वरिष्ठ अधिकारियों और" शब्दों का लोप किया गया ।

[2] 1985 के अधिनियम सं. 60 की धारा 17 द्वारा (20-9-1985 से) उपधारा (घ) और (ङ) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

किया जाए अथवा जिसके संबंध में नियम इस अधिनियम के अधीन बनाए जाने अपेक्षित हैं ।]

[1][(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।]

अनुसूची

(धारा 7 देखिए)

क ख रेल-संरक्षण बल अधिनियम, 1957 के अधीन रेल संरक्षण बल का सदस्य नियुक्त किया गया है और उसमें बल-सदस्य की शक्तियां, कृत्य और विशेषाधिकार निहित किए गए हैं ।

---

[1] 1985 के अधिनियम सं. 60 की धारा 17 द्वारा (20-9-1985 से) उपधारा (3) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित और विक्रयार्थ उपलब्ध पाठ्य पुस्तकों की सूची

क्रम सं.	पुस्तक का नाम, लेखक का नाम एवं प्रकाशन वर्ष (संस्करण)	पृष्ठ सं.	पुस्तक की मूल मुद्रित कीमत (रुपयों में)	विशेष छूट के पश्चात् पुस्तक की कीमत (रुपयों में)
1.	अन्तर्राष्ट्रीय विधि के प्रमुख निर्णय – डा. एस. सी. खरे – 1996	273	115	29.00
2.	भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम (कालजयी निर्णय) – विधि साहित्य प्रकाशन – 2000	209	225	57.00
3.	विधि शास्त्र – डा. शिवदत्त शर्मा – 2004	501	580	290.00
4.	मानव अधिकार – डा. शिवदत्त शर्मा – 2006	340	120	60.00
5.	निर्णय लेखन – न्या. भगवती प्रसाद बेरी – 2019	190	175	–

अन्य महत्वपूर्ण प्रकाशन

1. विधि शब्दावली	सातवां संस्करण, 2015	कीमत रु. 375/-
2. निर्वाचन विधि निर्देशिका (भाग-1 तथा भाग-2)	नवीनतम संस्करण, 2019	कीमत रु. 1,900/-
3. भारत का संविधान (सिंधी भाषा में)	1998	कीमत रु. 45/-
4. बहुभाषी संविधान शब्दावली	1986	कीमत रु. 12/-

विधि साहित्य प्रकाशन
(विधायी विभाग)
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार
भारतीय विधि संस्थान भवन,
भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

Website : www.lawmin.nic.in
Email : am.vsp-molj@gov.in

Cover-IV

भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत रजि. सं. 47259/88

सादर

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा तीन मासिक निर्णय पत्रिकाओं – **उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका** का प्रकाशन किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका में उच्चतम न्यायालय के चयनित निर्णयों को और उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका तथा उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका में देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के चयनित क्रमशः सिविल और दांडिक निर्णयों को हिन्दी में प्रकाशित किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका को उपादेय और ज्ञानवर्द्धक बनाने के लिए प्रिवी कौंसिल के निर्णयों को भी समाविष्ट किया जा रहा है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत क्रमशः ₹ 2,100/-, ₹ 1,300/- और ₹ 1,300/- है । तीनों मासिक निर्णय पत्रिकाओं के नियमित ग्राहक बनकर हिन्दी के प्रचार-प्रसार के इस महान यज्ञ के भागी बन कर अनुगृहीत करें । साथ ही यह भी अवगत कराया जाता है कि केन्द्रीय अधिनियमों, विधि शब्दावली, विधि पत्रिकाओं और अन्य विधि प्रकाशनों को आन लाइन **https://bharatkosh.gov.in/product/ product** पर प्राप्त किया जा सकता है ।

विधि साहित्य प्रकाशन

(विधायी विभाग)

विधि और न्याय मंत्रालय

भारत सरकार

भारतीय विधि संस्थान भवन,

भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

दूरभाष : 011-23387589, 23385259, 23382105

विक्रेता : सहायक प्रबंधक, कारबार अनुभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, आई. एल. आई. बिल्डिंग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 । दूरभाष : 011-23385259, 23387589, फैक्स : 011-23387589, ई-मेल : am.vsp-molj@gov.in